



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 7, 2014/चैत्र 17, 1936

No. 202]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 2014/CHAITRA 17, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 272(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1996 का अधिक्रमण करते हुए उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में भर्ती और पदों के निबंधन और शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 2014 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार अभिप्रेत है ;

(ग) " विभागीय प्रोन्नति समिति" से प्रोन्नति या सेवा के समूह क पदों पर पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए अनुसूची iv में विनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति अभिप्रेत है ;

(घ) " ड्यूटी पद" से अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट कोई पद चाहे स्थायी या अस्थायी है, अभिप्रेत है ;

(ङ.) "गतिशील आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम" से नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सेवा के अधिकारियों के लिए रिक्तियों को गणना में लिए बिना समयबद्ध प्रोन्नति के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, विरचित स्कीम अभिप्रेत है ;

(च) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है ;

(छ) "श्रेणी" से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट श्रेणी अभिप्रेत है ;

(ज) "लोक स्वास्थ्य अर्हता" से भारत की आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान्यता प्राप्त लोक स्वास्थ्य अर्हता अभिप्रेत है ;

(झ) "अनुसूची " से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ञ) "अनुसूचित जातियां" और " अनुसूचित जनजातियां " का क्रमशः वही अर्थ है जो उनका संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में है ;

(ट) "सेवा " से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अभिप्रेत है ;

(ठ) "उप कैडर" से यथास्थिति, सेवा की चारों धाराओं, अर्थात् साधारण ड्यूटी, लोक स्वास्थ्य गैर शिक्षण विशेषज्ञ और शिक्षण विशेषज्ञ अभिप्रेत हैं ;

3. सेवा का गठन.—सेवा में सम्मिलित सभी ड्यूटी पदों को केन्द्रीय सिविल सेवा समूह " क" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उनका ग्रेड, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान, गैर व्यवसाय भत्ता और उससे संबंधित सभी मामले अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे ।

4. सेवा की प्राधिकृत संख्या.— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित ड्यूटी पदों की प्राधिकृत संख्या अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट होगी ।

(2) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् विभिन्न ग्रेडों में ड्यूटी पदों की प्राधिकृत स्थायी संख्या वह होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा यथा अवधारित की जाए ।

(3) सरकार विभिन्न ग्रेडों में ड्यूटी पदों की संख्या में समय-समय पर यथा अपेक्षित अनुसार अस्थायी वर्धन या कटौती कर सकेगी ।

(4) सरकार आयोग के परामर्श से अनुसूची II में शामिल पदों से भिन्न किसी पद को शामिल कर सकेगी या उक्त अनुसूची में शामिल किसी पद को सेवा से बाहर कर सकेगी ।

(5) सरकार आयोग के परामर्श से किसी अधिकारी को जिसके पद को उपनियम (4) के अधीन सेवा में शामिल किया गया है, सेवा के समुचित ग्रेड में अस्थायी क्षमता में या मूल क्षमता में जैसाकि उचित समझा जाए नियुक्त कर सकेगी और सदृश ग्रेड में सतत नियमित सेवा को गणना में लेने के पश्चात् ग्रेड में उसकी ज्येष्ठता को नियत कर सकेगी ।

(6) सेवा के प्रत्येक उप कैडर में कुल पदों के दस प्रतिशत को, "प्रशिक्षण या छुट्टी या प्रतिनियुक्ति आरक्षिती" के रूप में शामिल किया जाएगा ।

5. सेवा के सदस्य.— (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) नियम 4 के उपनियम (5) के अधीन नियुक्त व्यक्ति ;

(ख) नियम 4 के उपनियम (6) के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति ; और

(ग) नियम 7 के अधीन नियुक्त व्यक्ति ।

(2) उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त व्यक्ति ऐसी नियुक्ति पर अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट उसे लागू समुचित ग्रेड में सेवा के सदस्य माने जाएंगे ।

(3) उपनियम (1) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी तारीख से ऐसी नियुक्ति पर अनुसूची 2 में उसे लागू समुचित ग्रेड में सेवा का सदस्य होगा ।

6. सेवा का भावी अनुरक्षण.—(1) अनुसूची 2 में निर्दिष्ट किन्हीं ग्रेडों में रिक्तियां यहां इन नियमों के अधीन उपबंधित रीति में भरी जाएंगी ।

(2) भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र जिसके अंतर्गत संबंधित उप कैडरों में नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए यथास्थिति, तुरंत निचले ग्रेड में या निचले ग्रेडों में न्यूनतम अर्हक सेवा सम्मिलित है तथा संबंधित उप कैडर में विशेषज्ञताएं जिसके अंतर्गत अनुसूची 3 में सेवा को विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) (i) ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के स्तर तक विभागीय प्रोन्नतियों को रिक्तियों को गणना में लिए बिना अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार किया जाएगा और अनुसूची iv में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर संबंधित उप कैडरों में पुष्टि की जाएगी ।

(ii) उच्च प्रशासनिक ग्रेड के पदों पर प्रोन्नति केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सभी चार उप कैडरों से संबंध रखने वाले ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की संयुक्त पात्रता सूची के आधार पर की जाएगी।

(iii) खंड (ii) में निर्दिष्ट संयुक्त पात्रता सूची ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में अधिकारियों द्वारा सेवा के विनिर्दिष्ट अर्हक वर्षों को पूरा करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी:

परंतु संयुक्त पात्रता सूची तैयार करने के प्रयोजनों के लिए ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में अधिकारियों की ज्येष्ठता का अवधारण नीचे दिए अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) संबंधित विशेषज्ञता और उप कैडर में व्यक्तियों की ज्येष्ठता पोषक ग्रेड में ज्येष्ठता के आधार पर होगी;

(ख) यदि पोषक ग्रेड में कोई ज्येष्ठता नहीं है या यहां तक कि पोषक ग्रेड में ज्येष्ठता का अवधारण करना संभव नहीं है, तो ज्येष्ठता का अवधारण करने के लिए पोषक ग्रेड में नियमित सेवा की अवधि एक मार्गदर्शी कारक होगा ;

(ग) यदि पोषक ग्रेड में सेवा की अवधि भी समान है तो अगली निचली श्रेणी में नियमित सेवा को जिसके न हो सकने पर जन्म की तारीख को गणना में लिया जाएगा।

(4) सेवा के विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए गतिशील आशवासित कैरियर प्रगति स्कीम के अधीन अपेक्षित न्यूनतम बैंचमार्क अनुसूची 7 में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(5) कैडर में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड पदों या उससे उच्चतर में विभागीय प्रोन्नति यथास्थिति तुरंत निचले ग्रेड या निचले ग्रेडों में सेवा में अधिकारियों में से अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(6) सेवा में नियुक्त किसी अधिकारी पर यदि उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड पद पर प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए यदि विचार किया जाता है तो यथास्थिति संबंधित उप कैडर या उप कैडर में संबंधित विशेषज्ञता में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा परंतु यह कि वह अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा में ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक या दो वर्षों इनमें से जो भी कम हो कम न हों और उन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि यदि विनिर्दिष्ट हो, पूरी कर ली है।

(7) गैर चयन आधार पर किसी सेवारत अधिकारी की नियुक्ति के सिवाय (ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता) सेवा को बनाए रखने को अधिकारियों का चयन आयोग के परामर्श से किया जाएगा और जब भी अपेक्षित हो अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा।

(8) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में विभिन्न ड्यूटी पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, अनुभव और आयु सीमा अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

(9) अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट अति विशेषज्ञताओं से संबंध रखने वाले पदों पर सीधी भर्ती जिनके लिए न्यूनतम अर्हता डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन या मेजिस्टर चिरूरुर्गुई या समतुल्य है, वेतन बैंड-3 में, 15600-39100 रु. में निम्नलिखित ग्रेड वेतन के साथ की जाएंगी,-

(i) शिक्षण विशेषज्ञता उप कैडर में 6600 रु.; और

(ii) गैर शिक्षण विशेषज्ञता उप कैडर में 6600 रु. और 7600 रु.।

(10) सेवा के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर अर्हताएं अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी।

टिप्पण : 1- चारों उप कैडरों में ज्येष्ठ प्रशासनिक स्तर तक सभी पद गतिशील आशवासित कैरियर प्रगति स्कीम के अधीन प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए उनके उप कैडरों में अंतः हस्तांतरणीय है।

टिप्पण : 2- प्रविष्टि ग्रेड से भिन्न, सेवा के विभिन्न ग्रेडों में ज्येष्ठ प्रशासनिक स्तर तक प्रोन्नति विभिन्न रिक्तियों को गणना में लेकर की जाएगी।

7. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा ड्यूटी पदों का भरा जाना.—(1) नियम 6 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब सरकार की यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए और आयोग के परामर्श से साधारण ड्यूटी उप कैडर में चिकित्सा अधिकारी, या ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर कृत्यकारी चयन समिति) के ग्रेडों में या गैर शिक्षण में विशेषज्ञ ग्रेड-3 या विशेषज्ञ ग्रेड-2 और लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उप कैडरों तथा शिक्षण उप कैडर में सहायक प्रोफेसर या सहबद्ध प्रोफेसर या प्रोफेसर के सौ से अनधिक ड्यूटी पदों को केन्द्रीय सरकार के अधीन जिसके अंतर्गत रेल और रक्षा मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र भी हैं में सदृश पद धारण करने वाले उपयुक्त अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा और कानूनी निकायों, स्वशासी निकायों,

अर्द्धसरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों में से लघु अवधि संविदा के आधार पर भर सकेगी ।

(2) प्रतिनियुक्ति और संविदा की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसका विशेष परिस्थितियों में किसी भी दशा में पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जैसाकि सरकार उचित समझे, विस्तार किया जा सकेगा ।

8. (1) ज्येष्ठता.—संबंधित उप कैडरों में, यथास्थिति किसी ग्रेड में या सेवा के उप कैडर में संबंधित विशेषज्ञता में सेवा में नियुक्त सदस्यों की इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को अपेक्षित ज्येष्ठता सरकार द्वारा यथा अवधारित अनुसार होगी: परंतु उक्त तारीख को किसी ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता का अवधारण विशिष्ट रूप से नहीं किया गया है तो उसका अवधारण इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व सेवा के सदस्यों को लागू ज्येष्ठता नियत करने को शासित करने वाले नियमों के आधार पर किया जाएगा ।

(2) नियम 5 के अधीन नियुक्त से भिन्न सेवा में नियुक्त सदस्यों की ज्येष्ठता का अवधारण इस विषय में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा ।

(3) नियम 4 के उपनियम (5) के अनुसार सेवा में नियुक्त सदस्यों की ज्येष्ठता को उनमें उपबंधित रीति में नियत किया जाएगा ।

(4) सभी उप कैडरों में किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता जिसको ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के स्तर तक प्रोन्नत किया जाता है वही होगी जो उप कैडर के भीतर निम्न ग्रेड में अपेक्षित ज्येष्ठता है जिसमें उनकी प्रोन्नति की गई है:

परंतु समयबद्ध प्रोन्नति के लिए ' अनुपयुक्त ' पाए गए व्यक्तियों की दशा में उनकी ज्येष्ठता का अवधारण प्रत्येक उप कैडर में प्रत्येक स्तर पर वास्तविक प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में किया जाएगा ।

(5) इस नियम द्वारा कवर न किए गए मामलों की दशा में ज्येष्ठता का अवधारण सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

9. (1) परिवीक्षा.—सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होगा:

परंतु 15600-39100 रु. के वेतन बैंड-3 में 5400 रु. के ग्रेड वेतन में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा:

परंतु यह और कि नियंत्रक प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि को इस निमित्त सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार बढ़ा सकेगा:

परंतु यह भी कि किसी अधिकारी की परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाने का कोई विनिश्चय परिवीक्षा की आरंभिक अवधि के अवसान के तुरंत पश्चात् लिया जाएगा और साधारणतया आठ सप्ताह की अवधि के भीतर तथा इसको बढ़ाने की लिखित सूचना की संबंधित अधिकारी को उसके कारणों सहित, उक्त अवधि के भीतर संसूचना दी जाएगी ।

(2) परिवीक्षा या उसके किसी विस्तार की अवधि के पूरा होने पर अधिकारी पर स्थायी नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा और सरकार के विस्तार आदेश के निबंधनों के अनुसार उसकी पुष्टि की जाएगी ।

(3) यदि, यथास्थिति परिवीक्षा या उसके विस्तार की अवधि के दौरान, सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार अधिकारी को, यथास्थिति उन्मोचित कर सकेगी या उसे सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर उसे वापस भेज सकेगी ।

(4) सरकार परिवीक्षा या उसके विस्तार की अवधि के दौरान, अधिकारियों से प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम पूरा करने की या ऐसी परीक्षाएं या परीक्षण जिसके अंतर्गत हिंदी में परीक्षा भी है पूरा करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसाकि परिवीक्षा की अवधि समाधानप्रद रूप से पूरा करने की एक शर्त के रूप में सरकार उचित समझे ।

(5) सेवा के सदस्यों की परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामले इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होंगे ।

10. सेवा में नियुक्ति.—सेवा में सभी नियुक्तियां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी ।

11. तैनाती.—सेवा में तैनात अधिकारी भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए दायी होंगे ।

12. रक्षा सेवाओं या रक्षा से संबंधित पदों पर सेवा करने का दायित्व.—सेवा में नियुक्त किसी अधिकारी से यदि अपेक्षित हो तो भारत की रक्षा से संबंधित रक्षा सेवा या पद पर चार वर्ष से अन्यून अवधि के लिए जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण, यदि कोई हो की अवधि शामिल है सेवा करना अपेक्षित होगा ;

परंतु ऐसे अधिकारी से—

(क) सेवा में उसकी नियुक्ति की तारीख से या सेवा में उसके शामिल होने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के अवसान पर पूर्वोक्त के अनुसार सेवा करना अपेक्षित नहीं होगा ;

(ख) साधारणतया उससे पूर्वोक्त के अनुसार सेवा करना अपेक्षित नहीं होगा यदि उसने 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ।

13. निजी व्यवसाय का प्रतिषेध.—(1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार का निजी व्यवसाय करना जिसके अंतर्गत परामर्श और प्रयोगशाला व्यवसाय भी है, अनुज्ञात नहीं होगा ।

(2) सेवा के सदस्य जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों में चिकित्सा व्यवसायियों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दरों पर गैर व्यवसाय भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

14. सेवा की अन्य शर्तें- सेवा के सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें जिनकी बाबत इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित और सेवा के संबंध में सरकार द्वारा जारी विशेष आदेशों के जारी रहते हुए वही होंगी जो केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों को सामान्यतया लागू होती हैं ।

15. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

16. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

17. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

18. निर्वचन.—इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

अनुसूची 1

[देखें नियम 2(छ) और नियम 13(2)]

1. ग्रेड, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान

क्रम सं.	ग्रेड	ग्रेड, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान
1.	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड	
	(i) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा	80,000 रुपए नियत
	(ii) विशेष महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा (लोकस्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान शिक्षा या आयुर्विज्ञान सेवाएं)	80,000 रुपए नियत
	(iii) अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या संस्थाओं और संगठनों या राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रमुख	67,000 रुपए ग्रेड वेतन (3% की दर से वार्षिक वृद्धि)-79,000/- रुपए
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	10,000 रुपए ग्रेड वेतन [37,400-67,00 रुपए] के साथ वेतन बैंड -4
	अन्य पद	

3.	विशेषज्ञ ग्रेड	
(क)	विशेषज्ञ ग्रेड-I	
	(i) अध्यापन	
	प्रोफेसर	8700 रुपए ग्रेड वेतन [37,400-67,000 रुपए] के साथ वेतन बैंड -4
	(ii) अध्यापनेतर	
	विशेषज्ञ ग्रेड-I	8700 रुपए ग्रेड वेतन [37,400-67,000 रुपए] के साथ वेतन बैंड -4
	(iii) लोक स्वास्थ्य	
	विशेषज्ञ ग्रेड-I	8700 रुपए ग्रेड वेतन [37,400-67,000 रुपए] के साथ वेतन बैंड -4
(ख)	विशेषज्ञ ग्रेड-II	
	(i) अध्यापन	
	एसोसिएट प्रोफेसर	7600 रुपए ग्रेड वेतन [15,600-39,1,00 रुपए] के साथ वेतन बैंड -3
	(ii) अध्यापनेतर	
	विशेषज्ञ ग्रेड- II	7600 रुपए ग्रेड वेतन [15,600-39,1,00 रुपए] के साथ वेतन बैंड -3
	(iii) लोक स्वास्थ्य	
	विशेषज्ञ ग्रेड-I-I	7600 रुपए ग्रेड वेतन [15,600-39,1,00 रुपए] के साथ वेतन बैंड -3
(ग)	विशेषज्ञ ग्रेड-III	
	(i) अध्यापन	
	सहायक प्रोफेसर	6600 रुपए ग्रेड वेतन [15,600-39,1,00 रुपए] के साथ वेतन बैंड -3
	(ii) अध्यापनेतर	
	विशेषज्ञ ग्रेड-III	6600 रुपए ग्रेड वेतन [15,600-39,1,00 रुपए] के साथ वेतन बैंड -3
	(iii) लोक स्वास्थ्य	
	विशेषज्ञ ग्रेड-III	6600 रुपए ग्रेड वेतन [15,600-39,1,00 रुपए] के साथ वेतन बैंड -3
	चिकित्सा अधिकारी ग्रेड	
	(i) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यकारी चयन ग्रेड)	5400 रुपए ग्रेड वेतन [15,600-39,1,00 रुपए] के साथ वेतन बैंड -3
	(ii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी	5400 रुपए ग्रेड वेतन [15,600-39,1,00 रुपए] के साथ वेतन बैंड -3

		रुपए] के साथ वेतन बैंड -3
	(iii) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	5400 रुपए ग्रेड वेतन [15,600-39,1,00 रुपए] के साथ वेतन बैंड -3
	(iv) चिकित्सा अधिकारी	5400 रुपए ग्रेड वेतन [15,600-39,1,00 रुपए] के साथ वेतन बैंड -3

II- प्रेक्टिसबंदी भत्ते की दर- केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी प्रेक्टिसबंदी भत्ते की ऐसी दरों के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर विनिश्चित करे।

III- स्नातकोत्तर भत्ता – चिकित्सा अधिकारी या ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या प्रधान चिकित्सा अधिकारी जिसके अंतर्गत प्रधान चिकित्सा अधिकारी (अकार्यकारी चयन ग्रेड) भी है जिसके लिए मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता अनिवार्यतः अर्हता नहीं है के पद पर नियुक्त आयुर्विज्ञान स्नातक को सुसंगत स्केल में अनुज्ञेय वेतन के अतिरिक्त यथास्थिति 600 सौ रुपए या 1000 रुपए प्रतिमास मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री जैसा कि अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट है या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के अधीन विनिर्दिष्ट है दिए जाएंगे:

परंतु किसी अधिकारी द्वारा स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री दोनों रखने की दशा में उसे 1000 रुपए का प्रेक्टिसबंदी भत्ता भी संदत्त किया जाएगा।

टिप्पण : प्रेक्टिसबंदी भत्ते और स्नातकोत्तर भत्ते को उस विषय पर सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों द्वारा शासित किया जाएगा।

अनुसूची 2
[दिखें नियम 2(घ) और नियम 4]

उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड:

क्रम सं.	पदनाम	पदों की संख्या *(2014)
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	
1	महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा	01
2	विशेष महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (लोक स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान शिक्षा या आयुर्विज्ञान सेवाएं)	02
3	अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा या संस्था और संगठन या राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रमुख	16* (*इनमें से छह पद चल पद हैं)
4	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अन्य पद (वेतन बैंड 4, 10000 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000): (I) शिक्षण विशेषज्ञ उप काडर चल पद (निदेशक-प्रोफेसर या डीन या निदेशक या आयुर्विज्ञान अधीक्षक या अपर आयुर्विज्ञान अधीक्षक या प्रधानाचार्य)	78
	(II) गैर शिक्षण विशेषज्ञ उप काडर चल पद (परामर्शदाता या निदेशक- या आयुर्विज्ञान अधीक्षक या अपर आयुर्विज्ञान अधीक्षक)	91

(III) लोक स्वास्थ्य उप काडर		
क्रम सं.	पदनाम	पदों की संख्या *(2014)
1	उपायुक्त (मातृ और बालक स्वास्थ्य), परिवार कल्याण विभाग	01
2	निदेशक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली	01
3	निदेशक, राष्ट्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान, चिंगालपट्टू (तमिलनाडु)	01
4	निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली	01
5	उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (कुष्ठ)	01
6	उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (क्षय)	01
7	अपर निदेशक, (लोक स्वास्थ्य) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली	01
8	अपर निदेशक, (तकनीकी) राष्ट्रीय अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संरक्षण नियंत्रण संगठन	01
9	निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य और प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़.	01
	योग	09
10	अपर निदेशक*	

(IV) साधारण झूटी उप काडर		
1.	उपायुक्त, परिवार कल्याण विभाग	04
2.	उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (आयोजना)	01
3.	निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना	01
4.	उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, (कुष्ठ मानिटरी और मूल्यांकन)	01

	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, (मुख्यालय)	
5.	अपर उप महानिदेशक (साधारण)	01
6.	अपर उप महानिदेशक (गैर संचारी रोग)	01
7.	अपर उप महानिदेशक (आयुर्विज्ञान)	01
8.	अपर उप महानिदेशक (मुख्यालय, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना)	01
9.	निदेशक, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो	01
10.	निदेशक, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो	01
11.	अपर आयुर्विज्ञान अधीक्षक, डाक्टर राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	03
12.	अपर आयुर्विज्ञान अधीक्षक, डाक्टर सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	04
13.	अपर आयुर्विज्ञान अधीक्षक, लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	03
14.	अपर आयुर्विज्ञान अधीक्षक, कलावती सरन बालक अस्पताल, नई दिल्ली	03
15.	ज्येष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चंडीगढ़	01
16.	ज्येष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुणे	01
17.	ज्येष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, भोपाल	01
18.	ज्येष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कोलकाता	01
19.	ज्येष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बैंगलूरु	01
20.	ज्येष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जयपुर	01
21.	ज्येष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चैन्नई	01
22.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, दिल्ली	05
23.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना (औषध भंडार डिपो), दिल्ली	01
24.	चिकित्सा अधीक्षक, प्रसूती और स्त्री रोग अस्पताल, रामाकृष्णा पुरम, नई दिल्ली	01
25.	चिकित्सा अधीक्षक, पुलिस अस्पताल, नई दिल्ली	01
26.	चिकित्सा अधीक्षक, प्रसूती केन्द्र, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	01
27.	चिकित्सा अधीक्षक, प्रसूती केन्द्र, कालका जी, नई दिल्ली	01
28.	ज्येष्ठ प्रधान चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, दिल्ली	15
29.	चिकित्सा अधीक्षक, पुलिस अस्पताल, किंगसवे कैम्प, नई दिल्ली	01
30.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद	01
31.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, अहमदाबाद	01
32.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, बैंगलूरु	01
33.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, मुम्बई	01
34.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, कोलकाता	01
35.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद	01
36.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, कानपुर	01
37.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, लखनऊ	01
38.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, चैन्नई	01
39.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, मेरठ	01
40.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, नागपुर	01
41.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, जयपुर	01
42.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, पुणे	01
43.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, पटना	01

44.	ज्येष्ठ प्रधान चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, मुम्बई	05
45.	भारसाधक चिकित्सा अधिकारी (जोन)	04
46.	भारसाधक चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण)	01
47.	ज्येष्ठ प्रधान चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, कोलकाता	05
48.	ज्येष्ठ प्रधान चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, चैन्नई	02
49.	ज्येष्ठ प्रधान चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद	02
50.	ज्येष्ठ प्रधान चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, दिल्ली	01
51.	अपर निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, दिल्ली	01
52.	अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चैंगलपट्टू	01
53.	अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता	02
54.	अतिरिक्त सीरम विज्ञानी और रसायन परीक्षक, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता	01
55.	अपर निदेशक, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलूरु	01
56.	अपर निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक औषध और पुनर्वास संस्थान, कोलकाता	02
57.	अपर निदेशक, केन्द्रीय मनोविज्ञान संस्थान, रांची	01
58.	अपर निदेशक, (प्रतिपूर्ति और अस्पताल) केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, (मुख्यालय), निर्माण भवन, नई दिल्ली	01
59.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, (मुख्यालय), निर्माण भवन, नई दिल्ली	01
60.	ज्येष्ठ प्रधान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, मोती बाग औषधालय, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना (दक्षिणी क्षेत्र), नई दिल्ली	01
61.	ज्येष्ठ प्रधान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, पालम कॉलोनी औषधालय, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना (उत्तरी क्षेत्र), नई दिल्ली	01
62.	ज्येष्ठ प्रधान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, नांगल राय औषधालय, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना (दक्षिणी क्षेत्र), नई दिल्ली	01
63.	ज्येष्ठ प्रधान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, नोएडा औषधालय, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना (केन्द्रीय क्षेत्र), नई दिल्ली	01
64.	ज्येष्ठ प्रधान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, मिन्टो रोड औषधालय, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना (केन्द्रीय क्षेत्र), नई दिल्ली	01
65.	ज्येष्ठ प्रधान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जवाहर लाल नेहरू रोड औषधालय, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद	01
66.	ज्येष्ठ प्रधान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जवाहर लाल नेहरू रोड औषधालय, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, शिवाजी नगर, बंगलौर	01
67.	ज्येष्ठ प्रधान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जवाहर लाल नेहरू रोड औषधालय, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, शेख मिस्त्री, मुम्बई	01
68.	ज्येष्ठ प्रधान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जवाहर लाल नेहरू रोड औषधालय, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, पेराम्बूर, चैन्नई	01
69.	ज्येष्ठ प्रधान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जवाहर लाल नेहरू रोड औषधालय, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, गांधी ग्राम कानपुर	01
70.	ज्येष्ठ प्रधान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जवाहर लाल नेहरू रोड औषधालय, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, मुकुंद नगर, पुणे	01
71.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, गोहाटी	01
72.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, भोपाल	01
73.	प्रभारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, पॉलीक्लीनिक, इलाहाबाद	01
74.	प्रभारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, पॉलीक्लीनिक, बंगलूरु प्रभारी,	01
75.	केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, पॉलीक्लीनिक, चैन्नई	02

76.	प्रभारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, पॉलीक्लीनिक, पूसा रोड, नई दिल्ली	01
77.	प्रभारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, पॉलीक्लीनिक, हैदराबाद	02
78.	प्रभारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, पॉलीक्लीनिक, जयपुर	01
79.	प्रभारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, पॉलीक्लीनिक, कानपुर	01
80.	प्रभारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, पॉलीक्लीनिक, लखनऊ	01
81.	प्रभारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, पॉलीक्लीनिक, मुम्बई	02
82.	प्रभारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, पॉलीक्लीनिक, नागपुर	01
83.	प्रभारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, पॉलीक्लीनिक, पटना	01
84.	प्रभारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, पॉलीक्लीनिक, पुणे	01
85.	प्रभारी, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, पॉलीक्लीनिक, कोलकाता	01
86.	ज्येष्ठ प्रादेशिक निदेशक, प्रादेशिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय, अहमदाबाद	01
87.	ज्येष्ठ प्रादेशिक निदेशक, प्रादेशिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय, भुवनेश्वर	01
88.	ज्येष्ठ प्रादेशिक निदेशक, प्रादेशिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय, हैदराबाद	01
89.	ज्येष्ठ प्रादेशिक निदेशक, प्रादेशिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय, लखनऊ	01
90.	ज्येष्ठ प्रादेशिक निदेशक, प्रादेशिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय, पटना	01
91.	ज्येष्ठ प्रादेशिक निदेशक, प्रादेशिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय, श्रीनगर	01
92.	ज्येष्ठ प्रादेशिक निदेशक, प्रादेशिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय, शिलांग	01
93.	ज्येष्ठ प्रादेशिक निदेशक, प्रादेशिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	01

संचार मंत्रालय, डाक विभाग

94.	उप महानिदेशक (आयुर्विज्ञान) (मुख्यालय), दिल्ली	01
95.	उप महानिदेशक (आयुर्विज्ञान), उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ	01
96.	उप महानिदेशक (आयुर्विज्ञान), पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता	01
97.	उप महानिदेशक (आयुर्विज्ञान) दक्षिणी केन्द्र क्षेत्र, हैदराबाद	01
98.	अपर निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	01
99.	अपर उपायुक्त, परिवार कल्याण विभाग*	
100.	अपर उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय*	
101.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो में अपर निदेशक*	
102.	प्रादेशिक अपर ज्येष्ठ निदेशक*	
103.	ज्येष्ठ प्रधान चिकित्सा अधिकारी*	
	* गतिशील आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम के अधीन प्रोन्नतियों के परिणामस्वरूप लोक स्वास्थ्य और साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप कैडर के संबंध में पहचाने गए पदों के अतिरिक्त नए पदनाम।	

4	(I) शिक्षण विशेषज्ञ उप कैडर (सहायक प्रोफेसर या सहबद्ध प्रोफेसर या प्रोफेसर)	
क्रम सं.	पदनाम या विशेषज्ञता	पदों की संख्या
1.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (क) लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	

1.	शरीर रचना विज्ञान	14
2.	भेषजगुण विज्ञान	11
3.	विकृति- विज्ञान	17
4.	सूक्ष्म जीव विज्ञान	09
5.	शल्य चिकित्सा	27
6.	आयुर्विज्ञान	29
7.	विकिरणी चिकित्सा विज्ञान	11
8.	संवेदनाहरण-विज्ञान	19
9.	प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान	26
10.	बाल चिकित्सा	26
11.	निरोधक तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान	11
12.	शरीर क्रिया विज्ञान	13
13.	जीव रसायन	10
14.	न्यायिक चिकित्सा शास्त्र	09
15.	नेत्र विज्ञान	05
16.	त्वचा और यौन रोग	03
17.	कान, नाक तथा गला	05
18.	विकलांग शल्य चिकित्सा	05
19.	बाल शल्य चिकित्सा	03
20.	मनोविकृति विज्ञान	26
21.	विकिरण चिकित्सा	04
22.	सामुदायिक औषधियां	02
23.	क्षय रोग व छाती	02
24.	विकलांग विज्ञान	07
25.	पुनर्वास	03
26.	प्लास्टिक शल्य चिकित्सा	02
27.	न्यूरो शल्य चिकित्सा	02
28.	एम्यूनो रुधिर विज्ञान रक्त संचरण	02
	महत्वपूर्ण देखभाल (दुर्घटना और आपात सेवा)	
1.	साधारण आयुर्विज्ञान	02
2.	संवेदनाहरण	01
3.	शल्य चिकित्सा	03
	(ख) वर्धमान महावीर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	
1.	शरीर रचना विज्ञान	13
2.	शरीर क्रिया विज्ञान	12
3.	जैव रसायन विज्ञान	08
4.	निवारक और सामाजिक औषधि	12
5.	भेषज गुण विज्ञान	08
6.	न्यायिक औषधि	07
7.	संवेदनाहरण	02
8.	कैंसर शल्य चिकित्सा	01

9.	कान, नाक और गला	01
10.	सूक्ष्म जीव विज्ञान	06
11.	प्रसूती विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान	05
12.	विकलांग विज्ञान	05
13.	बाल चिकित्सा	05
14.	बाल रोग शल्य चिकित्सा	01
15.	विकृति विज्ञान	05
16.	विकिरण चिकित्सा	03
17.	शल्य चिकित्सा	02
	(ग) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	
1.	हृदय रोग विज्ञान	3
	(घ) क्रीडा संघात केन्द्र, वर्धमान महावीर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	
1.	अस्थिभंग शल्य चिकित्सा	06
2.	संवेदनाहरण विज्ञान	05
3.	भौतिक औषधि और पुनर्वास	01
	(ङ.) केन्द्रीय अस्थिभंग संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	
1.	अस्थिभंग चिकित्सा	04
2.	विकृति विज्ञान	03
3.	विकिरण निदान	01
	योग	08
	(च) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान का स्नातकोत्तर संस्थान	
1.	वृक्क रचना विज्ञान	01
2.	अंतःस्राविकी	04
3.	जठरांतत्र रोग विज्ञान	03
4.	तंत्रिका विज्ञान	01
5.	बाल शल्य चिकित्सा	03
6.	मूत्र विज्ञान	03
7.	शरीर रचना विज्ञान	03
8.	शरीर क्रिया विज्ञान	03
9.	जैव रसायन विज्ञान	03
10.	भेषज गुण विज्ञान	03
11.	सामुदायिक आयुर्विज्ञान	03
12.	न्यायिक आयुर्विज्ञान	03
13.	महामारी - विज्ञान	01
14.	आयुर्विज्ञान	04
15.	त्वचा विज्ञान	03
16.	बाल रोग विज्ञान	02
17.	मनोरोग विज्ञान	02
18.	हृदय संवहनी वक्ष शल्य चिकित्सा	01
19.	हृदय रोग विज्ञान	01
20.	तंत्रिका शल्य चिकित्सा	01

21.	सूक्ष्म जीव विज्ञान	01
22.	विकिरण निदान	01
23.	विकृति विज्ञान	01
24.	जलन और प्लास्टिक	01
25.	भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास	04
	(ख) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	
1.	हृदय रोग विज्ञान	4
2.	बाल रोग विज्ञान	10
3.	प्रसूती रोग और स्त्री रोग विज्ञान	4
4.	भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास	4
	(ज) संघात देखरेख केन्द्र डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	
1.	संवेदनाहरण	03
2.	साधारण शल्य चिकित्सा	01
3.	अस्थिभंग विज्ञान	01
4.	तंत्रिका शल्य चिकित्सा	01
5.	विकिरण विज्ञान	03
	योग	09
	(झ) महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं	
	1. सहायक महानिदेशक (आयुर्विज्ञान चिकित्सा)	01
	(ञ) अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता	
1.	निवारक और सामाजिक आयुर्विज्ञान	02
2.	लोक स्वास्थ्य	17
3.	सूक्ष्म जैव विज्ञान	04
	(ट) केन्द्रीय मनोरोग संस्थान, रांची	
1.	मनोरोग	07
2.	तंत्रिका विज्ञान	01
3.	विकिरण निदान	01
4.	संवेदनाहरण विज्ञान	01
5.	विकृति विज्ञान	01
6.	जैव-रसायन	01
	योग	12
	(ठ) अखिल भारतीय भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई	
1.	भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास	05
2.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र	
	(क) मौलाना आजाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नई दिल्ली	
1.	शरीर रचना विज्ञान	11
2.	शरीर क्रिया विज्ञान	11
3.	जीव विज्ञान	10
4.	विकृति विज्ञान	12
5.	भेषजगुण विज्ञान	08
6.	निरोधक और सामाजिक आयुर्विज्ञान	13
7.	शल्य चिकित्सा	16
8.	सूक्ष्म जीव विज्ञान	10

9.	आयुर्विज्ञान	15
10.	प्रसूति तथा स्त्री रोग विज्ञान	17
11.	विकिरणी आयुर्विज्ञान	09
12.	नेत्र विज्ञान	13
13.	बालरोग विज्ञान	16
14.	संवेदनाहरण विज्ञान	12
15.	कान, नाक तथा गला	08
16.	अस्थिभंग शल्य चिकित्सा	07
17.	चर्म तथा रति रोग	05
18.	न्यायिक आयुर्विज्ञान	07
19.	विकिरण आयुर्विज्ञान	06
20.	बाल रोग शल्य चिकित्सा	06
21.	मनोरोग विज्ञान	01
	योग	213
	(ख) गीता कॉलोनी, अतिविशेषज्ञता अस्पताल, गीता कॉलोनी, नई दिल्ली, मौलाना आजाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का संबद्ध अस्पताल	
1.	बालरोग विज्ञान	03
2.	संवेदनाहरण विज्ञान	01
3.	विकिरणी आयुर्विज्ञान	01
4.	अस्थिभंग विज्ञान	01
5.	नेत्र विज्ञान	01
6.	कान, नाक तथा गला	01
7.	त्वचा विज्ञान	01
8.	जैव रसायन	01
	योग	10
	(ग) गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, नई दिल्ली	
1.	तंत्रिका विज्ञान	09
2.	हृदय संवहनी, थोरेसिक शल्य चिकित्सा के साथ आमेलित	--
3.	तंत्रिका शल्य चिकित्सा	07
4.	मनोरोग विज्ञान	05
5.	हृदय रोग विज्ञान	11
6.	संवेदनाहरण	12
7.	जठरान्त्ररोगज्ञान	05
8.	सूक्ष्म जीव विज्ञान	05
9.	विकिरणी निदान	06
10.	विकृति विज्ञान	05
11.	जीव रसायन	05
12.	शल्य चिकित्सा	02
13.	जठरांत्र इंटेस्टीनल शल्य चिकित्सा	03
14.	हृदय संवहनी, वक्ष शल्य चिकित्सा	07
	योग	82

(घ) गुरु तेग बहादुर अस्पताल-सह-आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नई दिल्ली		
1.	आयुर्विज्ञान	05
2.	शल्य चिकित्सा	05
3.	स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति	05
4.	बाल रोग विज्ञान	04
5.	संवेदनाहरण विज्ञान	06
6.	विकिरणी विज्ञान	04
7.	कान, नाक तथा गला	02
8.	तंत्रिका विज्ञान	01
9.	विकरणी आयुर्विज्ञान	04
10.	नेत्र विज्ञान	02
11.	अस्थिभंग विज्ञान	02
12.	त्वचा विज्ञान	01
13.	तंत्रिका शल्य चिकित्सा	01
14.	अस्थि शल्य चिकित्सा	01
15.	त्वचा और रति विज्ञान	01
16.	विकृति विज्ञान	03
17.	मनोरोग विज्ञान	01
	योग	48
(II) अध्यापनेत्तर उप-काडर (विशेषज्ञ श्रेणी I /श्रेणी II या श्रेणी III		
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
(क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय		
1.	सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, नेत्र विज्ञान	01
2.	सहायक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (क्षय रोग)	01
3.	क्षय रोग अधिकारी	01
	योग	03
(ख) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली		
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	15
2.	चिकित्सक (न्यूक्लियर आयुर्विज्ञान)	01
3.	रुधिर विज्ञानी	03
4.	शल्य चिकित्सक	12
5.	विकृति विज्ञानी	11
6.	नेत्र विशेषज्ञ	01
7.	बाल रोग चिकित्सक	10
8.	संवेदनाहरण विज्ञानी	26
9.	प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञानी	14
10.	कैंसर शल्य चिकित्सक	02
11.	अस्थि शल्य चिकित्सक	07
12.	हृद-वक्ष या वक्ष शल्य चिकित्सक	04
13.	कान, नाक-गला विशेषज्ञ	01
14.	मूत्र विज्ञानी	02
15.	मनोरोग विज्ञानी	05

16.	विकिरणी आयुर्विज्ञान	05
17.	तंत्रिका विज्ञानी	01
18.	सूक्ष्म जीव विज्ञानी या जीवाणु विज्ञानी या सीरम विज्ञानी	09
19.	त्वचा रोग विज्ञानी या त्वचा रोग विशेषज्ञ	01
20.	विकिरणी निदान विशेषज्ञ	10
21.	न्यायिक आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	03
22.	चिकित्सक (वक्ष या श्वसन रोग)	03
23.	अंतःस्राव विज्ञानी	02
24.	जठरांत्र रोग विज्ञानी	02
25.	वृक्क रचना विज्ञान	02
26.	सहायक निदेशक (कायिक औषध और पुनर्वास)	06
27.	हृदय रोग विज्ञानी या चिकित्सक (हृदय रोग विज्ञान)	04
28.	प्लास्टिक शल्य चिकित्सक	20
29.	बाल रोग शल्य विज्ञानी	03
30.	तंत्रिका शल्य चिकित्सक	04
	योग	191
	(ग) डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	19
2.	शल्य चिकित्सक	09
3.	बाल रोग चिकित्सक	03
4.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	11
5.	अस्थिभंग शल्य चिकित्सक	07
6.	बाल रोग चिकित्सक और स्त्री रोग विज्ञानी	03
7.	मनोरोग विज्ञानी	01
8.	संवेदनाहरण विज्ञानी	13
9.	विकृति विज्ञानी	07
10.	जीवाणु विज्ञानी	05
11.	कान, नाक व गला विशेषज्ञ	02
12.	त्वचा विज्ञानी या त्वचा विशेषज्ञ	02
13.	तंत्रिका शल्य चिकित्सक	06
14.	अंतःस्राव विज्ञानी	02
15.	जठरांत्ररोग विज्ञानी	02
16.	वृक्क रचना विज्ञानी	04
17.	तंत्रिका विज्ञानी	02
18.	बाल चिकित्सा शल्य चिकित्सा	02
19.	मूत्र रोग विज्ञान	02
20.	प्लास्टिक शल्य चिकित्सक	05
21.	हृदय रोग विज्ञानी या चिकित्सक (हृदय रोग विज्ञान)	03
22.	हृदय रोग संवहनी थोरेसिक शल्य चिकित्सा	03

		योग	113
	(घ) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली		
1.	उप निदेशक या सहायक निदेशक (सूक्ष्म जीव विज्ञान)		15
		योग	15
	(ङ.) केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, चिंगलपट्ट		
1.	सहायक निदेशक(सूक्ष्म या जीवाणु विज्ञानी)		03
2.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ		02
3.	अस्थि शल्य चिकित्सक या सहायक निदेशक (अस्थि)		03
4.	विकृति विज्ञान या सहायक निदेशक (विकृति विज्ञान)		02
		योग	10
	(च) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली		
	सहायक निदेशक (सूक्ष्म जीवाणु विज्ञानी या जीवाणु विज्ञानी)		27
		योग	27
	(छ) राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलुरु		
1.	निदेशक (क्षय रोग विशेषता में)		01
2.	क्षय रोग विशेषता		03
		योग	04
	(ज) बैकिलस कालमेटे गुरिन(बी.सी.जी.) टीका प्रयोगशाला, गुंडी		
1.	निदेशक(सूक्ष्म जीव विज्ञान)		01
		योग	01
	(झ) अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई		
1.	उप निदेशक(पुनर्वास)		02
2.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ		01
3.	विकृति विज्ञानी		01
4.	संवेदनाहरण विज्ञानी		02
5.	आयुर्विज्ञान		01
		योग	07
	(ञ) कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली		
1.	भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास		01
2.	बाल चिकित्सा		02
3.	जीवाणु विज्ञानी		01
4.	विकरणी निदान		01
		योग	05
	(ट) लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नई दिल्ली		
1.	मनोरोग विज्ञानी		02
		योग	02
	(ठ) लक्षदीप प्रशासन		
1.	बाल रोग विज्ञानी		01
2.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ		01
3.	शल्य चिकित्सक		02
4.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी		02
5.	संवेदनाहरण विज्ञानी		02
6.	विकृति विज्ञानी		01
7.	नेत्र विज्ञानी		01

	योग	10
	(ड) सीरम विज्ञानी और रसायन परीक्षक का कार्यालय, कोलकाता	
1.	जीवाणु विज्ञानी	02
2.	विकृति विज्ञानी	01
	योग	03
	(ढ) क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान(आर.एल.टी.आर.आई.), गौरीपुर	
1.	सहायक निदेशक (अस्थिभंग शल्य चिकित्सा)	01
2.	सहायक निदेशक (विकृति विज्ञानी)	01
3.	सहायक निदेशक (जीवाणु विज्ञानी)	01
	योग	03
	(ण) अखिल भारतीय स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता	
	सूक्ष्म जीव विज्ञानी या सहायक निदेशक (सूक्ष्म)	01
	योग	01
	(त) क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान, आस्का	
1.	शल्य चिकित्सक	01
2.	विकृति विज्ञानी	01
	योग	02
	(थ) क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और संस्थान, रायपुर	
1.	सहायक निदेशक (जीवाणु विज्ञानी)	01
2.	सहायक निदेशक (विकृति विज्ञानी)	01
3.	सहायक निदेशक (अस्थिभंग शल्य चिकित्सा)	01
	योग	03
	(द) अंदमान और निकोबार प्रशासन	
1.	संवेदनाहरण विज्ञानी	09
2.	नाक, कान, गला विशेषज्ञ	01
3.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	09
4.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	08
5.	नेत्र विज्ञानविद या नेत्र विशेषज्ञ	01
6.	अस्थिभंग शल्य चिकित्सक	01
7.	बाल रोग विज्ञानी	04
8.	विकरणी निदान	01
9.	चर्म चिकित्सक या त्वचा विशेषज्ञ	01
10.	शल्य चिकित्सक	09
11.	मनोरोग विज्ञानी	01
12.	क्षय रोग विशेषज्ञ	01
	योग	46
	(ध) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, दिल्ली	
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ (एक उप राष्ट्रपति सचिवालय के लिए और तीन ई.एम.आर. स्कीम के अधीन अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए)	24
2.	शल्य चिकित्सक	07
3.	नेत्र विशेषज्ञ	11
4.	कान, नाक और गला विशेषज्ञ	09
5.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	12
6.	चर्म चिकित्सक या त्वचा विशेषज्ञ	09

7.	बाल चिकित्सा विज्ञानी	08
8.	मनोरोग विज्ञानी	04
9.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	03
10.	विकृति विज्ञानी	05
11.	अस्थिभंग शल्य चिकित्सक	01
12.	तंत्रिका विज्ञानी	01
13.	जैव रसायन विज्ञानी	06
	योग	100
	(न) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम औषधालय, उच्चतम न्यायालय परिसर, दिल्ली	
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01
2.	नेत्र विशेषज्ञ	01
3.	त्वचा विशेषज्ञ	01
4.	बाल रोग विशेषज्ञ	01
5.	भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास विशेषज्ञ	01
6.	हृदय विज्ञानी	01
7.	विकृति विज्ञानी या जैव रसायन शास्त्र	01
8.	कान, नाक और गला विशेषज्ञ	01
	योग	08
	(प) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, कोलकाता	
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01
2.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01
3.	नेत्र विशेषज्ञ	01
4.	विकृति विज्ञानी	01
5.	विकरणी निदान	01
6.	कान, नाक और गला विशेषज्ञ	01
7.	बाल रोग चिकित्सक	01
8.	चर्म चिकित्सक या त्वचा विशेषज्ञ	01
	योग	08
	(फ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, मुम्बई	
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	02
2.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	02
3.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	02
4.	नेत्र विशेषज्ञ	01
5.	विकृति विज्ञानी	02
6.	बाल रोग चिकित्सक	02
7.	चर्म चिकित्सक या त्वचा विशेषज्ञ	02
8.	नेत्र विशेषज्ञ	01
	योग	14
	(ब) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, मेरठ	
	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01
	योग	01
	(भ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, नागपुर	

1.	नेत्र विशेषज्ञ	01
2.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	02
3.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01
4.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01
5.	कान, नाक और गला विशेषज्ञ	01
6.	बाल रोग चिकित्सक	01
7.	चर्म चिकित्सक या त्वचा विशेषज्ञ	01
	योग	08
	(म) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, कानपुर	
1.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01
2.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	02
3.	विकृति विज्ञानी	01
4.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01
5.	कान, नाक और गला विशेषज्ञ	01
6.	बाल रोग चिकित्सक	01
7.	चर्म चिकित्सक या त्वचा विशेषज्ञ	01
8.	नेत्र विशेषज्ञ	01
	योग	09
	(य) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, चैन्नई	
1.	कान, नाक और गला विशेषज्ञ	02
2.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	03
3.	नेत्र विज्ञान विद विज्ञानी या नेत्र विशेषज्ञ	02
4.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	02
5.	बाल चिकित्सा विज्ञानी	02
6.	विकृति विज्ञानी	02
7.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	02
8.	चर्म चिकित्सक या त्वचा विशेषज्ञ	02
	योग	17
	(यक) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, इलाहाबाद	
1.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01
2.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	02
3.	विकृति विज्ञानी	02
4.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01
5.	बाल रोग चिकित्सा विज्ञानी	01
6.	चर्म चिकित्सक या त्वचा विशेषज्ञ	01
7.	कान, नाक और गला विशेषज्ञ	01
8.	नेत्र विशेषज्ञ	01
	योग	10
	(यख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, हैदराबाद	
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	02
2.	विकृति विज्ञानी	02
3.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	02

4.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01
5.	कान, नाक और गला विशेषज्ञ	02
6.	नेत्र विशेषज्ञ	02
7.	बाल चिकित्सा विज्ञानी	02
8.	चर्म चिकित्सक या त्वचा विशेषज्ञ	02
9.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01
	योग	16

	(यग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, बैंगलुरु	
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01
2.	विकृति विज्ञानी	01
3.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01
4.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01
5.	कान, नाक और गला विशेषज्ञ	01
6.	नेत्र विशेषज्ञ	01
7.	बाल रोग चिकित्सक	01
8.	चर्म चिकित्सक या त्वचा विशेषज्ञ	01
	योग	08

	(यघ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, पटना	
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01
2.	विकृति विज्ञानी	01
3.	कान, नाक और गला विशेषज्ञ	01
4.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01
5.	नेत्र विशेषज्ञ	01
6.	बाल रोग चिकित्सक	01
7.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01
8.	चर्म चिकित्सक या त्वचा विशेषज्ञ	01
	योग	08

	(यड.) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, लखनऊ	
	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	02
1.	विकृति विज्ञानी	02
2.	चर्म चिकित्सक या त्वचा विशेषज्ञ	01
3.	कान, नाक और गला विशेषज्ञ	01
4.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01
5.	नेत्र विशेषज्ञ	01
6.	बाल रोग चिकित्सक	01
7.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01
	योग	10

	(यच) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, अहमदाबाद	
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01

2.	विकृति विज्ञानी	01
	योग	02

	(यछ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, पुणे	
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01
2.	विकृति विज्ञानी	01
3.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी विशेषज्ञ	01
4.	नेत्र विशेषज्ञ	01
5.	बाल रोग चिकित्सक	01
6.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01
7.	चर्म चिकित्सक	01
	योग	07

	(यज) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, जयपुर	
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01
2.	विकृति विज्ञानी	01
3.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01
4.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01
5.	नेत्र विशेषज्ञ	01
6.	कान, नाक और गला विशेषज्ञ	01
7.	बाल रोग चिकित्सक	01
8.	चर्म चिकित्सक या त्वचा विशेषज्ञ	01
	योग	08

	(यझ) कृषि और सहकारिता पादप संरक्षण और संगरोध मंत्रालय	
1.	संयुक्त निदेशक (भेषजगुण आयुर्विज्ञान)	04
2.	उप निदेशक (भेषजगुण आयुर्विज्ञान)	02
3.	विकृति विज्ञानी	01
	योग	07

	(यञ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	
1.	सहायक निदेशक या निदेशक या संयुक्त निदेशक (अनुसंधान और विकास) (सूक्ष्म जीव विज्ञान या जीवाणु विज्ञान)	01
	योग	01

	(यट) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) भारतीय सिक्यूरिटी प्रैस, नासिक	
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01
2.	शल्य चिकित्सक	01
3.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01
4.	अस्थिभंग विशेषज्ञ	01
5.	संवेदनाहरण विज्ञानी	01
6.	विकिरणी विज्ञान	01
	योग	06

	(यठ) श्रम और रोजगार मंत्रालय (श्रम कल्याण संगठन)	
1.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	
	(i) बैंगलुरु क्षेत्र	01
	(ii) कोलकाता क्षेत्र	02
	(iii) हैदराबाद क्षेत्र	01
		योग 04

	(III लोक स्वास्थ्य उप-काडर)	
	विशेषज्ञ श्रेणी I या विशेषज्ञ श्रेणी II	
	(अ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	
	(क) परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान मुम्बई	
1.	निदेशक	01
2.	उप निदेशक	01
3.	सहायक आयुक्त (प्रतिरक्षण)	01
		योग 03
	(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	
1.	सहायक स्वास्थ्य महानिदेशक(कुष्ठ)	01
2.	सहायक स्वास्थ्य महानिदेशक(अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य)	01
3.	उप सहायक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, पब्लिक स्वास्थ्य और केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (पी.एच. और सीएचईवी)	01
4.	उप सहायक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, रोग प्रतिरक्षण का विस्तारित कार्यक्रम (ईपीआई)	01
5.	उप सहायक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (नेत्र विज्ञान)	01
6.	उप सहायक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (कुष्ठ)	01
		योग 06
	(ग) केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, चिंगलपट्ट, तमिलनाडु	
1.	उप निदेशक (जानपदिक रोग विज्ञान)	01
2.	सहायक निदेशक (जानपदिक रोग विज्ञान)	01
3.	सहायक निदेशक (जानपदिक रोग विज्ञान और मूल्यांकन)	01
		योग 03

	(घ) क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (छत्तीसगढ़)	
1.	निदेशक	01
2.	सहायक निदेशक (जानपदिक रोग विज्ञान)	01
		योग 02

	(ड.) क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर (पश्चिमी बंगाल)	
1.	निदेशक	01
2.	सहायक निदेशक (जानपदिक रोग विज्ञान)	01
		योग 02

	(च) क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का	
1.	निदेशक	01
		योग 01
	(छ) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली	
1.	उप निदेशक (जानपदिक रोग विज्ञान)	01
2.	सहायक निदेशक (फाइलेरिया)	01
3.	सहायक निदेशक	40
		योग 42
	(ज)राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बैंगलुरु	
1.	जानपदिक रोग विज्ञानी	01
		योग 01
	(झ) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, दिल्ली	
1.	उप निदेशक (जानपदिक रोग विज्ञान)	01
2.	क्षेत्रीय निदेशक (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) (अहमदाबाद हैदराबाद, भुवनेश्वर, लखनऊ)	04
3.	सहायक निदेशक	05
		योग 10
	(ञ) अखिल भारतीय स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता	
1.	चिकित्सा अधिकारी (औद्योगिक स्वास्थ्य)	01
2.	चिकित्सा अधिकारी (पोषण)	01
3.	जानपदिक रोग विज्ञानी	01
4.	चिकित्सा अधिकारी (विद्यालय स्वास्थ्य)	01
5.	चिकित्सा अधिकारी (गृह सेवा)	01
6.	क्षेत्रीय जानपदिक रोग विज्ञानी	01
7.	ग्रामीण क्षेत्र चिकित्सा अधिकारी (जनसंख्या नियंत्रण क्षेत्रीय अध्ययन)	01
		योग 07
	(ट) विमानपत्तन या पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मुम्बई	
1.	पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, मुम्बई	02
2.	विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, मुम्बई	01
		योग 03
	(ठ) विमानपत्तन या पत्तन स्वास्थ्य संगठन, कोलकाता	
1.	पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, कोलकाता	01
2.	विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, कोलकाता	01
		योग 02
	(ड) पत्तन स्वास्थ्य संगठन, चैन्नई	
	पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी	01
		योग 01
	(ढ) विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, दिल्ली	
1.	विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारी	01
		योग 01
	(ण) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार	
1.	उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा	02
		योग 02
	(त) परिवार कल्याण महानिदेशालय राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली	

1.	(थ) उप निदेशक (प्रतिरक्षण)	02
		योग 02
	(द) लक्षदीप प्रशासन	
1.	उप निदेशक	01
2.	क्षेत्रीय प्रतिरक्षण अधिकारी	01
		योग 02
	(ध) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	
1.	जानपदिक रोग विज्ञानी	01
		योग 01
	(न) अंदमान और निकोबार प्रशासन	
1.	उप निदेशक स्वास्थ्य सेवा	01
		योग 01
	(प) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	
1.	उप निदेशक (रक्त सुरक्षा)	01
2.	सहायक निदेशक	02
		योग 03

	(IV) साधारण ड्यटी चिकित्सा अधिकारी उप-काडर	
	(चिकित्सा अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी	
	(क) परिवार कल्याण विभाग	
1.	सहायक आयुक्त	10
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (क्षेत्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (इंफाल, जयपुर, चैन्नई)	04
3.	क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय (चिकित्सा अधिकारी या ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी)	
	बैंगलुरु	01
	भोपाल	01
	भुवनेश्वर	01
	कोलकाता	01
	चंडीगढ़	01
	हैदराबाद	01
	इंफाल	01
	जयपुर	01
	चैन्नई	01
	पटना	01
	पुणे	01
	शिलांग	02
	तिरुवनंथपुरम	01
		योग 29
	(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	
1.	उप निदेशक(तकनीकी)	01
2.	केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (मुख्य चिकित्सा अधिकारी या ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी)	05
3.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय(मुख्यालय), (मुख्य चिकित्सा अधिकारी या ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी)	08
	(ग) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	73
	(घ) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	67

	(ड.) क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	06
	(च) क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान, अस्का	03
	(छ) राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बैंगलुरु	04
	(ज) केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, चिंगलपट्ट	11
	(झ) क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर	
1.	उप निदेशक(मुख्य चिकित्सा अधिकारी)	01
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी या ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी	06
	(ञ) अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई	02
	(ट) केन्द्रीय मनोरोग संस्थान, रांची	
1.	उप चिकित्सा अधीक्षक (मुख्य चिकित्सा अधिकारी)	02
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी या ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी	06
	(ठ) लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नई दिल्ली	04
	(ड) कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली	04
	(ढ) अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता	28
	(ण) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली	06
	(त) सीरोलोजिकल और रसायन परीक्षक, भारत सरकार, कोलकाता	05
	(थ) ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़	15
	(द) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	04
	(ध) लक्षदीप प्रशासन	22
	(न) अंदमान और निकोबार प्रशासन	22
	(प) परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई	04
	(फ) राजकुमारी अमृत कौर परिचर्या महाविद्यालय, नई दिल्ली	01
	(ब) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, दिल्ली	01
	(भ) संचार मंत्रालय, डाक विभाग	128
	(म) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)	
	1. राष्ट्रीय अफीम और अल्कोहोली संकर्म, नीमच्छ	01
	(य) श्रम मंत्रालय	
1.	इलाहाबाद क्षेत्र	14
2.	बंगलुरु क्षेत्र	35
3.	अजमेर क्षेत्र	18
4.	भुवनेश्वर क्षेत्र	29
5.	कोलकाता क्षेत्र	24
6.	गोवा क्षेत्र	06
7.	हैदराबाद क्षेत्र	39
8.	जबलपुर क्षेत्र	34
9.	कारमा क्षेत्र	27
10.	नागपुर क्षेत्र	04
11.	फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलुरु	15
12.	विश्लेषिकी प्रशिक्षण संस्थान. मुम्बई	01
13.	विश्लेषिकी प्रशिक्षण, कोलकाता	01
14.	विश्लेषिकी प्रशिक्षण, हैदराबाद	01
	योग	248

(यक) गृह मंत्रालय	
1. आसूचना ब्यूरो	09
2. राष्ट्रीय सिविल सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर	01
(यख) नागर विमानन मंत्रालय	01
(यग) शहरी विकास मंत्रालय	13
(यघ) खाद्य और कृषि मंत्रालय	02
(यङ) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	02
(यच) सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद	04
(यछ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत का महासर्वेक्षक, देहरादून	11
(यज) परिवहन मंत्रालय	02
(यझ) विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन या पत्तन स्वास्थ्य संगठन	
1. पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मुम्बई	13
2. विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, मुम्बई	06
3. पत्तन स्वास्थ्य संगठन, कोलकाता	09
4. पत्तन स्वास्थ्य संगठन, चेन्नई	04
5. विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली	02
6. पत्तन स्वास्थ्य संगठन, कोचीन	02
7. पत्तन स्वास्थ्य संगठन, विशाखापट्टनम	02
8. पत्तन स्वास्थ्य संगठन, कांडला	02
9. पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मारमगांव	01
10. विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, दिल्ली	06
11. विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, कलकत्ता	04
12. अट्टारी सीमा संगठन, एपीएचओ, अमृतसर	02
	योग 53
(यज) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	
1. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली	686
2. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद	21
3. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, अहमदाबाद	14
4. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बंगलूरु	37
5. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई	83
6. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोलकाता	68
7. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई	35
8. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद	76
9. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर	39
10. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मेरठ	21
11. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर	22
12. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नागपुर	36
13. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पटना	16
14. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, भुवनेश्वर	06
15. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर	16
16. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, रांची	05
17. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, लखनऊ	30
18. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पुणे	28
19. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, गुवाहाटी	09
20. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, तिरुवनंतपुरम	09

(यट) बैकिलस कलमेट्रे गुरीन (बी.सी.जी) टीका प्रयोगशाला, गुंडी	01
(यठ) लेडी रीडिंग स्वास्थ्य विद्यालय, दिल्ली	01
(यड) केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे	
(i) चिकित्सा अधिकारी	01
(ii) महिला चिकित्सा अधिकारी	01
(यठ) दिल्ली दुग्ध स्कीम	
(यड) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)	
1. उप निदेशक (तकनीकी)	01
टिप्पण: कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	

अनुसूची 3

[देखें नियम 6(2)]

क्रम सं.	पद का नाम	प्रोन्नति के लिए भर्ती करने की पद्धति	चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा
I	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (साधारण प्रशासनिक श्रेणी पद):		
	(i) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा	---	स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे ज्येष्ठ विशेष महानिदेशक, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा के रूप में कार्य करेगा।
	(ii) विशेष महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा (लोक स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान शिक्षा या चिकित्सा सेवाएं)	चयन द्वारा प्रोन्नति	अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा और संस्थाओं और संगठनों या राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रमुख जो वेतन बैंड-4 में 67000-(वार्षिक वृद्धि @3 %) 79000 रुपए में उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं जिसके न हो सकने पर अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा और संस्थाओं और संगठनों या राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रमुख जो वेतन बैंड-4 में 67000-(वार्षिक वृद्धि @3 %) 79000 रुपए और जो 10,000 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 में 37400-67000 रुपए में पांच वर्ष की नियमित संयुक्त सेवा रखते हैं।
	(iii) अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा या संस्थाओं और संगठनों या राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रमुख	चयन द्वारा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	10,000 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 में 37400-67000 रुपए में उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी जिनके न हो सकने पर 10,000 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 में 37400-67000 रुपए के वेतन बैंड में दो वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में अधिकारी और जो यथास्थिति नियुक्ति के पश्चात् 12 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं या जो 8700 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 में 37400-67000 रुपए में प्रोफेसर या विशेषज्ञ ग्रेड 1 या प्रधान चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यकारी चयन ग्रेड) के

			स्तर पर प्रोन्नत किए गए हैं
II	अध्यापन विशेषज्ञ उप काडर पद		
	(क) ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	रिक्तियों को गणना में लिए बिना चयन द्वारा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	ऐसे प्रोफेसर जो 8700 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 में 37400-67000 रुपए में उस ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं
	(ख) प्रोफेसर	रिक्तियों को गणना में लिए बिना चयन द्वारा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर जो 7600 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए में उस ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं। टिप्पण: सेवा में सहायक प्रोफेसर के रूप में सम्मिलित होने से पूर्व ज्येष्ठ रेजिडेंसी की अवधि को भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसरण में प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए अपेक्षित कुल अनुभव की संगणना के लिए गणना में लिया जाएगा।
	(ग) एसोसिएट प्रोफेसर (अति विशेषज्ञता में और अतिविशेषज्ञताओं से भिन्न)	रिक्तियों को गणना में लिए बिना चयन द्वारा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	ऐसे सहायक प्रोफेसर जो 6600 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए में उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।
	(घ)(i) सहायक प्रोफेसर (अति विशेषज्ञता)	सीधी भर्ती	अनिवार्य: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। (ii) संबंधित विशेषज्ञता में या अनुसूची vi के भाग क में वर्णित अति विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर। (iii) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में पहली स्नातकोत्तर डिग्री अभिप्राप्त करने के पश्चात् ज्येष्ठ रेजिडेंट या अनुशिक्षक या प्रदर्शक या संबंधित विशेषज्ञता या अति विशेषज्ञता में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण: 1- डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) की पांच वर्ष की अवधि की अर्हता धारकों की दशा में उक्त डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) के अंतिम भाग में की गई ज्येष्ठ स्नातकोत्तर रेजिडेंसी की अवधि को अध्यापन अनुभव की अपेक्षा के लिए गणना में

			<p>लिया जाएगा।</p> <p>टिप्पण: 2- सहायक प्रोफेसर (और रुधिर अंतरण) के पद पर भर्ती के लिए प्रतिरक्षी-रुधिर विज्ञान और रुधिर अंतरण में मान्यता प्राप्त अध्यापन अस्पताल में या विकृति विज्ञान में प्रतिरक्षी-रुधिर विज्ञान और रुधिर अंतरण (रुधिर बैंक) में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ प्रतिरक्षी-रुधिर विज्ञान और रुधिर अंतरण (रुधिर बैंक) में व्याख्याता या अनुशिक्षक या ज्येष्ठ रेजिडेंट या प्रदर्शक के रूप में विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि के पश्चात् छह मास का अनुभव।</p> <p>टिप्पण: 3- वर्धमान महावीर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में क्रीडा संघात केन्द्र में सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए क्रीडा संघात या क्रीडा चिकित्सा में दो वर्ष का न्यूनतम अनुभव वांछनीय अर्हता होगी।</p> <p>टिप्पण: 4- साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी जैसे अन्य पद पर अध्यापन के अनुभव पर अध्यापन पदों में भर्ती के प्रयोजन के लिए पात्रता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।</p>
	(ii) सहायक प्रोफेसर (अति विशेषज्ञताओं से भिन्न)	सीधी भर्ती	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956(1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956(1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।</p> <p>(ii) संबंधित विशेषज्ञता में या अनुसूची vi के भाग क में वर्णित अति विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>(iii) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में पहली स्नातकोत्तर डिग्री अभिप्राप्त करने के पश्चात् ज्येष्ठ रेजिडेंट या अनुशिक्षक या प्रदर्शक या संबंधित विशेषज्ञता या अति विशेषज्ञता में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन(डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) की पांच</p>

			<p>वर्ष की अवधि की अर्हता धारकों की दशा में उक्त डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन(डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) के अंतिम भाग में की गई ज्येष्ठ स्नातकोत्तर रेजिडेंसी की अवधि को अध्यापन अनुभव की अपेक्षा के लिए गणना में लिया जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2: सहायक प्रोफेसर (और रुधिर अंतरण) के पद पर भर्ती के लिए प्रतिरक्षी-रुधिर विज्ञान और रुधिर अंतरण में मान्यता प्राप्त अध्यापन अस्पताल में या विकृति विज्ञान में प्रतिरक्षी-रुधिर विज्ञान और रुधिर अंतरण (रुधिर बैंक) में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ प्रतिरक्षी-रुधिर विज्ञान और रुधिर अंतरण (रुधिर बैंक) में व्याख्याता या अनुशिक्षक या ज्येष्ठ रेजिडेंट या प्रदर्शक के रूप में विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि के पश्चात् छह मास का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 3: वर्धमान महावीर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में क्रीडा संघात केन्द्र में सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए क्रीडा संघात या क्रीडा चिकित्सा में दो वर्ष का न्यूनतम अनुभव वांछनीय अर्हता होगी।</p> <p>टिप्पण 4: साधारण झूटी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी जैसे अन्य पद पर अध्यापन के अनुभव पर अध्यापन पदों में भर्ती के प्रयोजन के लिए पात्रता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।</p>
	III अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उप काडर पद		
	(क) ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	रिक्तियों को गणना में लिए बिना चयन द्वारा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उप काडर ग्रेड 1 में वेतन बैंड-4 में 37400-67000 रुपए के वेतनमान में 8700 रुपए ग्रेड वेतन में सात वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले अधिकारी।
	(ख) विशेषज्ञ ग्रेड		
	(1) विशेषज्ञ ग्रेड-I	रिक्तियों को गणना में लिए बिना चयन द्वारा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उप काडर ग्रेड 2 में वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए के वेतनमान में 7600 रुपए ग्रेड वेतन में चार वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले अधिकारी।
	(2) (i) विशेषज्ञ ग्रेड-II (अति विशेषज्ञताएं)	रिक्तियों को गणना में लिए बिना चयन द्वारा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उप काडर (अति विशेषज्ञता) ग्रेड 3 में वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए के वेतनमान में 6600 रुपए ग्रेड वेतन में दो वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले अधिकारी।
	(ii) विशेषज्ञ ग्रेड-II (अति विशेषज्ञताओं से भिन्न)	रिक्तियों को गणना में लिए बिना चयन द्वारा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उप काडर (अति विशेषज्ञताओं से भिन्न) ग्रेड 1 में वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए के वेतनमान में 6600 रुपए ग्रेड वेतन में दो वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले अधिकारी।

(3)(i) विशेषज्ञ ग्रेड-III (अति विशेषज्ञताएं)	सीधी भर्ती	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता । तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956(1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए ।</p> <p>(ii) संबंधित विशेषज्ञता में या अनुसूची vi के भाग क या भाग ख में वर्णित अति विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा ।</p> <p>(iii) स्नातकोत्तर डिग्री अभिप्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता या अतिविशेषता में तीन वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन(डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) की पांच वर्ष की अवधि की अर्हता धारकों की दशा में उक्त डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) के अंतिम भाग में की अवधि को ज्येष्ठ स्नातकोत्तर रेजिडेंसी की अवधि को अध्यापन अनुभव की अपेक्षा के लिए गणना में लिया जाएगा ।</p> <p>टिप्पण 2: चिकित्सक (वक्ष और श्वास संबंधी रोग) के पद के लिए श्वास रोग और श्वास प्रयोगशाला में तीन वर्ष का अनुभव अपेक्षित है ।</p>
(ख) विशेषज्ञ ग्रेड -III (अति विशेषज्ञताओं से भिन्न)	सीधी भर्ती	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता । तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए ।</p> <p>(ii) संबंधित विशेषज्ञता में या अनुसूची vi के भाग क या भाग ख में वर्णित अति विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा ।</p>

			<p>(iii) स्नातकोत्तर डिग्री अभिप्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता या अतिविशेषता में तीन वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) की पांच वर्ष की अवधि की अर्हता धारकों की दशा में उक्त डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) के अंतिम भाग में की अवधि को ज्येष्ठ स्नातकोत्तर रेजिडेंसी की अवधि को अध्यापन अनुभव की अपेक्षा के लिए गणना में लिया जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2: चिकित्सक (वक्ष और श्वास संबंधी रोग) के पद के लिए श्वास रोग और श्वास प्रयोगशाला में तीन वर्ष का अनुभव अपेक्षित है।</p>
	लोक स्वास्थ्य उप काडर पद		
	(क) ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	रिक्तियों को गणना में लिए बिना चयन द्वारा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	ऐसे विशेषज्ञ ग्रेड-1 अधिकारी जो लोक स्वास्थ्य उप काडर में 8700 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 में 37400-67000 रुपए में सात वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।
	(ख) विशेषज्ञ ग्रेड		
	(1) विशेषज्ञ ग्रेड-1	रिक्तियों को गणना में लिए बिना चयन द्वारा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	ऐसे विशेषज्ञ ग्रेड-2 अधिकारी जो लोक स्वास्थ्य उप काडर में 7600 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए में चार वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।
	(2) विशेषज्ञ ग्रेड-2	रिक्तियों को गणना में लिए बिना चयन द्वारा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	ऐसे विशेषज्ञ ग्रेड-2 अधिकारी जो लोक स्वास्थ्य उप काडर में 6600 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए में दो वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।
	(3) विशेषज्ञ ग्रेड-3	सीधी भर्ती	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।</p> <p>(ii) संबंधित विशेषज्ञता में या अनुसूची vi के भाग क या भाग ख में वर्णित अति विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा।</p> <p>(iii) स्नातकोत्तर डिग्री अभिप्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में तीन वर्ष का अनुभव या</p>

			स्नातकोत्तर डिप्लोमा अभिप्राप्त करने के पश्चात् विशेषज्ञता में पांच वर्ष का अनुभव।
	साधारण ड्यूटी उप कांडर पद		
	(क) साधारण ड्यूटी उप कांडर पद	रिक्तियों को गणना में लिए बिना चयन द्वारा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	ऐसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यकारी चयन ग्रेड) जो वेतन बैंड-4 में 37400-67000 रुपए के वेतनमान में 8700 रुपए ग्रेड वेतन में सात वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में बीस वर्ष की सेवा रखते हैं।
V	(ख) चिकित्सा अधिकारी		
	(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यकारी चयन ग्रेड)	रिक्तियों को गणना में लिए बिना चयन द्वारा प्रोन्नति	ऐसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए के वेतनमान में 7600 रुपए ग्रेड वेतन में चार वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में बीस वर्ष की सेवा रखते हैं।
	(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी	रिक्तियों को गणना में लिए बिना चयन द्वारा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	ऐसे ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी जो वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए के वेतनमान में 6600 रुपए ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।
	(3) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	रिक्तियों को गणना में लिए बिना चयन द्वारा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	ऐसे ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी जो वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए के वेतनमान में 5400 रुपए ग्रेड वेतन में चार वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।
	(4) चिकित्सा अधिकारी	(1) आयोग द्वारा संचालित लिखित परीक्षा जिसके पश्चात् साक्षात्कार के आधार पर या इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा विनिश्चित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताओं के अनुसार साक्षात्कार द्वारा आयोग द्वारा सीधी भर्ती। भर्ती के लिए अनुसरण की जाने वाली वास्तविक विधि का विनिश्चय नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक अवसर पर आयोग के परामर्श के आधार पर किया जाएगा।	अनिवार्य: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। (ii) अनिवार्य चक्रानुक्रमी इंटरनशिप—ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने चक्रानुक्रमी इंटरनशिप पूरी नहीं की हो लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे परंतु चयन किए जाने पर उन्हें नियुक्ति के पूर्व अनिवार्य इंटरनशिप समाधानप्रद रूप से पूरी करनी होगी।

अनुसूची-4

[देखें नियम 2(ग), 6(3) (i), 6(5) और 6(7)]

अ. प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति**उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड****I. साधारण प्रशासनिक पद:****(1) स्वास्थ्य सेवा के विशेष महानिदेशक के पद के लिए**

(i) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य	अध्यक्ष
(ii) सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कोई अन्य सचिव	सदस्य

(2) स्वास्थ्य सेवा के अपर महानिदेशक या संस्थाओं और संगठनों या राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रमुखों के पद के लिए

(i) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य	अध्यक्ष
(ii) सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
(iii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा	सदस्य

II. अध्यापन विशेषज्ञ उप काडर पद

(क) ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी पद के लिए

(i) सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या उनका नाम निर्देशिती	सदस्य
(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कोई अन्य अपर सचिव	सदस्य

(ख) प्रोफेसर के पद के लिए

(i) सचिव या अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii) महानिदेशक या अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा	सदस्य
(iii) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
(iv) संयुक्त सचिव (स्थापना), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	सदस्य

(ग) सहबद्ध प्रोफेसर के ग्रेड के लिए

(i) अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या उनका नाम निर्देशिती	सदस्य
(iii) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य

III. अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उप काडर पद

(क) ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पद के लिए

(i) सचिव या अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा	सदस्य
(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कोई अपर सचिव	सदस्य

(ख) विशेषज्ञ ग्रेड 1 के पद के लिए

(i) सचिव या अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या उनका नाम निर्देशिती	सदस्य
(iii) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
(iv) संयुक्त सचिव (स्थापना), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	सदस्य

(ग) विशेषज्ञ ग्रेड 2 के पद के लिए

- | | |
|---|---------|
| (i) अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | अध्यक्ष |
| (ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या उनका नाम निर्देशिती | सदस्य |
| (iii) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | सदस्य |

IV. लोक स्वास्थ्य उप काडर**(क) ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पद के लिए**

- | | |
|---|---------|
| (i) सचिव या अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | अध्यक्ष |
| (ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा | सदस्य |
| (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कोई अन्य अपर सचिव | सदस्य |

(ख) विशेषज्ञ ग्रेड 1 के पद के लिए

- | | |
|---|---------|
| (i) सचिव या अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | अध्यक्ष |
| (ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या उनका नाम निर्देशिती | सदस्य |
| (iii) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | सदस्य |
| (iv) संयुक्त सचिव (स्थापना), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग | सदस्य |

(ग) विशेषज्ञ ग्रेड 2 के पद के लिए

- | | |
|---|---------|
| (i) अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | अध्यक्ष |
| (ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या उनका नाम निर्देशिती | सदस्य |
| (iii) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | सदस्य |

V. साधारण ड्यूटी उप काडर पद**(क) ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पद के लिए**

- | | |
|---|---------|
| (i) सचिव या अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | अध्यक्ष |
| (ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा | सदस्य |
| (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कोई अन्य अपर सचिव | सदस्य |

(ख) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यकारी चयन ग्रेड) के पद के लिए

- | | |
|--|---------|
| (i) सचिव या अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | अध्यक्ष |
| (ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा | सदस्य |
| (iii) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | सदस्य |
| (iv) संयुक्त सचिव (स्थापना), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग | सदस्य |

(ग) मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए

- | | |
|---|---------|
| (i) सचिव या अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | अध्यक्ष |
| (ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा | सदस्य |
| (iii) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | सदस्य |

(घ) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए

(i) अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या उनका नाम निर्देशिती	सदस्य
(iii) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य

आ. सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति**(1) ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद के लिए**

(i) सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii) अपर सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
(iii) अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा	सदस्य

(2) विशेषज्ञ ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के पद के लिए**(अध्यापन या अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ या लोक स्वास्थ्य उप काडर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी और ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (साधारण ड्यूटी उप काडर)**

(i) अपर सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii) अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा	सदस्य
(iii) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य

(3) चिकित्सा अधिकारी (साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप काडर) के पद के लिए

(i) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii) निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम	सदस्य
(iii) उप सचिव (केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य

अनुसूची-5

[देखें नियम 6(8)]

उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड

क्रम सं.	पद का नाम	आयु	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)
I	साधारण प्रशासनिक पद 1. अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या संस्थाओं और संगठनों या राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रमुख। 67000-(3% की दर से वार्षिक वृद्धि) 79000 रुपए	50 वर्ष से अनधिक	अनिवार्य: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956(1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता । तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए । (ii) अनुसूची vi में वर्णित स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा । (iii) कम से कम 20 वर्ष के वृत्तिक अनुभव के साथ गहन

			व्यवहारिक और प्रशासनिक अनुभव जिसके अंतर्गत आयुर्विज्ञान शिक्षा पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था में प्रोफेसर के रूप में आठ वर्ष का अनुभव या नैदानिक या लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में समकक्ष अनुभव भी शामिल है ।
II	अध्यापन विशेषज्ञ उप काडर पद		
	(क) ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड निदेशक प्रोफेसर (10000 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 में 37400-67000 रुपए)	सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)	अनिवार्य: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता । तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए । (ii) अनुसूची vi के भाग 'क' में वर्णित स्नातकोत्तर डिग्री । (iii) कम से कम 16 वर्ष के वृत्तिक अनुभव के साथ गहन व्यवहारिक और प्रशासनिक अनुभव जिसमें से आयुर्विज्ञान महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान शिक्षण संस्था में प्रोफेसर के रूप में सात वर्ष का अनुभव । टिप्पण: साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य पद पर अध्यापन अनुभव पर अध्यापन पदों पर भर्ती के लिए पात्रता के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।
	(ख) विशेषज्ञ ग्रेड		
	(1) विशेषज्ञ ग्रेड-I ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (8700 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 में 37400-67000 रुपए)	50 वर्ष से अनधिक (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)	अनिवार्य: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता । तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए । (ii) अनुसूची vi के भाग 'क' में वर्णित संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री । (iii) कम से कम 12 वर्ष के वृत्तिक अनुभव के साथ गहन व्यवहारिक और प्रशासनिक अनुभव जिसमें से आयुर्विज्ञान महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान शिक्षण संस्था में सहबद्ध प्रोफेसर के रूप में अपेक्षित स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता के पश्चात् कम से कम चार वर्ष का अनुभव ।

			<p>टिप्पण: साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य पद पर अध्यापन अनुभव पर अध्यापन पदों पर भर्ती के लिए पात्रता के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।</p>
<p>(2) (i) विशेषज्ञ ग्रेड-II सहबद्ध प्रोफेसर (अतिशेषज्ञता) (7600 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए)</p>	<p>50 वर्ष से अनधिक (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p>	<p>अनिवार्य: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956(1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। (ii) अनुसूची vi में वर्णित संबंधित अति विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री। (iii) पहली स्नातकोत्तर डिग्री अभिप्राप्त करने के पश्चात् किसी आयुर्विज्ञान शिक्षा की मान्यता प्राप्त संस्था में संबंधित विशेषज्ञता में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जिसमें से उस अति विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के रूप में कम से दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</p> <p>वांछनीय: इंडेक्स मेडिकस या राष्ट्रीय पत्रों में कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशनों का सूचीकरण।</p> <p>टिप्पण 1: साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य पद पर अध्यापन अनुभव पर अध्यापन पदों पर भर्ती के लिए पात्रता के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2 : डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) की पांच वर्ष की अवधि की अर्हता धारकों की दशा में उक्त डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) के अंतिम भाग में की गई ज्येष्ठ स्नातकोत्तर रेजिडेंसी की अवधि को अध्यापन अनुभव की अपेक्षा के लिए गणना में लिया जाएगा।</p>	
<p>(ii) विशेषज्ञ ग्रेड-II सहबद्ध प्रोफेसर (अतिशेषज्ञता से भिन्न) (7600 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए)</p>	<p>50 वर्ष से अनधिक (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की</p>	<p>अनिवार्य: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। (ii) अनुसूची vi के भाग 'क' में वर्णित संबंधित विशेषज्ञता में</p>	

		जा सकती है।)	<p>स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>(iii) संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता अभिप्राप्त करने के पश्चात् अनुशिक्षक या प्रदर्शक या ज्येष्ठ रेजिडेंट या रजिस्ट्रार या व्याख्याता के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य पद पर अध्यापन अनुभव पर अध्यापन पदों पर भर्ती के लिए पात्रता के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2 : डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन(डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) की पांच वर्ष की अवधि की अर्हता धारकों की दशा में उक्त डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन(डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) के अंतिम भाग में की गई ज्येष्ठ स्नातकोत्तर रेजिडेंसी की अवधि को अध्यापन अनुभव की अपेक्षा के लिए गणना में लिया जाएगा।</p>
	<p>(iii) विशेषज्ञ ग्रेड-III सहायक प्रोफेसर (विशेषज्ञता और अति विशेषज्ञता से भिन्न) (6600 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए)</p>	<p>40 वर्ष से अनधिक (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p>	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।</p> <p>(ii) अनुसूची vi के भाग 'क' में वर्णित संबंधित विशेषज्ञता या अति विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>(iii) संबंधित विशेषज्ञता या अति विशेषज्ञता में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में पहली स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता अभिप्राप्त करने के पश्चात् ज्येष्ठ रेजिडेंट या अनुशिक्षक या प्रदर्शक या रजिस्ट्रार के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन(डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) की पांच वर्ष की अवधि की अर्हता धारकों की दशा में उक्त डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन(डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) के अंतिम भाग में की गई ज्येष्ठ स्नातकोत्तर रेजिडेंसी की अवधि को अध्यापन अनुभव की अपेक्षा के लिए गणना में लिया जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2 : सहायक प्रोफेसर (और रुधिर अंतरण) के पद पर भर्ती के लिए प्रतिरक्षी-रुधिर विज्ञान और रुधिर अंतरण में मान्यता प्राप्त अध्यापन अस्पताल में या विकृति विज्ञान में</p>

			<p>प्रतिरक्षी-रुधिर विज्ञान और रुधिर अंतरण (रुधिर बैंक) में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ प्रतिरक्षी-रुधिर विज्ञान और रुधिर अंतरण (रुधिर बैंक) में व्याख्याता या अनुशिक्षक या ज्येष्ठ रेजिडेंट या प्रदर्शक के रूप में विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि के पश्चात् छह मास का अनुभव ।</p> <p>टिप्पण 3: वर्धमान महावीर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में क्रीडा संघात केन्द्र में सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए क्रीडा संघात या क्रीडा चिकित्सा में दो वर्ष का न्यूनतम अनुभव वांछनीय अर्हता होगी ।</p> <p>टिप्पण 4: साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य पद पर अध्यापन अनुभव पर अध्यापन पदों पर भर्ती के लिए पात्रता के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।</p>
III	अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उप काडर		
	(क) ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (10000 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 में 37400-67000 रुपए)	50 वर्ष से अनधिक (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता । तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए ।</p> <p>(ii) अनुसूची vi में वर्णित संबंधित विशेषज्ञता या अति विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा ।</p> <p>(iii) व्यवहारिक और प्रशासनिक अनुभव के साथ कम से कम 16 वर्ष का वृत्तिक अनुभव ।</p>
	(ख) विशेषज्ञ ग्रेड: (i) विशेषज्ञ ग्रेड I (8700 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 में 37400-67000 रुपए)	50 वर्ष से अनधिक (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता । तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए ।</p>

		जा सकती है।)	(ii) अनुसूची vi में वर्णित संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा। (iii) (क) व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव के साथ कम से कम 12 वर्ष का वृत्तिक अनुभव जिसमें से व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव के साथ अति विशेषज्ञताओं में पांच वर्ष का अनुभव : परंतु उप निदेशक (पुनर्वास) के पद के लिए उससे या उसके पास दस वर्ष का वृत्तिक अनुभव होना चाहिए। परंतु यह और ज्येष्ठ थोरेसिक विशेषज्ञ के पद के लिए उसके पास दो वर्ष का हृदय संबंधी शल्य चिकित्सा का अनुभव होना चाहिए।
	(ii)(क) विशेषज्ञ ग्रेड-II (अतिविशेषज्ञताएं) (7600 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए)	50 वर्ष से अनधिक (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	अनिवार्य: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। (ii) अनुसूची vi में वर्णित संबंधित अति विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री। (iii) पहली स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता अभिप्राप्त करने के पश्चात् संबंधित अति विशेषज्ञता में पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण: डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) की पांच वर्ष की अवधि की अर्हता धारकों की दशा में उक्त डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) के अंतिम भाग में की गई ज्येष्ठ स्नातकोत्तर रेजिडेंसी की अवधि को अध्यापन अनुभव की अपेक्षा के लिए गणना में लिया जाएगा।
	(ख) विशेषज्ञ ग्रेड-II (अतिविशेषज्ञताएं) (7600 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए)	50 वर्ष से अनधिक (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	अनिवार्य: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। (ii) अनुसूची vi के भाग 'क' या भाग 'ख' में वर्णित संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा। (iii) पहली स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता अभिप्राप्त करने के

			<p>पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में पांच वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर डिप्लोमा अभिप्राप्त करने के पश्चात् सात वर्ष का अनुभव ।</p> <p>टिप्पण: डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) की पांच वर्ष की अवधि की अर्हता धारकों की दशा में उक्त डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) के अंतिम भाग में की गई ज्येष्ठ स्नातकोत्तर रेजिडेंसी की अवधि को अध्यापन अनुभव की अपेक्षा के लिए गणना में लिया जाएगा ।</p>
	<p>(iii) विशेषज्ञ ग्रेड-III (अतिविशेषज्ञता और अतिविशेषज्ञता से भिन्न) (6600 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए)</p>	<p>40 वर्ष से अनधिक (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)</p>	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता । तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए ।</p> <p>(ii) अनुसूची vi के भाग 'क' या भाग 'ख' में वर्णित संबंधित विशेषज्ञता या अतिविशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा ।</p> <p>(iii) पहली स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता अभिप्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता या अतिविशेषज्ञता में दो वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर डिप्लोमा अभिप्राप्त करने के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव ।</p> <p>टिप्पण 1: डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) की पांच वर्ष की अवधि की अर्हता धारकों की दशा में उक्त डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या मास्टर ऑफ चिरुरजियाई (एम.सीएच.) के अंतिम भाग में की गई ज्येष्ठ स्नातकोत्तर रेजिडेंसी की अवधि को अध्यापन अनुभव की अपेक्षा के लिए गणना में लिया जाएगा ।</p> <p>टिप्पण 2 : चिकित्सक (वक्ष और श्वास संबंधी रोग) के पद के लिए श्वास रोग और श्वास प्रयोगशाला में तीन वर्ष का अनुभव अपेक्षित है ।</p>
IV	लोक स्वास्थ्य उप काडर		
	<p>(क) ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वेतन बैंड 4, 10000 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000):</p>	<p>40 वर्ष से अनधिक (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या</p>	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता ।</p>

		अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। (ii) अनुसूची vi के लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा। (iii) व्यवहारिक और प्रशासनिक अनुभव के साथ 16 वर्ष का वृत्तिक अनुभव।
	(ख) विशेषज्ञ ग्रेड:		
	(i) विशेषज्ञ ग्रेड-I (वेतन बैंड 4, 10000 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000):	40 वर्ष से अनधिक (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	अनिवार्य: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। (ii) अनुसूची vi के भाग 'क' या भाग 'ख' में वर्णित लोक स्वास्थ्य की संबंधित विशेषज्ञता या अतिविशेषज्ञता से संबंधित स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा। (iii) व्यवहारिक और प्रशासनिक अनुभव के साथ 12 वर्ष का वृत्तिक अनुभव जिसमें से आठ वर्ष का अनुभव लोक स्वास्थ्य से संबद्ध जिम्मेदार पद पर होना चाहिए।
	(ii)	40 वर्ष से अनधिक (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	अनिवार्य: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। (ii) अनुसूची vi के भाग 'क' या भाग 'ख' में वर्णित लोक स्वास्थ्य में संबंधित विशेषज्ञता या अतिविशेषज्ञता से संबंधित स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा। (iii) स्नातकोत्तर डिग्री अभिप्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में पांच वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर डिप्लोमा अभिप्राप्त करने के पश्चात् सात वर्ष का अनुभव।

	(iii) विशेषज्ञ ग्रेड-II (वेतन बैंड 3, 6600 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 15600-39100):	40 वर्ष से अनधिक (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	अनिवार्य: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। (ii) अनुसूची vi के भाग 'क' या भाग 'ख' में वर्णित लोक स्वास्थ्य में संबंधित विशेषज्ञता या अतिविशेषज्ञता से संबंधित स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा। (iii) स्नातकोत्तर डिग्री अभिप्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में तीन वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर डिप्लोमा अभिप्राप्त करने के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव।
V	साधारण ड्यूटी उप कांडर पद		
	(क) ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वेतन बैंड 4, 10000 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000)	50 वर्ष से अनधिक (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	अनिवार्य: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। (ii) अनुसूची vi में वर्णित स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा। (iii) व्यवहारिक और प्रशासनिक अनुभव के साथ सोलह वर्ष का वृत्तिक अनुभव।
	(ख) चिकित्सा अधिकारी ग्रेड		
	(i) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (7600 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए)	50 वर्ष से अनधिक (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की	अनिवार्य: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।

		जा सकती है।)	<p>(ii) व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव के साथ दस वर्ष का वृत्तिक अनुभव ; या अनुसूची 6 में वर्णित सुसंगत क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के साथ स्नातकोत्तर डिग्री धारकों की दशा में छह वर्ष का सुसंगत वृत्तिक अनुभव और स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों की दशा में आठ वर्ष का वृत्तिक अनुभव।</p> <p>टिप्पण: अपेक्षित वास्तविक अर्हता और अनुभव भर्ती के समय उपदर्शित किए जाएंगे।</p>
	(ii) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (6600 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए)	40 वर्ष से अनधिक (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।</p> <p>(ii) आयुर्विज्ञान स्नातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के पश्चात पांच वर्ष का अनुभव; या अनुसूची vi के सुसंगत क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के साथ स्नातकोत्तर डिग्री धारक की दशा में दो वर्ष का अनुभव और स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों की दशा में चार वर्ष का अनुभव।</p> <p>व्यवहारिक और प्रशासनिक अनुभव के साथ कम से कम दस वर्ष का वृत्तिक अनुभव; या सुसंगत क्षेत्र में अनुसूची vi में वर्णित स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के साथ स्नातकोत्तर डिग्री धारकों की दशा में छह वर्ष का वृत्तिक अनुभव और स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों की दशा में आठ वर्ष का वृत्तिक अनुभव।</p> <p>टिप्पण: अपेक्षित वास्तविक अर्हता और अनुभव भर्ती के समय उपदर्शित किए जाएंगे।</p>
	(iii) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (5400 रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए)	32 वर्ष से अनधिक	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956(1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में</p>

			<p>विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।</p> <p>(ii) अनिवार्य चक्रानुक्रमी इंटरनशिप का पूरा किया जाना – ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने चक्रानुक्रमी इंटरनशिप पूरी नहीं की हो लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे परंतु चयन किए जाने पर उन्हें नियुक्ति के पूर्व अनिवार्य इंटरनशिप समाधानप्रद रूप से पूरी करनी होगी।</p>
--	--	--	---

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 3 : अनुभव संबंधी अर्हता आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

टिप्पण 4 : चिकित्सा अधिकारी के पद पर लिखित परीक्षा के पश्चात् साक्षात्कार के आधार पर भर्ती की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख जिस वर्ष परीक्षा आयोजित की जाती है, उस वर्ष की 1, जनवरी होगी।

अनुसूची 6

[देखें नियम 6(9) और 6(10)]

क्रम सं.	विषय	भाग क	भाग ख
		अपेक्षित स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता	अपेक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमा अर्हता
	भाग (क) गैर नैदानिक		
1.	शरीर रचना विज्ञान	एमएस (शरीर रचना विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान) ; या विज्ञान (शरीर रचना विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ मेडिसन में बैचलर डिग्री और शल्य चिकित्सा में बैचलर डिग्री ; या एमएससी (शरीर रचना विज्ञान) के साथ विज्ञान (चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान) में डाक्टर डिग्री	
2.	शरीर क्रिया विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर क्रिया विज्ञान) ; या एमबीबीएस के साथ एमएससी (शरीर क्रिया विज्ञान) ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान) के साथ	

		चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान में डाक्टरेट (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान) ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान) के साथ डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान)	
3.	जैव रसायन विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव रसायन विज्ञान) ; या विज्ञान (जैव रसायन विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ मेडिसन में बैचलर डिग्री और शल्य चिकित्सा में बैचलर डिग्री ; या एमएससी (चिकित्सा जैव रसायन विज्ञान) के साथ डाक्टरेट (चिकित्सा जैव रसायन विज्ञान) डिग्री ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जैव रसायन) के साथ डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा जैव रसायन)	
4.	जैव भौतिकी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव भौतिकी) ; या एमएससी (जैव भौतिकी या चिकित्सा जैव रसायन) के साथ डाक्टरेट (जैव भौतिकी) डिग्री ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव रसायन) के साथ जैव भौतिकी में एक वर्ष का प्रशिक्षण	नैदानिक विकृति विज्ञान में डिप्लोमा विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान में डिप्लोमा
5.	भेषज गुण विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (भेषज गुण विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ फिलोस्फी (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान) के साथ चिकित्सा बैचलर या शल्य क्रिया बैचलर ; या विज्ञान निष्णात (भेषज गुण विज्ञान) के साथ डाक्टर ऑफ फिलोस्फी (भेषज गुण विज्ञान) ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान) के साथ डाक्टर ऑफ साइंस (भेषज गुण विज्ञान)	नैदानिक विकृति विज्ञान में डिप्लोमा विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान में डिप्लोमा
6.	विकृति विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ फिलोस्फी (विकृति विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ साइंस (विकृति विज्ञान)	
7.	जीवाणु विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जीवाणु विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान) ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ चिकित्सा में बैचलर और शल्य क्रिया में बैचलर डिग्री ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ फिलोस्फी (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ	

		डाक्टर ऑफ फिलोस्फी (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान)	
	ख. नैदानिक		
1.	सामान्य चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण चिकित्सा)	
2.	न्याय आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (न्याय आयुर्विज्ञान)	
3.	विकिरण आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण आयुर्विज्ञान) डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण चिकित्सा)	विकिरण आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा
4.	बाल चिकित्सा विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल चिकित्सा)	बाल रोग विज्ञान, बाल स्वास्थ्य में डिप्लोमा
5.	नैदानिक रुधिर विज्ञान	चिकित्सा या विकृति विज्ञान में रुधिर विज्ञान में तीन वर्ष के अनुभव के साथ डाक्टर ऑफ मेडिसन	
6.	क्षय रोग और श्वसन आयुर्विज्ञान, फुफ्फुसीय आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग और फुफ्फुसीय रोग) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) के साथ क्षय रोग में डिप्लोमा; या क्षय रोग और वक्ष रोगों में डिप्लोमा; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग और वक्ष रोग)	क्षय रोग में डिप्लोमा क्षय रोग और वक्ष रोग में डिप्लोमा
7.	मनोरोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोरोग विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोचिकित्सक आयुर्विज्ञान) ; या चिकित्सा में डाक्टर ऑफ मेडिसन के साथ मनोचिकित्सक आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा ; या मनोरोग विज्ञान (इडीआईएन) में दो वर्षीय पाठ्यक्रम, मनोरोग विज्ञान (मैकगिल) विश्वविद्यालय मान्द्रीयल, कनाडा से दो वर्षीय पाठ्यक्रम	मनोचिकित्सीय आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा
8.	रति रोग	डाक्टर ऑफ मेडिसन (रति रोग) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान और रति रोग) ; या चिकित्सा में डाक्टर ऑफ मेडिसन के साथ रति रोग में डिप्लोमा ; या	रति रोग में डिप्लोमा
9.	त्वचा विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान और रति रोग) ; या चिकित्सा में डाक्टर ऑफ मेडिसन के साथ त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा ; या	त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा
10.	त्वचा विज्ञान, रति रोग और कुष्ठ रोग	डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान और रति रोग) ; या	रति रोग और त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा

		डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान, रति रोग और कुष्ठ रोग) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान जिसके अंतर्गत रति रोग भी है) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान जिसके अंतर्गत रति रोग या कुष्ठ रोग भी है) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) के साथ रति रोग और त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा या त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा	त्वचा विज्ञान और रति रोग और त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा
11.	सामान्य शल्य चिकित्सा	शल्य चिकित्सा निष्णात (शल्य चिकित्सा) शल्य चिकित्सा निष्णात (सामान्य शल्य चिकित्सा)	
12.	आर्थोपेडिक्स	शल्य चिकित्सा निष्णात (आर्थोपेडिक्स)	आर्थोपेडिक्स में डिप्लोमा
13.	प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)	प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान में डिप्लोमा
14.	भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास	डाक्टर ऑफ मेडिसन (भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) के साथ भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास में डिप्लोमा ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (सामान्य शल्य चिकित्सा) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (आर्थोपेडिक्स) के साथ भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास (भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास) में विशेषज्ञता में विशेष प्रशिक्षण या भारत में किसी मान्यताप्राप्त संस्था में अनुमोदित विषय में दो वर्ष का समतुल्य प्रशिक्षण	
15.	नेत्र विज्ञान	शल्य चिकित्सा निष्णात (नेत्र विज्ञान) ; या एमडी (नेत्र विज्ञान)	नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा नेत्र विज्ञान, आयुर्विज्ञान और शल्य चिकित्सा में डिप्लोमा
16.	आटो-राइनो-लराइगोलोजी (कान, नाक और गला)	शल्य चिकित्सा निष्णात (आटो-राइनो-लराइगोलोजी)	नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा आटो-राइनो-लराइगोलोजी में डिप्लोमा
17.	प्रसूति और बाल स्वास्थ्य	डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) के साथ बाल स्वास्थ्य में डिप्लोमा या प्रसूति और बाल कल्याण में डिप्लोमा ; या	प्रसूति और बाल कल्याण में डिप्लोमा

		<p>शल्य चिकित्सा निष्णात (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) ; या</p> <p>डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसूति विज्ञान) ; या</p> <p>डाक्टर ऑफ मेडिसन (मिड और स्त्री रोग विज्ञान) ; या</p> <p>शल्य चिकित्सा निष्णात (मिड और और स्त्री रोग विज्ञान) ; या</p> <p>डाक्टर ऑफ मेडिसन (मिड और स्त्री रोग विज्ञान) ; या</p> <p>रायल कॉलेज ऑफ ओबस्टेट्रिशियन एंड गायनाकोलोजिस्ट, लंदन, यूनाइटेड किंगडम का सदस्य ; या</p> <p>डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा) ; या</p> <p>नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसस (इंटीग्रेटेड मेटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ) स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ ओबस्टेट्रिशियन एंड गायनाकोलोजी, (यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरीका) का सदस्य</p>	
18.	विकिरण निदान	<p>डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण निदान) ; या</p> <p>डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण विज्ञान) ; या</p> <p>शल्य चिकित्सा निष्णात (विकिरण विज्ञान)</p>	आयुर्विज्ञान और विकिरण निदान में डिप्लोमा या एक वर्ष का समतुल्य डिप्लोमा
19.	विकिरण चिकित्सा विज्ञान	<p>डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण निदान) ; या</p> <p>डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण विज्ञान) ; या</p> <p>शल्य चिकित्सा निष्णात ((विकिरण विज्ञान)</p>	आयुर्विज्ञान और विकिरण चिकित्सा में डिप्लोमा या एक वर्ष का समतुल्य डिप्लोमा
	18 और 19 के लिए	टिप्पण : वे व्यक्ति, जिन्होंने विकिरण विज्ञान में डाक्टर ऑफ मेडिसन या विकिरण विज्ञान में डिप्लोमा 1985 से पूर्व किया है विकिरण निदान विज्ञानी और विकिरण चिकित्सा के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे ।	
20	संवेदनाहरण विज्ञान	<p>डाक्टर ऑफ मेडिसन ; या</p> <p>शल्य चिकित्सा निष्णात (संवेदनाहरण विज्ञान)</p>	संवेदनाहरण विज्ञान में डिप्लोमा
21	न्युक्लियर आयुर्विज्ञान	<p>डाक्टर ऑफ मेडिसन (न्युक्लियर आयुर्विज्ञान) ; या</p> <p>डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण चिकित्सा) के साथ किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र में न्युक्लियर आयुर्विज्ञान में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) के साथ विकिरण चिकित्सा में डिप्लोमा या न्युक्लियर आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा; या</p> <p>डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण निदान) के साथ किसी</p>	

		मान्यता प्राप्त केन्द्र में न्युक्लियर आयुर्विज्ञान में दो वर्ष का अनुभव; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव-भौतिकी) या जैव-भौतिकी में उसके समतुल्य अर्हता के साथ विकिरण आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा न्युक्लियर आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा; या राष्ट्रीय बोर्ड से न्युक्लियर आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र में न्युक्लियर आयुर्विज्ञान में दो वर्ष का अनुभव	
22.	पोषण	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव रसायन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) ; या सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान में डाक्टर ऑफ मेडिसन ; या सामाजिक आयुर्विज्ञान में डाक्टर ऑफ मेडिसन ; या बाल रोग विज्ञान में डाक्टर ऑफ मेडिसन के साथ प्रायोगिक पोषण में एक वर्ष के विशेष प्रशिक्षण के साथ विज्ञान निषणात	
23.	मानव उपापचय	डाक्टर ऑफ मेडिसन (इंडोक्रिनोलोजी) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ इंडोक्रिनोलोजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण	
24.	प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण	डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रतिरक्षा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (जीवाणु विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (रुधिर विज्ञान) के साथ दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव या प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण विभाग में विशेष प्रशिक्षण	
25.	आनुवांशिकी आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (आनुवांशिकी आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आनुवांशिकी आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसुति और स्त्री रोग विज्ञान) के साथ आनुवांशिकी आयुर्विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण	
26.	कुटुंब आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (कुटुंब आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण आयुर्विज्ञान) ; या	
27.	विमानन आयुर्विज्ञान या विमानपत्तन आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विमानन आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विमानपत्तन आयुर्विज्ञान) ; या	

28.	वृद्धावस्था विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (कुटुंब आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (वृद्धावस्था विज्ञान) ; या	
29.	स्वास्थ्य प्रशासन	डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (अस्पताल प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) ; या	
30.	अस्पताल प्रशासन	डाक्टर ऑफ मेडिसन (अस्पताल प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन)	
31.	क्रीडा आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्रीडा आयुर्विज्ञान) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (अस्थि भंग विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान) के साथ क्रीडा आयुर्विज्ञान में दो वर्ष का अनुभव ; या	
32.	ट्रोपीकल आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (ट्रोपीकल आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान) धन दो वर्ष का नैदानिक आयुर्विज्ञान में अनुभव	
33.	संधिवातीयशास्त्र	डाक्टर ऑफ मेडिसन (संधिवातीयशास्त्र) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) के साथ संधिवातीयशास्त्र या प्रतिरक्षा विज्ञान में दो वर्ष का अनुभव	
34.	स्वास्थ्य शिक्षा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक आयुर्विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) ; या	
35.	सामुद्रिक आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) के साथ सामुद्रिक आयुर्विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ; या	
36.	वृत्तिक स्वास्थ्य	डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोरोग चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (बाल रोग विज्ञान)	
37.	विकिरणीय भौतिकी	विज्ञान निष्णात (भौतिकी) ; या विज्ञान निष्णात (रसायन शास्त्र) ; या विज्ञान निष्णात (जैव भौतिकी)के साथ डाक्टरेट(भौतिकी	

		या रसायन शास्त्र या जैव भौतिकी	
38.	विषाणु विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) ; या विज्ञान निष्णात (विषाणु आयुर्विज्ञान) के साथ विषाणु विज्ञान में डाक्टरेट	
	(ग) अतिविशेषज्ञताएं		
1.	जठार तंत्र आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जठार तंत्र आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (जठार तंत्र) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ जठार तंत्र में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ; या	
2.	तंत्रिका विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (तंत्रिका विज्ञान)	
3.	इंडोक्रिनोलाजी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (इंडोक्रिनोलाजी) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ इंडोक्रिनोलाजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ; या	
4.	हृदय रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (हृदय रोग विज्ञान) ; या	
5.	वृक्क रचना विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (वृक्क रचना विज्ञान) ; या	
6.	प्लास्टिक और पुनर्संरचना शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (प्लास्टिक शल्य) ; या मेजिस्टर चिरुरगुई (प्लास्टिक और पुनर्संरचना शल्य चिकित्सा) ; या	
7.	हृदय वाहिकीय और वक्षीय शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (हृदय संबंधी और वक्षीय शल्य चिकित्सा) ; या मेजिस्टर चिरुरगुई (वक्षीय शल्य चिकित्सा) ; या मेजिस्टर चिरुरगुई (हृदय शल्य चिकित्सा) ; या मेजिस्टर चिरुरगुई (वाहिकीय शल्य चिकित्सा) ; या	
8.	तंत्रिका शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (तंत्रिका शल्य चिकित्सा) ; या	
9.	बाल रोग शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (बाल रोग शल्य चिकित्सा)	
10.	मूत्र विज्ञान	मेजिस्टर चिरुरगुई (मूत्र विज्ञान)	
11.	जठार तंत्र शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (जठार तंत्र शल्य चिकित्सा)	
12.	नवजात विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (नवजात विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ नवजात विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ;	
13.	नैदानिक रुधिर विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (नैदानिक रुधिर विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ नवजात विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ;	
14.	नैदानिक भेषज गुण विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (भेषज गुण विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (भेषज गुण विज्ञान) के साथ नैदानिक	

		भेषज गुण विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ;	
15.	प्रतिरक्षा विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रतिरक्षा विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ नवजात विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ;	
16.	आनुवांशिकी आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (आनुवांशिकी) आयुर्विज्ञान ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (शरीर रचना विज्ञान) के साथ आनुवांशिकी आयुर्विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ;	
17.	अर्बुदविज्ञान आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (अर्बुदविज्ञान आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ बाल रोग विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ;	
18.	शल्य चिकित्सीय जठार तंत्र	मेजिस्टर चिरुरगुई (शल्य चिकित्सीय जठार तंत्र) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (शल्य चिकित्सा) के साथ शल्य चिकित्सा में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण; या	
19.	चिकित्सीय अर्बुदविज्ञान	मेजिस्टर चिरुरगुई (चिकित्सीय अर्बुदविज्ञान) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात या शल्य चिकित्सा निष्णात (कान, नाक, गला); या शल्य चिकित्सा निष्णात अस्थभंग विज्ञान; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान) के साथ चिकित्सीय अर्बुदविज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ;	
20.	बाल रोग हृदय	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग हृदय विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (हृदय विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ हृदय रोग विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ;	
	घ. लोक स्वास्थ्य		
1.	सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान या	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान) ; या	

	सामुदायिक आयुर्विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक आयुर्विज्ञान) ; या	
2.	लोक स्वास्थ्य	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक आयुर्विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) ; या	लोक स्वास्थ्य में डिप्लोमा, औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा, लोक स्वास्थ्य निष्णात, ट्रोपिकल आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा, ट्रोपिकल आयुर्विज्ञान और स्वच्छता में डिप्लोमा,

टिप्पण: 1- किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा दी गई कोई स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई मान्यता या वापस ली गई मान्यता के परिणामस्वरूप शामिल किया गया है या हटाया गया है को अनुसूची 6 से तदनुसार शामिल किया गया या हटाया गया समझा जाएगा।

टिप्पण: 2- किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा दी गई किसी स्नातकोत्तर अर्हता को अनुसूची 6 के प्रयोजनों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में अवश्य शामिल किया गया हो।

टिप्पण: 3- नियंत्रक प्राधिकारी, आयोग के परामर्श से अनुसूची 6 के भाग क, भाग ख, भाग ग या भाग घ में किसी आयुर्विज्ञान अर्हता को शामिल कर सकेगा।

अनुसूची- 7

[दिखें नियम 6(4)]

क्रम संख्या	पदोन्नति	की गई सेवा	बैंचमार्क	
	से	तक		
1. अध्यापन उपकांडर				
1.	सहायक प्रोफेसर ग्रेड वेतन 6600/-रु के साथ वेतन बैंड-3	सहायक प्रोफेसर	2 वर्ष की सेवा	अच्छा
2.	एसोसिएट प्रोफेसर ग्रेड वेतन 7600/-रु के साथ वेतन बैंड-3	प्रोफेसर	4 वर्ष की सेवा	बहुत अच्छा
3.	प्रोफेसर ग्रेड वेतन 8700/-रु के साथ वेतन बैंड-4	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड या निदेशक प्रोफेसर ग्रेड वेतन 10000/-रु के साथ वेतन बैंड-4	7 वर्ष की सेवा	यथास्थिति, वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट या गणना में ली जाने वाली वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के पूर्ववर्ती पांच वर्ष के लिए सभी पांचों बहुत अच्छा के साथ बहुत अच्छा
2. अध्यापनेतर उपकांडर				
1.	विशेषज्ञ ग्रेड-III ग्रेड वेतन 6600/-रु के साथ वेतन बैंड-3	विशेषज्ञ ग्रेड-II	2 वर्ष की सेवा	अच्छा
2.	विशेषज्ञ ग्रेड-II ग्रेड वेतन 7600/-रु के साथ वेतन बैंड-3	विशेषज्ञ ग्रेड-I	4 वर्ष की सेवा	बहुत अच्छा
3.	विशेषज्ञ ग्रेड-I ग्रेड वेतन 8700/-रु के साथ	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड या सलाहकार ग्रेड	7 वर्ष की सेवा	यथास्थिति, वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट या गणना में ली जाने वाली

	वेतन बैंड-4	वेतन 10000/-रु के साथ वेतन बैंड-4		वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के पूर्ववर्ती पांच वर्ष के लिए सभी पांचों बहुत अच्छा के साथ बहुत अच्छा
--	-------------	-----------------------------------	--	---

3. लोक स्वास्थ्य उपकांडर

1.	विशेषज्ञ ग्रेड-III ग्रेड वेतन 6600/-रु. के साथ वेतन बैंड-3	विशेषज्ञ ग्रेड-II	2 वर्ष की सेवा	बहुत अच्छा
2.	विशेषज्ञ ग्रेड-II ग्रेड वेतन 6600/-रु. के साथ वेतन बैंड-3	विशेषज्ञ ग्रेड-I	4 वर्ष की सेवा	बहुत अच्छा
3.	विशेषज्ञ ग्रेड-I ग्रेड वेतन 8700/-रु. के साथ वेतन बैंड-4	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड या सलाहकार ग्रेड वेतन 10000/-रु. के साथ वेतन बैंड-4	7 वर्ष की सेवा	यथास्थिति, वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट या गणना में ली जाने वाली वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के पूर्ववर्ती पांच वर्ष के लिए सभी पांचों बहुत अच्छा के साथ बहुत अच्छा

4. साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (जीडीएमओ) उपकांडर

1.	चिकित्सा अधिकारी ग्रेड वेतन 5400/-रु. के साथ वेतन बैंड-3	ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	4 वर्ष की सेवा	बहुत अच्छा
2.	ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड वेतन 6600/-रु. के साथ वेतन बैंड-3	प्रधान चिकित्सा अधिकारी	4 वर्ष की सेवा	बहुत अच्छा
3.	प्रधान चिकित्सा अधिकारी ग्रेड वेतन 7600/-रु. के साथ वेतन बैंड-3	प्रधान चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यकारी चयन ग्रेड)	4 वर्ष की सेवा	बहुत अच्छा
4.	प्रधान चिकित्सा अधिकारी ग्रेड वेतन 8700/-रु. के साथ वेतन बैंड-4	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड या सलाहकार ग्रेड वेतन 10000/-रु. के साथ वेतन बैंड-4	सात वर्ष की सेवा या साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी की बीस वर्ष की समग्र सेवा	यथास्थिति, वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट या गणना में ली जाने वाली वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के पूर्ववर्ती पांच वर्ष के लिए सभी पांचों बहुत अच्छा के साथ बहुत अच्छा

[फा. सं. ए. 12018/1/2004-सीएचएस वी (भाग)]

मुरारी लाल शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2014

G.S.R. 272(E).—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Health Service Rules, 1996, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and terms and conditions of the posts in the Central Health Service, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Central Health Service Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires, –
 - (a) “Commission” means the Union Public Service Commission;
 - (b) “Controlling Authority” means the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare;
 - (c) “Departmental Promotion Committee” means a Group ‘A’ Departmental Promotion Committee specified in Schedule IV for considering cases of promotion or confirmation in Group ‘A’ posts of the Service;
 - (d) “Duty Post” means any post, whether permanent or temporary, specified in Schedule II;
 - (e) “Dynamic Assured Career Progression Scheme” means the scheme formulated by the Controlling Authority for time bound promotion of the officers of the Service without taking into account the vacancies, on such terms and conditions as may be specified by the Government from time to time;
 - (f) “Government” means the Government of India;
 - (g) “Grade” means any of the grades specified in Schedule I;
 - (h) “Public Health Qualification” means a recognized public health qualification specified in any of the Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);
 - (i) “Schedule” means a Schedule to these rules;
 - (j) “Scheduled Castes” and “Scheduled Tribes” shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution;
 - (k) “Service” means the Central Health Service;
 - (l) “Sub-Cadre” means any of the four streams of the Service, namely, General Duty, Public Health, Non Teaching Specialist and Teaching Specialist, as the case may be;
3. **Composition of the Service.**—All duty posts, included in the Service shall be classified as Central Civil Service Group ‘A’ and the Grades, Pay Band, Grade Pay or Pay Scale, non-practicing allowance and other matters connected therewith shall be as specified in Schedule-I.
4. **Authorised strength of the Service.**—(1) The authorized strength of the duty posts included in the various grades of the Service on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule-II.
(2) After the commencement of these rules, the authorised permanent strength of the duty posts in the various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Government.
(3) The Government may make temporary addition to, or reduction in, the strength of the duty posts in the various grades as deemed necessary from time to time.
(4) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in Schedule-II or exclude from the Service a post included in the said Schedule.
(5) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4), to the appropriate grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.
(6) Ten percent of the total number of posts in each Sub-Cadre of Service shall be included in the Service as “training or leave or deputation reserve”.
5. **Members of the Service.**—(1) The following persons shall be members of the Service, namely:-
 - (a) persons appointed under sub-rule (5) of rule 4;
 - (b) persons appointed to duty posts under rule 6 ; and
 - (c) persons appointed to duty posts under rule 7.
 - (2) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him as specified in Schedule-II.
 - (3) A person appointed under clause (c) of sub-rule (1) shall, be the Member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-II from the date of such appointment.
6. **Future Maintenance of Service.**—(1) The vacancies in any of the grades referred to in Schedule-II shall be filled in the manner as hereinafter provided under these rules.
(2) The method of recruitment, the field of selection for promotion, including the minimum qualifying service in the immediate lower grade or lower grades as the case may be, for appointment or promotion to the posts in the respective Sub-Cadres and specialities within the Sub-Cadre concerned, included in the Service shall be as specified in Schedule-III.

(3) (i) The departmental promotions upto Senior Administrative Grade level shall be made as specified in Schedule-III without taking into account the vacancies and shall be confined to officers of respective Sub-Cadres on the recommendations of the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-IV.

(ii) The promotion to posts of Higher Administrative Grade shall be made on the basis of combined eligibility list of Senior Administrative Grade officers belonging to all the four Sub-Cadres of Central Health Service.

(iii) The combined eligibility list referred to in clause (ii) shall be prepared with reference to the dates of completion of the specified qualifying years of service by the officers in the Senior Administrative Grade:

Provided that for the purposes of preparing the combined eligibility list, the seniority of officers in the Senior Administrative Grade shall be determined as under, namely:—

(a) the seniority of persons in the concerned speciality and Sub-Cadre shall be on the basis of seniority in the feeder grade;

(b) if there is no seniority in the feeder grade or it is not possible to determine the seniority even in the feeder grade, the length of regular service in the feeder grade shall be the guiding factor for determining the seniority;

(c) if length of service in the feeder grade is also the same, regular service in the next lower grade shall be taken into account, failing which, the date of birth.

(4) The minimum benchmark required for promotion to various grades of the Service under the Dynamic Assured Career Progression Scheme shall be as specified in Schedule-VII

(5) The departmental promotions to Higher Administrative Grade Posts and above in the cadre shall be made on the basis of selection from amongst the officers of the Service in the immediate lower grade or lower grades, as the case may be, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted as specified in Schedule-IV.

(6) If any officer appointed to any post in the Service is considered for the purpose of promotion to the Higher Administrative Grade post, all persons senior to him in the grade of the respective Sub-Cadre or in the respective speciality of the Sub-Cadre, as the case may be, shall also be considered, provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have completed their probation period, if specified.

(7) Except while appointing a serving officer on non-selection basis (seniority-cum fitness), the selection of officers for maintenance of the Service shall be made in consultation with the Commission, and wherever necessary, on the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule IV.

(8) The minimum educational and other qualification, experience and age limit for appointment to various duty posts in the Service by direct recruitment shall be as specified in Schedule-V.

(9) The direct recruitment to posts belonging to Super-Specialities specified in Schedule VI for which minimum essential qualification is Doctorate of Medicine or Magister Chirurgie or equivalent shall be made in Pay Band- 3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of—

(i) Rs.6600 in the Teaching Specialist Sub-Cadre, and

(ii) Rs.6600 and Rs. 7600 in the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre.

(10) The recognized post-graduate qualifications required for recruitment to various posts included in the Service shall be as specified in Schedule VI.

Note 1: All the posts upto the level of Senior Administrative Grade in all the four Sub-Cadres are inter-changeable within their respective Sub-Cadres for the purpose of promotion under the Dynamic Assured Career Progression Scheme.

Note 2: The promotion to various grades of the Service upto Senior Administrative Grade level, other than entry grades, shall be without taking into account the vacancies.

7. Filling of Duty Posts by Deputation (including short term contract).—Notwithstanding anything contained in rule 6, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, fill not more than one hundred duty posts in all, in the grades of Medical Officer or Senior Medical Officer or Chief Medical Officer or Chief Medical Officer (Non-functional Selection Grade) in General Duty Sub-Cadre and Specialist Grade III or Specialist Grade II or Specialist Grade I in the Non-Teaching and Public Health Specialists Sub-Cadres and Assistant Professor or Associate Professor or Professor in the Teaching Sub-Cadre by deputation of suitable officers holding analogous posts under the Central Government including Ministries of Railways and Defence or State Governments or Union territories and by short term contract of suitable officers holding analogous posts

under the Statutory Bodies, Autonomous Bodies, Semi-Government Organizations, Universities or Recognized Research Institutions.

(2) The period of deputation and contract shall be for a period not exceeding three years, which may, in special circumstances, be extended in any case not beyond five years, as the Government may think fit.

8. (1) Seniority.- The relative seniority of members of the Service appointed to a grade in the respective Sub-Cadres or in the respective specialty of the Sub-Cadre of the Service, as the case may be, on the date of commencement of these rules shall be as determined by the Government:

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules.

(2) The seniority of officers appointed to the Service other than those appointed under rule 5 shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.

(3) The seniority of persons appointed to the Service in accordance with sub-rule (5) of rule 4 shall be fixed in the manner provided therein.

(4) The seniority of a person in all the Sub-Cadres who are promoted to the posts upto the level of Senior Administrative Grade shall be same as the relative seniority in the lower grade within Sub-Cadre from which they are promoted:

Provided that, in the case of persons found 'unfit' for time-bound promotion, their seniority shall be determined with reference to the date of actual promotion at each level in each Sub-Cadre.

(5) In cases not covered by this rule, seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

9. (1) Probation.—Every officer appointed to the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of one year:

Provided that a Medical Officer appointed in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 5400/- shall be on probation for a period of two years:

Provided further that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this behalf:

Provided also that any decision for extension of the period of probation of an officer shall be taken immediately after the expiry of initial period of probation and ordinarily within eight weeks and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officer shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed in terms of the extant order of the Government.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge the officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, officers may be required by the Government to undergo such courses of training or to pass such examinations or tests including examination in Hindi as the Government may deem fit as condition for satisfactory completion of probation.

(5) The other matters relating to probation of the members of the Service shall be governed by the orders or instructions issued by the Government in this regard from time to time.

10. Appointment in the Service.—All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority.

11. Posting. – Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

12. Liability to serve Defence services or posts connected with Defence.—Any officer appointed to the Service, if so required, shall be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training, if any;

Provided that such officer shall not—

(a) be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of his appointment to the Service or from the date of his joining the Service;

(b) ordinarily be required to serve as aforesaid if he has attained the age of 45 years.

13. Private practice prohibited.—(1) Persons appointed to the Service shall not be allowed private practice of any kind whatsoever including any consultation and laboratory practice.

(2) The members of the Service, who are registered with the Medical Council of India or State Medical Councils as Medical Practitioners, shall be entitled to a non-practicing allowance at the rates specified in Schedule-I.

- 14. Other conditions of Service.**—The conditions of Service of the members of the Service in respect of matters not expressly provided for in these rules, shall, mutatis mutandis and subject to any special orders issued by the Government in respect of the Service, be the same as those applicable to officers of the Central Civil Services in general.
- 15. Disqualification.**—No person,—
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;
- shall be eligible for appointment to the Service:
- Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- 16. Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recording in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 17. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.
- 18. Interpretation.**—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission.

SCHEDULE-I

[See rule 2(g), 3 and 13(2)]

I. Grades, Pay Band, Grade Pay or Pay Scale

S.No.	Grade	Pay Band, Grade Pay or Pay Scale
1	Higher Administrative Grade	
	(i) Director General of Health Services	Rs.80000 (fixed)
	(ii) Special Director General of Health Service (Public Health and Medical Education or Medical Services)	Rs.80000 (fixed)
	(iii) Additional Director General of Health Services or Heads of Institutions and Organisations or National Programmes	Rs.67000-(annual increment @ 3%)-79000
2	Senior Administrative Grade	
	Other Posts	Pay Band-4 [Rs.37400-67000] with Grade Pay of Rs.10000
3	Specialist Grade	
(a)	Specialists Grade-I	
	(i) Teaching	
	Professor	Pay Band-4 [Rs. 37400-67000] with Grade Pay of Rs. 8700
	(ii) Non-Teaching	
	Specialists Grade-I	Pay Band-4 [Rs.37400-67000] with Grade Pay of Rs.8700
	(iii) Public Health	
	Specialist Grade-I	Pay Band-4 [Rs. 37400-67000] with Grade

		Pay of Rs. 8700
(b)	Specialists Grade-II	
	(i) Teaching	
	Associate Professor	Pay Band-3 [Rs.15600-39100] with Grade Pay of Rs.7600
	(ii) Non- Teaching	
	Specialist Grade-II	Pay Band-3 [Rs.15600-39100] with Grade Pay of Rs.7600
	(iii) Public Health	
	Specialist Grade-II	Pay Band-3 [Rs.15600-39100] with Grade Pay of Rs.7600
(c)	Specialist Grade-III	
	(i) Teaching	
	Assistant Professor	Pay Band-3 [Rs.15600-39100] with Grade Pay of Rs.6600
	(ii) Non-teaching	
	Specialist Grade-III	Pay Band-3 [Rs.15600-39100] with Grade Pay of Rs.6600
	(iii) Public health	
	Specialist Grade-III	Pay Band-3 [Rs.15600-39100] with Grade Pay of Rs.6600
	Medical Officers Grade	
	(i) Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade)	Pay Band-3 [Rs.15600-39100] with Grade Pay of Rs.5400
	(ii) Chief Medical Officer	Pay Band-3 [Rs.15600-39100] with Grade Pay of Rs.5400
	(iii) Senior Medical Officer	Pay Band-3 [Rs.15600-39100] with Grade Pay of Rs.5400
	(iv) Medical Officer	Pay Band-3 [Rs.15600-39100] with Grade Pay of Rs.5400

II- Rate of Non-Practicing Allowance – The Central Health Service officers shall be entitled to Non-Practising Allowance at such rates as may be decided by the Government from time to time.

III – Post Graduate Allowance. - A medical graduate appointed to the post of Medical Officer or Senior Medical Officer or Chief Medical Officer including Chief Medical Officer (Non functional Selection Grade), for which a recognized post graduate qualification is not essential, shall be given over and above the pay admissible in the relevant scale, Post Graduate Allowance of Rs. 600 per month or Rs. 1000 per month, as the case may be, for possessing recognized Post Graduate Diploma or Post Graduate degree respectively, as specified in Schedule VI or under the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956):

provided that if an officer possesses both the recognized Post Graduate Diploma and Degree, he shall be paid the Non-practicing Allowance of Rs. 1000 only.

Note. - The rates of the Non-Practicing Allowance and Post Graduate Allowance shall be governed by the instructions issued by the Government on the subject from time to time.

SCHEDULE II

[See rule 2(d) and rule 4]

Higher Administrative Grade:

S. No.	Designation	Number of posts*(2014)
	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE	
1.	Director General of Health Service	01
2.	Special Director General of Health Service (Public Health and Medical Education)	02

	or Medical Services)	
3	Additional Director General of Health Services or Heads of Institutions and Organizations or National Programmes	16* (*Out of these 6 are floating posts)
4.	Senior Administrative Grade Other Posts (PB-4 Rs. 37400-67000 with Grade Pay of Rs 10000/-): (I) Teaching Specialist Sub-Cadre Floating Posts (Director-Professor or Dean or Director or Medical Superintendent or Additional Medical Superintendent or Principal)	78
	(II) Non-Teaching Specialist Sub-Cadre Floating Posts (Consultants or Director or Medical Superintendent or Additional Medical Superintendent)	91
	(III) Public Health Sub-Cadre	
S.No.	Designation	Number of posts
1.	Deputy Commissioner (Maternal and Child Health), Department of Family Welfare	01
2.	Director, National Malaria Eradication Programme, Delhi	01
3.	Director, Central Leprosy Training Institute, Chengalpattu (Tamil Nadu)	01
4.	Director, National Institute of Communicable Diseases, Delhi	01
5.	Deputy Director General of Health Services (Leprosy)	01
6.	Deputy Director General of Health Services (Tuberculosis)	01
7.	Additional Director (Public Health), National Institute of Communicable Diseases	01
8.	Additional Director (Technical), National Acquired Immuno Disease Syndrome Control Organisation	01
9.	Director, Rural Health and Training Centre, Najafgarh	01
	Total	---- 09
10.	Additional Director*	
	(IV) GENERAL DUTY SUB-CADRE	
1.	Deputy Commissioner, Department of Family Welfare	04
2.	Deputy Director General of Health Services (Planning)	01
3.	Director, Central Government Health Scheme	01
4.	Deputy Director General of Health Services (Leprosy Monitoring and Evaluation)	01
	DIRECTOR GENERAL OF HEALTH SERVICES (Head Quarters)	
5.	Additional Deputy Director General (General)	01
6.	Additional Deputy Director General (Non- Communicable Disease)	01
7.	Additional Deputy Director General (Medical)	01
8.	Additional Deputy Director General (Head Quarters-Central Government Health Scheme)	01
9.	Director, Central Bureau of Health Intelligence	01
10.	Director, Central Health Education Bureau	01
11.	Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi	03
12.	Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi	04
13.	Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi	03
14.	Additional Medical Superintendent, Kalavati Saran Children Hospital, New Delhi.	03

15.	Senior Regional Director, Regional Office for Health and Family Welfare, Chandigarh	01
16.	Senior Regional Director, Regional Office for Health and Family Welfare, Pune	01
17.	Senior Regional Director, Regional Office for Health and Family Welfare, Bhopal	01
18.	Senior Regional Director, Regional Office for Health and Family Welfare, Kolkatta	01
19.	Senior Regional Director, Regional Office for Health and Family Welfare, Bengaluru	01
20.	Senior Regional Director, Regional Office for Health and Family Welfare, Jaipur	01
21.	Senior Regional Director Regional Office for Health and Family Welfare, Chennai	01
22.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Delhi	05
23.	Additional Director, Central Government Health Scheme, (Medical Stores Depot), Delhi	01
24.	Medical Superintendent, Maternity and Gynaecology Hospital, Rama Krishna Puram, New Delhi	01
25.	Medical Superintendent, Police Hospital, New Delhi	01
26.	Medical Superintendent, Maternity Centre, Srinivaspuri, New Delhi	01
27.	Medical Superintendent, Maternity Centre, Kalkaji, New Delhi.	01
28.	Senior Chief Medical Officer, Central Government Health Scheme, Delhi	15
29.	Medical Superintendent, Police Hospital Kingsway Camp, New Delhi	01
30.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Allahabad	01
31.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Ahmedabad	01
32.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Bengaluru	01
33.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai	01
34.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Kolkata	01
35.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Hyderabad	01
36.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Kanpur	01
37.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Lucknow	01
38.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Chennai	01
39.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Meerut	01
40.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Nagpur	01
41.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Jaipur	01
42.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Pune	01
43.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Patna	01
44.	Senior Chief Medical Officer, Central Government Health Scheme, Mumbai	05
45.	Medical Officer-in-charge (Zones)	04
46.	Medical Officer-in-charge (Family Welfare.)	01
47.	Senior Chief Medical Officer, Central Government Health Scheme, Kolkatta	05
48.	Senior Chief Medical Officer, Central Government Health Scheme, Chennai	02
49.	Senior Chief Medical Officer, Central Government Health Scheme, Hyderabad	02
50.	Additional Director, Non Communicable Disease Control Programme, Delhi	01
51.	Additional Director, National Vector Borne Disease Control Programme, Delhi	01
52.	Additional Director, Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu	01
53.	Additional Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata	02
54.	Additional Serologist and Chemical Examiner, Institute of Serology, Kolkata	01
55.	Additional Director, National Tuberculosis Institute, Bengaluru	01
56.	Additional Director, All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Kolkata	02
57.	Additional Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi	01
58.	Additional Director, (Reimbursement and Hospitals), Central Government Health	01

	Scheme (Head Quarters), Nirman Bhavan, New Delhi	
59.	Additional Director, (Head Quarters), Central Government Health Scheme (Head Quarters), Nirman Bhavan, New Delhi	01
60.	Senior Chief Medical Officer In charge, Moti Bagh Dispensary, Central Government Health Scheme (South Zone), New Delhi	01
61.	Senior Chief Medical Officer In charge, Palam Colony Dispensary, Central Government Health Scheme (North Zone), New Delhi	01
62.	Senior Chief Medical Officer In charge, Nangal Rai Dispensary, Central Government Health Scheme (South Zone), New Delhi	01
63.	Senior Chief Medical Officer In charge, NOIDA Dispensary, Central Government Health Scheme (Central Zone), New Delhi	01
64.	Senior Chief Medical Officer In charge, Minto Road Dispensary, Central Government Health Scheme (Central Zone), New Delhi	01
65.	Senior Chief Medical Officer In charge, Central Government Health Scheme Dispensary, Jawahar Lal Nehru Road, Allahabad	01
66.	Senior Chief Medical Officer In charge, Central Government Health Scheme Dispensary, Shivaji Nagar, Bangalore	01
67.	Senior Chief Medical Officer In charge, Central Government Health Scheme Dispensary, Shaik Mistry, Mumbai	01
68.	Senior Chief Medical Officer In charge, Central Government Health Scheme Dispensary, Perambur, Chennai	01
69.	Senior Chief Medical Officer In charge, Central Government Health Scheme Dispensary, Gandhi Gram, Kanpur	01
70.	Senior Chief Medical Officer In charge, , Central Government Health Scheme Dispensary, Mukund Nagar, Pune	01
71.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Guwahati	01
72.	Additional Director, Central Government Health Scheme, Bhopal	01
73.	In Charge, Central Government Health Scheme Polyclinic, Allahabad	01
74.	In Charge, Central Government Health Scheme Polyclinic, Bengaluru	01
75.	In Charge, Central Government Health Scheme Polyclinic, Chennai	02
76.	In Charge, Central Government Health Scheme Polyclinic, Pusa Road, Delhi	01
77.	In Charge, Central Government Health Scheme Polyclinic, Hyderabad	02
78.	In Charge, Central Government Health Scheme Polyclinic, Jaipur	01
79.	In Charge, Central Government Health Scheme Polyclinic, Kanpur	01
80.	In Charge, Central Government Health Scheme Polyclinic, Lucknow	01
81.	In Charge, Central Government Health Scheme Polyclinic, Mumbai	02
82.	In Charge, Central Government Health Scheme Polyclinic, Nagpur	01
83.	In Charge, Central Government Health Scheme Polyclinic, Patna	01
84.	In Charge, Central Government Health Scheme Polyclinic, Pune	01
85.	In Charge, Central Government Health Scheme Polyclinic, Kolkata	01
86.	Senior Regional Director, Regional Office for Health and Family Welfare, Ahmedabad	01
87.	Senior Regional Director, Regional Office for Health and Family Welfare, Bhubaneshwar	01
88.	Senior Regional Director, Regional Office for Health and Family Welfare, Hyderabad	01
89.	Senior Regional Director, Regional Office for Health and Family Welfare, Lucknow	01
90.	Senior Regional Director, Regional Office for Health and Family Welfare, Patna	01
91.	Senior Regional Director, Regional Office for Health and Family Welfare, Srinagar	01
92.	Senior Regional Director, Regional Office for Health and Family Welfare, Shillong	01
93.	Senior Regional Director, Regional Office for Health and Family Welfare,	01

	Thiruvananthapuram	
	MINISTRY OF COMMUNICATIONS, DEPARTMENT OF POSTS	
94.	Deputy Director General (Medical) (Head Quarters), Delhi	01
95.	Deputy Director General (Medical), Northern Region, Lucknow	01
96.	Deputy Director General (Medical), Eastern Region, Kolkata	01
97.	Deputy Director General (Medical), South Central Regional, Hyderabad	01
98.	Additional Director, Central Research Institute, Kasauli	01
99.	Additional. Deputy Commissioner, Department of Family Welfare*	
100.	Additional Deputy Director General, Directorate General of Health Service*	
101.	Additional Director in Central Government Health Scheme, Central Bureau of Health Intelligence, Central Health Education Bureau*	
102.	Additional Senior Regional Directors*	
103.	Senior Chief Medical Officer*	
	* The new designations in excess of the identified posts in respect of Public Health and General Duty Medical Officer Sub-Cadre, as a result of promotions under the Dynamic Assured Career Progression scheme.	
4.	(I) TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE (Assistant Professor or Associate Professor or Professor)	
S.No.	Designation or Speciality	Number of posts
1.	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE	
	(a) LADY HARDINGE MEDICAL COLLEGE AND SMT. SUCHETA KRIPLANI HOSPITAL, NEW DELHI	
	1. Anatomy	14
	2. Pharmacology	11
	3. Pathology	17
	4. Microbiology	09
	5. Surgery	27
	6. Medicine	29
	7. Radio Diagnosis	11
	8. Anaesthesiology	19
	9. Obstetrics and Gynaecology	26
	10. Paediatrics	26
	11. Preventive and Social Medicine	11
	12. Physiology	13
	13. Bio-Chemistry	10
	14. Forensic Medicine	09
	15. Ophthalmology	05
	16. Skin and Venereal Disease	03
	17. Ear, Nose and Throat	05
	18. Orthopaedic Surgery	05
	19. Paediatric Surgery	03
	20. Psychiatry	26
	21. Radio-Therapy	04
	22. Community Medicine	02
	23. Tuberculosis and Chest	02
	24. Orthopaedic	07
	25. Rehabilitation	03
	26. Plastic Surgery	02
	27. Neuro-Surgery	02
	28. Immuno-Haematology and Blood Transfusion	02

	CRITICAL CARE (ACCIDENT and EMERGENCY SERVICES)	
	1. General Medicine	02
	2. Aneasthesia	01
	3. Surgery	03
	(b) VARDHMAN MAHAVIR MEDICAL COLLEGE AND SAFDARJUNG HOSPITAL, NEW DELHI	
	1. Anatomy	13
	2. Physiology	12
	3. Bio-Chemistry	08
	4. Preventive and Social Medicine	12
	5. Pharmacology	08
	6. Forensic Medicine	07
	7. Anaesthesia	02
	8. Cancer Surgery	01
	9. Ear, Nose and Throat	01
	10. Micro-Biology	06
	11. Obstetrics and Gynaecology	05
	12. Orthopaedics	05
	13. Paediatrics	05
	14. Paediatric Surgery	01
	15. Pathology	05
	16. Radio-Therapy	03
	17. Surgery	02
	(c) SAFDARJUNG HOSPITAL, NEW DELHI	
	1. Cardiology	3
	(d) SPORTS INJURY CENTRE, VARDHMAN MAHAVIR MEDICAL COLLEGE AND SAFDARJUNG HOSPITAL, NEW DELHI	
	1. Orthopaedic Surgery	06
	2. Anaesthesiology	05
	3. Physical Medicine and Rehabilitation	01
	(e) CENTRAL INSTITUTE OF ORTHOPAEDICS, SAFDARJUNG HOSPITAL, NEW DELHI	
	1. Orthopaedics	04
	2. Pathology	03
	3. Radio-diagnosis	01
	Total	08
	(f) POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH AT DR. RAM MANOHAR LOHIA HOSPITAL, NEW DELHI	
	1. Nephrology	01
	2. Endocrinology	04
	3. Gastroenterology	03
	4. Neurology	01
	5. Paediatric Surgery	03
	6. Urology	03
	7. Anatomy	03

8. Physiology	03
9. Bio-Chemistry	03
10. Pharmacology	03
11. Community Medicine	03
12. Forensic Medicine	03
13. Epidemiology	01
14. Medicine	04
15. Dermatology	03
16. Paediatrics	02
17. Psychiatry	02
18. Cardio Vascular Thoracic Surgery	01
19. Cardiology	01
20. Neuro-surgery	01
21. Micro-biology	01
22. Radio-diagnosis	01
23. Pathology	01
24. Burn and Plastic	01
25. Physical Medicine and Rehabilitation	04
(g) Dr. RAM MANOHAR LOHIA HOSPITAL, NEW DELHI	
1. Cardiology	4
2. Paediatrics	10
3. Obstetrics and Gynaecology	4
4. Physical Medicine and Rehabilitation	4
(h) TRAUMA CARE CENTRE, Dr. RAM MANOHAR LOHIA HOSPITAL, NEW DELHI	
1. Anaesthesia	03
2. General Surgery	01
3. Orthopaedics	01
4. Neuro-surgery	01
5. Radiology	03
Total	09
(i) DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES	
1. Assistant Director General of Health Services (Medical Education)	01
(j) ALL INDIA INSTITUTE OF HYGIENE AND PUBLIC HEALTH, KOLKATA	
1. Preventive and Social Medicine	02
2. Public Health	17
3. Micro-biology	04
(k) CENTRAL INSTITUTE OF PSYCHIATRY, RANCHI	
1. Psychiatry	07
2. Neurology	01
3. Radio-diagnosis	01
4. Anaesthesiology	01
5. Pathology	01
6. Bio-Chemistry	01
Total	12

	(I) ALL INDIA INSTITUTE OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, MUMBAI	
	1. Physical Medicine and Rehabilitation	05
2.	NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI	
	(a) MAULANA AZAD MEDICAL COLLEGE, NEW DELHI	
	1. Anatomy	11
	2. Physiology	11
	3. Bio-Chemistry	10
	4. Pathology	12
	5. Pharmacology	08
	6. Preventive and Social Medicine	13
	7. Surgery	16
	8. Micro-Biology	10
	9. Medicine.	15
	10. Obstetrics and Gynaecology	17
	11. Radio-diagnosis	09
	12. Ophthalmology	13
	13. Paediatrics	16
	14. Anaesthesiology	12
	15. Ear, Nose and Throat	08
	16. Orthopaedics Surgery	07
	17. Skin and Venereal Disease	05
	18. Forensic Medicine	07
	19. Radio Therapy	06
	20. Paediatric Surgery	06
	21. Psychiatry	01
	Total	213
	(b) GEETA COLONY SUPER-SPECIALTY HOSPITAL, GEETA COLONY, NEW DELHI (ATTACHED HOSPITAL OF MAULANA AZAD MEDICAL COLLEGE, NEW DELHI)	
	1. Paediatrics	03
	2. Anaesthesia	01
	3. Radiology	01
	4. Orthopaedics	01
	5. Eye	01
	6. Ear, Nose and Throat	01
	7. Skin	01
	8. Bio-chemistry	01
	Total	10
	(c) GOVIND BALALBH PANT HOSPITAL, NEW DELHI	
	1. Neurology	09
	2. Merged with Cardio Vascular Thoracic Surgery	--
	3. Neuro Surgery	07
	4. Psychiatry	05
	5. Cardiology	11
	6. Anaesthesiology	12
	7. Gastro-entology	05

8.	Microbiology	05
9.	Radio-diagnosis	06
10.	Pathology	05
11.	Bio-Chemistry	05
12.	Surgery	02
13.	Gastro-Intestinal Surgery	03
14.	Cardio Vascular Thoracic Surgery	07
	Total	82
	(d) GURU TEG BAHADUR HOSPITAL-CUM-MEDICAL COLLEGE, NEW DELHI	
1.	Medicine	05
2.	Surgery	05
3.	Gynaecology and Obstetrics	05
4.	Paediatrics	04
5.	Anaesthesia	06
6.	Radio diagnosis	04
7.	Ear, Nose and Throat	02
8.	Neurology	01
9.	Radio Therapy	04
10.	Ophthalmology	02
11.	Orthopaedics	02
12.	Dermatology	01
13.	Neuro Surgery	01
14.	Ortho Surgery	01
15.	Skin and Venereal Disease	01
16.	Pathology	03
17.	Psychiatry	01
	Total	48
	(II) NON-TEACHING SUB-CADRE (Specialist Grade I or Grade II or Grade III)	
	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE	
	(a) DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES	
1.	Assistant Director General of Health Services (Ophthalmology)	01
2.	Assistant Director General of Health Services (Tuberculosis)	01
3.	Tuberculosis Officer	01
	Total	03
	(b) SAFDARJUNG HOSPITAL, NEW DELHI	
1.	Medical Specialist	15
2.	Physician (Nuclear Medicine)	01
3.	Haematologist	03
4.	Surgeon	12
5.	Pathologist	11
6.	Eye-Specialist	01
7.	Paediatrician	10
8.	Anaesthetist	26
9.	Obstetrician and Gyanecologist	14
10.	Cancer Surgeon	02

	11. Orthopaedic Surgeon	07
	12. Cardio Thoracic or Thoracic Surgeon	04
	13. Ear, Nose and Throat Specialist	01
	14. Urologist	02
	15. Psychiatrist	05
	16. Radio Therapist	05
	17. Neurologist	01
	18. Micro-biologist or Bacteriologist or Serologist	09
	19. Dermatologist or Skin Specialist	01
	20. Specialist in Radio-diagnosis	10
	21. Specialist in Forensic Medicine	03
	22. Physician (Chest or Respiratory Diseases)	03
	23. Endochronologist	02
	24. Gastroenterologist	02
	25. Nephrologist	02
	26. Assistant Director (Physical Medicine and Rehabilitation)	06
	27. Cardiologist or Physician (Cardiology)	04
	28. Plastic Surgeon	20
	29. Paediatric Surgeon	03
	30. Neuro Surgeon	04
	Total	191
	(d) DR. RAM MANOHAR LOHIA HOSPITAL, NEW DELHI	
	1. Medical Specialist	19
	2. Surgeon	09
	3. Paediatrician	03
	4. Specialist in Radio-diagnosis	11
	5. Orthopaedic Surgeon	07
	6. Obstetrician and Gynaecologist	03
	7. Psychiatrist	01
	8. Anaesthetist	13
	9. Pathologist	07
	10. Bacteriologist	05
	11. Ear Nose and Throat Specialist	02
	12. Dermatologist or Skin Specialist	02
	13. Neuro Surgeon	06
	14. Endocrinologist	02
	15. Gastroenterologist	02
	16. Nephrologist	04
	17. Nueurologist	02
	18. Paediatric Surgeon	02
	19. Urologist	02
	20. Plastic Surgeon	05
	21. Cardiologist or Physician (Cardiology)	03
	22. Cardio Vascular Thoracic Surgery	03
	Total	113
	(e) CENTRAL RESEARCH INSTITUTE, KASAULI	
	1. Deputy Director or Assistant Director (Microbiology)	15
	(f) CENTRAL LEPROSY TRAINING RESEARCH INSTITUTE, CHENGALPATTU	

	1. Assistant Director (Micro Bacteriologist or Bacteriologist)	03
	2. Medical Specialist	02
	3. Ortho-Surgeon or Assistant Director (Orthopaedics)	03
	4. Pathologist or Assistant Director (Pathology)	02
	Total	10
	(g) NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL, NEW DELHI	
	1. Assistant Director (Micro Bacteriologist or Bacteriologist)	27
	Total	27
	(h) NATIONAL TUBERCULOSIS INSTITUTE, BANGALURU	
	1. Director (in Tuberculosis Specialty)	01
	2. Tuberculosis Specialist	03
	Total	04
	(i) BACILLUS CALMETTE GUERIN (B.C.G.) VACCINE LABORATORY, GUINDY	
	1. Director (Microbiology)	01
	Total	01
	(j) ALL INDIA INSTITUTE OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, MUMBAI	
	1. Deputy Director (Rehabilitation)	02
	2. Specialist in Radio Diagnosis	01
	3. Pathologist	01
	4. Anaesthetist	02
	5. Medicine	01
	Total	07
	(k) KALAWATI SARAN CHILDREN'S HOSPITAL, NEW DELHI	
	1. Physical Medicine and Rehabilitation	01
	2. Paediatrics	02
	3. Bacteriologist	01
	4. Radio-diagnosis	01
	Total	05
	(l) LADY HARDING MEDICAL COLLEGE, NEW DELHI	
	1. Psychiatrist	02
	Total	02
	(m) LAKSHADWEEP ADMINISTRATION	
	1. Paediatrician	01
	2. Medical Specialist	01
	3. Surgeon	02
	4. Obstetrics and Gynaecologist	02
	5. Anaesthetist	02
	6. Pathologist	01
	7. Eye Specialist	01
	----- Total -----	---- 10 ----

	(n) OFFICE OF THE SEROLOGIST AND CHEMICAL EXAMINER, KOLKATA	
	1. Bacteriologist 2. Pathologist ----- Total -----	02 01 ---- 03 ----
	(o) REGIONAL LEPROSY TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE (R.L.T.R.I), GOURIPUR	
	1. Assistant Director (Orthopaedic Surgery) 2. Assistant Director (Pathologist) 3. Assistant Director (Bacteriology) ----- Total -----	01 01 01 ---- 03 ----
	(p) ALL INDIA INSTITUTE OF HYGIENE AND PUBLIC HEALTH, KOLKATA	
	1. Micro-biologist or Assistant Director (Micro) ----- Total	01 ---- 01
	(q) REGIONAL LEPROSY TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE, ASKA	
	1. Surgeon 2. Pathologist ----- Total -----	01 01 ---- 02 ----
	(r) REGIONAL LEPROSY TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE, RAIPUR	
	1. Assistant Director (Bacteriology) 2. Assistant Director (Pathologist) 3. Assistant Director (Orthopaedic Surgery) ----- Total -----	01 01 01 ---- 03 ----
	(s) ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION	
	1. Anaesthetist 2. Ear, Nose and Throat Specialist 3. Obstetrics and Gynaecologist 4. Medical Specialist 5. Ophthalmologist or Eye Specialist 6. Ortho Surgeon 7. Paediatrician 8. Radio-diagnosis 9. Dermatologist or Skin Specialist 10. Surgeon 11. Psychiatrist 12. Tuberculosis specialist ----- Total	09 01 09 08 01 01 04 01 01 09 01 01 ---- 46

(t) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME, DELHI		
1. Medical Specialist (one for Vice President Secretariat and three for VVIPs under Extra Mural Research Scheme)		24
2. Surgeon		07
3. Eye Specialist		11
4. Ear, Nose and Throat Specialist		09
5. Obstetrics and Gynaecologist		12
6. Dermatologist or Skin Specialist		09
7. Paediatrician		08
8. Psychiatrist		08
9. Specialist in Radio-diagnosis		04
10. Pathologist		03
11. Ortho Surgeon		05
13. Neurologist		01
14. Bio-Chemistry		01
		06
	-----	----
	Total	100
	-----	----
(u) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME DISPENSARY AT SUPREME COURT PREMISES, NEW DELHI		
1. Medical Specialist		01
2. Eye Specialist		01
3. Skin Specialist		01
4. Orthopaedics		01
5. Physical, Medicine and Rehabilitation Specialist		01
6. Cardiologist		01
7. Pathologist or Bio-Chemistry		01
8. Ear, Nose and Throat Specialist		01
Total		08
(v) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME KOLKATA		
1. Medical Specialist		01
2. Obstetrics and Gynaecologist		01
3. Eye Specialist		01
4. Pathologist		01
5. Radio-diagnosis		01
6. Ear, Nose and Throat Specialist		01
7. Paediatrician		01
8. Dermatologist or Skin Specialist		01
	-----	----
	Total	08
	-----	----
(w) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME MUMBAI		
1. Medical Specialist		02
2. Obstetrics and Gynaecologist		02
3. Specialist in Radio-diagnosis		02
4. Eye Specialist		01
5. Pathologist		02
6. Paediatrician		02
7. Dermatologist or Skin Specialist		02

	8. Eye Specialist ----- Total -----	01 --- 14 ---
	(x) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME MEERUT	
	Medical Specialist ----- Total -----	01 --- 01 ---
	(y) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME, NAGPUR	
	1. Eye Specialist 2. Medical Specialist 3. Specialist in Radio-diagnosis 4. Obstetrics and Gynaecologist 5. Ear, Nose and Throat Specialist 6. Paediatrician 7. Dermatologist or Skin Specialist ----- Total -----	01 02 01 01 01 01 01 --- 08 ---
	(z) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME, KANPUR	
	1. Obstetrician and Gynaecologist 2. Medical Specialist 3. Pathologist 4. Specialist in Radio-diagnosis 5. Ear, Nose and Throat Specialist 6. Paediatrician 7. Dermatologist or Skin Specialist 8. Eye Specialist ----- Total -----	01 02 01 01 01 01 01 01 --- 09 ---
	(za) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME, CHENNAI	
	1. Ear, Nose and Throat Specialist 2. Medical Specialist 3. Ophthalmologist or Eye Specialist 4. Obstetrics and Gynaecologist 5. Paediatrics 6. Pathologist 7. Specialist in Radio-diagnosis 8. Dermatologist or Skin Specialist ----- Total -----	02 03 02 02 02 02 02 02 --- 17 ---
	(zb) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME, ALLAHABAD	
	1. Obstetrician and Gynaecologist 2. Medical Specialist 3. Pathologist 4. Specialist in Radio-diagnosis 5. Paediatrician 6. Dermatologist or Skin Specialist	01 02 02 01 01 01

	7. Ear, Nose and Throat Specialist 8. Eye Specialist ----- Total -----	01 01 10 -----
(zc) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME, HYDERABAD		
	1. Medical Specialist 2. Pathologist 3. Obstetrician and Gynaecologist 4. Specialist in Radio-diagnosis 5. Ear, Nose and Throat Specialist 6. Eye Specialist 7. Paediatrics 8. Dermatologist or Skin Specialist 9. Radiologist ----- Total -----	02 02 02 01 02 02 02 02 01 16 -----
(zd) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME, BENGALURU		
	1. Medical Specialist 2. Pathologist 3. Specialist in Radio-diagnosis 4. Obstetrician and Gynaecologist 5. Ear, Nose and Throat Specialist 6. Eye Specialist 7. Paediatric 8. Dermatologist or Skin Specialist ----- Total -----	01 01 01 01 01 01 01 01 08 -----
(ze) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME, PATNA		
	1. Medical Specialist 2. Pathologist 3. Ear, Nose and Throat Specialist 4. Obstetrician and Gynaecologist 5. Eye Specialist 6. Paediatrician 7. Specialist in Radio-diagnosis 8. Dermatologist or Skin Specialist ----- Total -----	01 01 01 01 01 01 01 01 08 -----
(zf) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME, LUCKNOW		
	1. Medical Specialist 2. Pathologist 3. Dermatologist or Skin Specialist 4. Ear, Nose and Throat Specialist 5. Obstetrician and Gynaecologist 6. Eye Specialist 7. Paediatrician 8. Specialist in Radio-diagnosis ----- Total -----	02 02 01 01 01 01 01 01 10 -----

	(zg) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME, AHMEDABAD	
	1. Medical Specialist	01
	2. Pathologist	01
	----- Total -----	02 ----
	(zh) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME, PUNE	
	1. Medical Specialist	01
	2. Pathologist	01
	3. Obstetrician and Gynaecologist	01
	4. Eye Specialist	01
	5. Paediatrician	01
	6. Specialist in Radio-diagnosis	01
	7. Dermatologist	01
	----- Total -----	07 ----
	(zi) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME, JAIPUR	
	1. Medical Specialist	01
	2. Pathologist	01
	3. Specialist in Radio-diagnosis	01
	4. Obstetrician and Gynaecologist	01
	5. Eye Specialist	01
	6. Ear, Nose and Throat (E.N.T) Specialist	01
	7. Paediatrician	01
	8. Dermatologist or Skin Specialist	01
	----- Total -----	08 ----
	(zj). MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATION PLANT PROTECTION AND QUARANTINE	
	1. Joint Director (Medical Pharmacology)	04
	2. Deputy Director(Medical Pharmacology)	02
	3. Pathologist	01
	Total	07
	(zk) NATIONAL ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME CONTROL ORGANIZATION, MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE	
	1. Assistant Director or Director or Joint Director (Research and Development) (Microbiology or Bacteriology)	01
	Total	01
	(zl). MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS) INDIAN SECURITY PRESS, NASIK	
	1. Medical Specialist	01
	2. Surgeon	01
	3. Obstetrician and Gynaecologist	01

	4. Orthopaedics	01
	5. Anaesthetist	01
	6. Radiology	01
	Total	06
	(zm) MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (LABOUR WELFARE ORGANISATION)	
	1. Obstetrician and Gynaecologist	
	(i) Bengaluru Region	01
	(ii) Kolkata Region	02
	(iii) Hyderabad Region	01
	----- Total -----	04
	(III PUBLIC HEALTH SUB-CADRE) SPECIALIST GRADE I or SPECIALIST GRADE II	
	(A) DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE	
	(a) FAMILY WELFARE TRAINING AND RESEARCH, MUMBAI	
	1. Director	01
	2. Deputy Director	01
	3. Assistant Commissioner (Immunization)	01
	----- Total -----	03
	(b) DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES	
	1. Assistant Director General of Health Services (Leprosy)	01
	2. Assistant Director General of Health Services (International Health)	01
	3. Deputy Assistant Director General of Health Services, Public Health and Central Health Education Bureau (P.H. and CHEB)	01
	4. Deputy Assistant Director General of Health Services, Expanded Programme on Immunization (EPI)	01
	5. Deputy Assistant Director General of Health Services (Ophthalmology)	01
	6. Deputy Assistant Director General of Health Services (Leprosy)	01
	----- Total -----	06
	(c) CENTRAL LEPROSY TRAINING RESEARCH INSTITUTE, CHENGALPATTU, TAMILNADU	
	1. Deputy Director (Epidemiology)	01
	2. Assistant Director (Epidemiology)	01
	3. Assistant Director (Epidemiology and Evaluation)	01
	----- Total -----	03
	(d) REGIONAL LEPROSY TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE, RAIPUR (CHATTISGARH)	
	1. Director	01
	2. Assistant Director (Epidemiology)	01
	----- Total -----	02

	(e) REGIONAL LEPROSY TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE, GOURIPUR (WEST BENGAL)	
	1. Director	01
	2. Assistant Director (Epidemiology)	01
	----- Total	02
	-----	----
	(f) REGIONAL LEPROSY TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE, ASKA	
	1. Director	01
	----- Total	01
	-----	----
	(g) NATIONAL CENTER FOR DISEASE CONTROL, DELHI	
	1. Deputy Director (Epidemiology)	01
	2. Deputy Director (Filaria)	01
	3. Assistant Director	40
	----- Total	42
	-----	----
	(h) NATIONAL TUBERCULOSIS INSTITUTE, BENGALURU	
	1. Epidemiologist	01
	----- Total	01
	-----	----
	(i) NATIONAL VECTOR BORNE DISEASE CONTROL PROGRAMME, DELHI	
	1. Deputy Director (Epidemiology)	01
	2. Regional Director (Health and Family Welfare) (Ahmedabad, Hyderabad, Bhubaneswar, Lucknow)	04
	3. Assistant Director	05
	----- Total	10
	-----	----
	(j) ALL INDIA INSTITUTE OF HYGIENE AND PUBLIC HEALTH, KOLKATA	
	1. Medical Officer (Industrial Health)	01
	2. Medical Officer (Nutrition)	01
	3. Epidemiologist	01
	4. Medical Officer (School Health)	01
	5. Medical Officer(Domiciliary Service)	01
	6. Field Epidemiologist	01
	7. Rural Field Medical Officer (Study in Population Control)	01
	----- Total	07
	-----	----
	(k) AIRPORT or PORT HEALTH ORGANISATION, MUMBAI	
	1. Port Health Officer, Mumbai	02
	2. Airport Health Officer, Mumbai	01
	----- Total	03
	-----	----

	(l) AIRPORT or PORT HEALTH ORGANISATION, KOLKATA	
	Port Health Officer, Kolkata Airport Health Officer, Kolkata ----- Total -----	01 01 ---- 02 ----
	(m) PORT HEALTH ORGANISATION, CHENNAI	
	1. Port Health Officer ----- Total -----	01 ---- 01 ----
	(n) AIRPORT HEALTH ORGANISATION, DELHI	
	Airport Health Officer ----- Total -----	01 ---- 01 ----
	(o) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI	
	1. Deputy Director of Health Services ----- Total -----	02 ---- 02 ----
	(p) DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI	
	1. Deputy Director (Immunization) ----- Total -----	02 ---- 02 ----
	(q) LAKSHADWEEP ADMINISTRATION	
	1. Deputy Director 2. District Immunization Officer ----- Total -----	01 01 ---- 02 ----
	(r) SAFDARJUNG HOSPITAL, NEW DELHI	
	1. Epidemiologist ----- Total -----	01 ---- 01 ----
	(s) ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION	
	Deputy Director of Health Services ----- Total -----	01 ---- 01 ----
	(t) NATIONAL AIDS CONTROL ORGANISATION (MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)	
	1. Deputy Director (Blood Safety) 2. Assistant Director ----- Total -----	01 02 ---- 03 ----

(IV) GENERAL DUTY MEDICAL OFFICER SUB-CADRE (Medical Officer or Senior Medical Officer or Chief Medical Officer)		
(A) DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE		
1. Assistant Commissioner		10
2. Chief Medical Officer (Regional Office for Health and Family Welfare) (Imphal, Jaipur, Chennai)		04
3. Regional Health Officers (Medical Officer or Senior Medical Officer or Chief Medical Officer):		
Bengaluru		01
Bhopal		01
Bhubaneswar		01
Kolkata		01
Chandigarh		01
Hyderabad		01
Imphal		02
Jaipur		01
Chennai		01
Patna		01
Pune		01
Shillong		02
Thiruvananthapuram		01
	----- Total -----	29 ----
(B) DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES		
1. Deputy Director(Technical)		01
2. Central Health Education Bureau (Chief Medical Officer or Senior Medical Officer or Medical Officer)		05
3. Directorate General of Health Services (Head Quaters), (Chief Medical Officer or Senior Medical Officer or Medical Officer)		08
(C) SAFDARJUNG HOSPITAL, NEW DELHI		73
(D) DR. RAM MANOHAR LOHIA HOSPITAL, NEW DELHI		67
(E) REGIONAL LEPROSY TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE, RAIPUR		06

(F) REGIONAL LEPROSY TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE, ASKA	03
(G) NATIONAL TUBERCULOSIS INSTITUTE, BENGALURU	04
(H) CENTRAL LEPROSY TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE, CHENGALPATTU	11
(I) REGIONAL LEPROSY TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE, GOURIPUR	
1. Deputy Director (Chief Medical Officer)	01
2. Chief Medical Officer or Senior Medical Officer or Medical Officer	06
(J) ALL INDIA INSTITUTE OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, BOMBAY	02
(K) CENTRAL INSTITUTE OF PSYCHIATRY, RANCHI	
1. Deputy Medical Superintendent (Chief Medical Officer)	02
2. Chief Medical Officer or Senior Medical Officer or Medical Officer	06
(L) LADY HARDINGE MEDICAL COLLEGE, NEW DELHI	04
(M) KALAWATI SARAN CHILDREN'S HOSPITAL, NEW DELHI	04
(N) ALL INDIA INSTITUTE OF HYGIENE AND PUBLIC HEALTH, KOLKATA	28
(O) NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL, DELHI	06
(P) SEROLOGICAL AND CHEMICAL EXAMINER GOVERNMENT OF INDIA, KOLKATA	05
(Q) RURAL HEALTH TRAINING CENTRE, NAJAFGARH	15
(R) CENTRAL RESEARCH INSTITUTE, KASAULI	04
(S) LAKSHADWEEP ADMINISTRATION	22
(T) ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION	22
(U) FAMILY WELFARE TRAINING AND RESEARCH CENTRE, MUMBAI	04
(V) RAJKUMARI AMRIT KAUR COLLEGE OF NURSING, DELHI	01
(W) NATIONAL VECTOR BORNE DISEASE CONTROL PROGRAMME, DELHI	01
(Y) MINISTRY OF COMMUNICATIONS DEPARTMENT OF POSTS	128
(Z) MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)	
1. Government Opium and Alcoholic Works, Neemach	01

(ZA) MINISTRY OF LABOUR	14
1. Allahabad Region	35
2. Bengaluru Region	18
3. Ajmer Region	29
4. Bhubaneswar Region	24
5. Kolkata Region	06
6. Goa Region	39
7. Hyderabad Region	34
8. Jabalpur Region	27
9. Karma Region	04
10. Nagpur Region	15
11. Foremen Training Institute, Bengaluru	01
12. Analytics Training Institute, Mumbai	01
13. Analytics Training Institute, Kolkata	01
14. Analytics Training Institute, Hyderabad	248
----- Total -----	----- 248 -----
(ZB) MINISTRY OF HOME AFFAIRS	09
1. Intelligence Bureau	01
2. National Civil Defence College, Nagpur	01
(ZC) MINISTRY OF CIVIL AVIATION	13
(ZD) MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	02
(ZE) MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE	02
(ZF) LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY OF ADMINISTRATION, MUSSORIE	04
(ZG) SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY, HYDERABAD	
(ZH) DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SURVEYOR GENERAL OF INDIA, DEHRADUN	11
(ZI) MINISTRY OF TRANSPORT	02

(ZJ) AIRPORT HEALTH ORGANIZATION or PORT HEALTH ORGANIZATION	
1. PORT HEALTH ORGANISATION, MUMBAI	13
2. AIRPORT HEALTH ORGANISATION, MUMBAI	06
3. PORT HEALTH ORGANISATION, KOLKATA	09
4. PORT HEALTH ORGANISATION, CHANNAI	04
5. AIRPORT HEALTH ORGANISATION, THIRUCHIRAPALLI	02
6. PORT HEALTH ORGANISATION, COCHIN	02
7. PORT HEALTH ORGANISATION, VISHAKAPATNAM	02
8. PORT HEALTH ORGANISATION, KANDLA	02
9. PORT HEALTH ORGANISATION, MARMAGOA	01
10. AIRPORT HEALTH ORGANISATION, DELHI	06
11. AIRPORT HEALTH ORGANISATION, CALCUTTA	04
12. ATTARI BORDER ORGANISATION, APHO, AMRITSAR	02
Total	53
(ZK) CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME	
	686
1. Central Government Health Scheme, Delhi	21
2. Central Government Health Scheme, Allahabad	14
3. Central Government Health Scheme, Ahmedabad	37
4. Central Government Health Scheme, Bengaluru	83
5. Central Government Health Scheme, Mumbai	68
6. Central Government Health Scheme, Kolkata	35
7. Central Government Health Scheme, Chennai	76
8. Central Government Health Scheme, Hyderabad	39
9. Central Government Health Scheme, Kanpur	21
10. Central Government Health Scheme, Meerut	22
11. Central Government Health Scheme, Jaipur	36
12. Central Government Health Scheme, Nagpur	16
13. Central Government Health Scheme, Patna	06
14. Central Government Health Scheme, Bhubaneswar	16
15. Central Government Health Scheme, Jabalpur	05
16. Central Government Health Scheme, Ranchi	30
17. Central Government Health Scheme, Lucknow	28
18. Central Government Health Scheme, Pune	09
19. Central Government Health Scheme, Guwahati	09

	20. Central Government Health Scheme, Thiruvananthapuram (ZL) BACILLUS CALMETTE GUERIN (B.C.G) VACCINE LABORATORY, GUINDY (ZM) LADY READING HEALTH SCHOOL, DELHI (ZN) CENTRAL WATER AND POWER RESEARCH STATION, PUNE (i) Medical Officer (ii) Lady Medical officer (ZO) DELHI MILK SCHEME, DELHI (ZP) NATIONAL AIDS CONTROL ORGANISATION (MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)	01 01 01 01 01
	1. Deputy Director (Technical)	01
	Note.- The number of posts will be subject to variation depending on work load	

SCHEDULE-III*[See rule 6(2)]*

S. No.	Name of the post	Method of recruitment for promotion	Field of selection and minimum qualifying service
I.	Higher Administrative Grade (General Administrative Posts): (i) Directorate General of Health Services (ii) Special Director General of Health Services (Public Health and Medical Education or Medical Services) (iii) Additional Director General of Health Services or Heads of Institutes and Organisations or National Programmes	----- Promotion by selection Promotion by selection failing which by direct recruitment	The Senior-most Special Director General of Health Services shall function as Director General of Health Services. Additional Director General of Health Services or Heads of Institutions and Organizations or National Programmes in Pay Band 4 of Rs. 67000-(annual increment @ 3%)-79000 with two years' regular service in the grade, failing which, Additional Director General of Health Services or Heads of Institutions and Organizations or National Programmes with five years' combined regular service in the Pay Band 4 of Rs.67000-(annual increment @ 3%)-79000 and in Pay Band-4 Rs.37400—67000 with Grade Pay of Rs. 10,000. Senior Administrative Grade Officers in Pay Band-4 of Rs. 37400-67000 with Grade Pay Rs. 10,000 with three years regular service in the Grade, failing which, Senior Administrative Grade Officers in Pay Band-4, Rs. 37400-67000 with Grade Pay of Rs. 10,000 with two years regular service in the grade and having twelve years' regular service after being appointed or as the case may be, promoted to the level of Professor or Specialist Grade-I or Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) in Pay Band-4, Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8700

II	<p>Teaching Specialist Sub-Cadre Posts</p> <p>(a) Senior Administrative Grade</p> <p>(b) Professor</p> <p>(c) Associate Professor (Super Specialities and other than Super Specialities)</p> <p>(d)(i) Assistant Professor (Super Specialities)</p>	<p>Promotion by selection without taking into account the vacancies failing which by direct recruitment</p> <p>Promotion by selection without taking into account the vacancies failing which by direct recruitment</p> <p>Promotion by selection without taking into account the vacancies failing which by direct recruitment</p> <p>Direct recruitment</p>	<p>Professors in Pay Band-4, Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs. 8700 with seven years' regular service in the grade</p> <p>Associate Professors in Pay Band-3, Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600 with four years' regular service in the grade.</p> <p>Note.- The period of Senior residency before joining as Assistant Professor in the Service shall be counted towards computing the total experience required for the post of Professor or Associate Professor in accordance with the regulations made by Medical Council of India</p> <p>Assistant Professors in Pay Band-3, Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 with two years' regular service in the grade</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate degree in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A of Schedule VI.</p> <p>(iii) At least three years' teaching experience as Senior Resident or Tutor or Demonstrator or Registrar in the concerned Speciality or Super-speciality in a recognized teaching institution after obtaining the first Post-graduate degree.</p> <p>Note 1.—In the case of holders of Doctorate of Medicine (D.M.) or Master of Chirurgiae (M.Ch.) qualification of five years' duration, the period of senior Post Graduate residency rendered in the last part of the said of Doctorate of Medicine (D.M.) or Master of Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.</p> <p>Note 2.—For recruitment to the post of Assistant Professors (Immuno-haematology and Blood Transfusion), at least three years' experience in a recognised teaching hospital in Immuno-haematology and Blood Transfusion (Blood Banks) or in Pathology with six months experience in Immuno-haematology and Blood Transfusion (Blood Bank) as a Lecturer or Tutor or Senior Resident or Demonstrator after the Post Graduate</p>
----	--	---	---

	<p>(ii) Assistant Professor (other than Super Specialities)</p>	<p>Direct recruitment</p>	<p>Qualification in the speciality.</p> <p>Note 3.—For recruitment to the post of Assistant Professor in the Sports Injury Centre at Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi, minimum two years' experience in the field of Sports Injury or Sports Medicine will be a desirable qualification.</p> <p>Note 4.—Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer or Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate degree in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A of Schedule VI.</p> <p>(iii) At least three years' teaching experience as Senior Resident or Tutor or Demonstrator or Registrar in the concerned Speciality or Super-speciality in a recognized teaching institution after obtaining the first Post-graduate degree.</p> <p>Note 1.—In the case of holders of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of five years' duration, the period of senior Post Graduate residency rendered in the last part of the said of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.</p> <p>Note 2.—For recruitment to the post of Assistant Professors (Immuno-haematology and Blood Transfusion), at least three years' experience in a recognised teaching hospital in Immuno-haematology and Blood Transfusion (Blood Banks) or in Pathology with six months experience in Immuno-haematology and Blood Transfusion (Blood Bank) as a Lecturer or Tutor or Senior Resident or Demonstrator after the Post Graduate Qualification in the speciality.</p> <p>Note 3.—For recruitment to the post of Assistant Professor in the Sports Injury Centre at Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi, minimum two years' experience in the field of Sports Injury or Sports Medicine will be a desirable qualification.</p> <p>Note 4.—Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer or Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.</p>
--	--	---------------------------	--

III.	<p>Non-Teaching Specialist Sub-Cadre Posts</p> <p>(a) Senior Administrative Grade</p> <p>(b) Specialist Grade</p> <p>(1) Specialist Grade-I</p> <p>(2)(i) Specialist Grade II (Super Specialities)</p> <p>(ii) Specialist Grade-II (Other than Super Specialities)</p> <p>(3) (i) Specialist Grade-III (Super Specialities)</p>	<p>Promotion by selection without taking into account the vacancies failing which by direct recruitment</p> <p>Promotion by selection without taking into account the vacancies failing which by direct recruitment</p> <p>Promotion by selection without taking into account the vacancies failing which by direct recruitment</p> <p>Promotion by selection without taking into account the vacancies failing which by direct recruitment</p> <p>Direct recruitment</p>	<p>Specialist Grade-I officers in the Non Teaching specialist Sub-Cadre in Pay Band-4, Rs.37400-67000 with grade pay of Rs.8700 with seven years' regular service in the grade.</p> <p>Specialist Grade II officers in the Non Teaching specialist Sub-Cadre in Pay-Band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.7600 with four years' regular service in the grade.</p> <p>Specialist Grade III officers in the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre (Super Specialities) in PB-3, Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 with two years regular service in the Grade</p> <p>Specialist Grade III officers in the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre (other than Super Specialities) in PB-3, Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 with two years regular service in the Grade</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate Degree or diploma in the concerned speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule-VI</p> <p>(iii) Three years' experience in the concerned speciality or super speciality after obtaining the first Post-graduate degree or five years' experience after the Post-graduate diploma.</p> <p>Note 1.—In the case of holders of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of five years' duration, the period of senior Post Graduate residency rendered in the last part of the said of Doctorate</p>
------	---	---	--

	<p>(b) Specialist Grade-III (Other than Super Specialities)</p>	<p>Direct recruitment</p>	<p>of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of experience.</p> <p>Note 2.—For the post of Physician (Chest and Respiratory disease) three years' experience in Respiratory Disease and Respiratory Laboratories is required.</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate Degree or diploma in the concerned speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule-VI</p> <p>(iii) Three years' experience in the concerned speciality or super speciality after obtaining the first Post-graduate degree or five years' experience after the Post-graduate diploma.</p> <p>Note 1.- In the case of holders of of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of five years' duration, the period of senior Post Graduate residency rendered in the last part of the said of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of experience.</p> <p>Note 2.- For the post of Physician (Chest and Respiratory disease) three years' experience in Respiratory Disease and Respiratory Laboratories is required.</p>
<p>IV.</p>	<p>Public Health Sub-Cadre Posts</p> <p>(a) Senior Administrative Grade</p> <p>(b) Specialist Grade</p> <p>(1) Specialist Grade-I</p>	<p>Promotion by selection without taking into account the vacancies failing which by direct recruitment</p> <p>Promotion by selection</p>	<p>Specialist Grade-I officers in the Public Health Sub-Cadre in Pay Band-4, Rs.37400-67000/- with grade pay of Rs.8700/- with seven years' regular service in the grade</p> <p>Specialist Grade II officers in the Public Health Sub-Cadre</p>

V.	<p>General Duty Sub-Cadre posts</p> <p>(a) Senior Administrative Grade</p> <p>(b) Medical Officer Grade</p> <p>(1) Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade)</p> <p>(2) Chief Medical Officer</p> <p>(3) Senior Medical Officer</p>	<p>without taking into account the vacancies failing which by direct recruitment</p> <p>Promotion by selection without taking into account the vacancies failing which by direct recruitment</p> <p>Direct recruitment</p> <p>Promotion by selection without taking into account the vacancies failing which by direct recruitment</p> <p>Promotion by selection without taking into account the vacancies.</p> <p>Promotion by selection without taking into account the vacancies failing which direct recruitment</p> <p>Promotion by selection without taking into account the vacancies failing which by direct recruitment</p>	<p>in Pay-Band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.7600/- with four years' regular service in the grade.</p> <p>Specialist Grade III officers in the Public Health Sub-Cadre in Pay-Band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.6600/- with two years' regular service in the grade.</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality of Public Health mentioned in Section-A or Section-B of Schedule-VI or equivalent.</p> <p>(iii) Three years' experience in the concerned speciality after obtaining the Post-graduate degree or five years' experience in the Speciality after obtaining the Post-graduate diploma.</p> <p>Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) in Pay Band-4, Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs. 8700 with seven years' regular service in the grade or twenty years of regular service in the Central Health Service.</p> <p>Chief Medical Officer in Pay-Band-3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs.7600/- with four years' regular service in the grade or twenty years of regular service in the Central Health Service.</p> <p>Senior Medical Officer in Pay-Band-3, Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs.6600/- with five years' regular service in the grade.</p> <p>Medical Officer in Pay-Band-3, Rs.15600-39100/- with Grade Pay of Rs.5400/- with four years' regular service in the grade.</p>
----	--	--	--

	(4) Medical Officer	(1) By direct recruitment on the basis of a written examination to be conducted by the Commission to be followed by an Interview or selection by the Commission by interview only in accordance with the age limit and educational qualifications and experience decided by the Commission for this purpose. The exact method of recruitment to be followed shall be decided by the Controlling Authority in consultation with the Commission on each occasion.	Essential: (i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Completion of compulsory rotating internship-candidates who may not have completed rotating internships shall be eligible to appear for the written examination provided that, if selected, they shall have satisfactorily completed the compulsory internship before appointment.
--	----------------------------	--	--

SCHEDULE-IV*[See rule 2(c) and 6 (3)(i) and 6 (5)]***A. DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE FOR PROMOTION****Higher Administrative Grade****I. GENERAL ADMINISTRATIVE POSTS:****(1) For the post of Special Director General of Health Services**

- | | |
|--|----------|
| (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission | Chairman |
| (ii) Secretary, Ministry of Health and Family Welfare | Member |
| (iii) Any other Secretary in Ministry of Health and Family Welfare | Member |

(2) For the post of Additional Director General of Health Services or Heads of Institutions and Organisations or National Programmes

- | | |
|---|----------|
| (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission | Chairman |
| (ii) Secretary, Ministry of Health and Family Welfare | Member |
| (iii) Director General of Health Services | Member |

II. TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE POSTS**(a) For the post of Senior Administrative Grade**

- | | |
|---|----------|
| (i) Secretary, Ministry of Health and Family Welfare | Chairman |
| (ii) Director General of Health Services or his nominee | Member |

(iii) Any Additional Secretary in the Ministry of Health and Family Welfare	Member
(b) For the post of Professor	
(i) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Chairman
(ii) Director General of Health Services or Additional Director General of Health Services	Member
(iii) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Member
(iv) Joint Secretary (Establishment), Department of Personnel and Training	Member
(c) For the post of Associate Professor Grade	
(i) Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Chairman
(ii) Director General of Health Services or his nominee	Member
(iii) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Member
III. NON-TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE POSTS	
(a) For the post of Senior Administrative Grade	
(i) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Chairman
(ii) Director General of Health Services or Additional Director General of Health Services	Member
(iii) Any Additional Secretary in Ministry of Health and Family Welfare	Member
(b) For the post of Specialist Grade-I	
(i) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Chairman
(ii) Director General of Health Services or his nominee	Member
(iii) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Member
(iv) Joint Secretary (Establishment), Department of Personnel and Training	Member
(c) For the post of Specialist Grade II	
(i) Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Chairman
(ii) Director General of Health Services or his nominee	Member
(iii) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Member
IV. PUBLIC HEALTH SUB-CADRE POSTS	
(a) For the post of Senior Administrative Grade	
(i) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Chairman

- | | |
|--|--------|
| (ii) Director General of Health Services or Additional Director General of Health Services | Member |
| (iii) Any Additional Secretary in Ministry of Health and Family Welfare | Member |

(b) For the post of Specialist Grade-I

- | | |
|--|----------|
| (i) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare | Chairman |
| (ii) Director General of Health Services or his nominee | Member |
| (iii) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare | Member |
| (iv) Joint Secretary (Establishment), Department of Personnel and Training | Member |

(c) For the post of Specialist Grade II

- | | |
|---|----------|
| (i) Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare | Chairman |
| (ii) Director General of Health Services or his nominee | Member |
| (iii) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare | Member |

V. GENERAL DUTY SUB-CADRE POSTS

(a) For the post of Senior Administrative Grade

- | | |
|--|----------|
| (i) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare | Chairman |
| (ii) Director General of Health Services or Additional Director General of Health Services | Member |
| (iii) Any Additional Secretary in the Ministry of Health and Family Welfare | Member |

(b) For the post of Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade)

- | | |
|--|----------|
| (i) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare | Chairman |
| (ii) Director General of Health Services or Additional Director General of Health Services | Member |
| (iii) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare | Member |
| (iv) Joint Secretary (Establishment), Department of Personnel and Training | Member |

(c) For the post of Chief Medical Officer

- | | |
|--|----------|
| (i) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare | Chairman |
| (ii) Director General of Health Services or Additional Director General of Health Services | Member |
| (iii) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare | Member |

(d) For the post of Senior Medical Officer

- | | |
|---|----------|
| (i) Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare | Chairman |
| (ii) Director General of Health Services or his nominee | Member |

(iii) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare

Member

(B) DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE FOR CONSIDERING CONFIRMATION OF DIRECT RECRUITS**(1) For the post of Senior Administrative Grade**

(i) Secretary(Health), Ministry of Health and Family Welfare

Chairman

(ii) Additional Secretary (Health), Ministry of Health and Family Welfare

Member

(iii) Additional Director General of Health Service

Member

(2) For the post of SPECIALIST GRADE I or GRADE II or GRADE-III**(Teaching or Non-Teaching Specialist or Public Health Sub-Cadre and Chief Medical Officer and Senior Medical Officer (General Duty Sub-Cadre)**

(i) Additional Secretary (Health), Ministry of Health and Family Welfare

Chairman

(ii) Additional Director General of Health Services

Member

(iii) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare

Member

(3) For the post of Medical Officer (General Duty Medical Officer Sub-Cadre)

(i) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare

Chairman

(ii) Director, Central Government Health Scheme

Member

(iii) Deputy Secretary (Central Health Service), Ministry of Health and Family Welfare

Member

SCHEDULE-V

[see rule 6 (8)]

Higher Administrative Grade

S.No	Name of the post	Age	Educational and other qualifications required
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	General Administrative Posts 1. Additional Director General of Health Services or Head of Institutions and Organisation or National Programmes. Rs.67000-(annual increment @ 3%)-79000	Not exceeding fifty years	Essential: (i) A recognized MBBS degree included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) (ii) Post-graduate degree or diploma mentioned in Schedule VI. (iii) At least twenty years standing in the profession with extensive practical and administrative experience including eight years experience as a Professor in any
II.			

<p>Teaching Specialist Sub-Cadre posts</p> <p>(a) Senior Administrative Grade Director Professor (Grade Pay of Rs.10000 in Pay Band-4 Rs. 37400-67000)</p>	<p>Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p>recognized Teaching Institution for the Medical Education post or an equivalent experience in Clinical or Public Health side.</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualification) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualification included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post graduate degree mentioned in Section 'A' of Schedule VI.</p> <p>(iii) Sixteen years' standing in the profession with extensive practical and administrative experience, out of which at least seven years' experience should be as a Professor in the concerned Department in a Medical College or recognised Teaching Institution of medical education.</p> <p>Note.- Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer or Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.</p>
<p>(b) Specialist Grade</p> <p>(1) Specialist Grade-I Professor (Grade Pay of Rs.8700 in Pay Band-4 Rs. 37400-67000)</p>	<p>Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II or the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate Degree in the concerned speciality mentioned in Section-A of Schedule-VI.</p> <p>(iii) Twelve years standing in the Profession with extensive practical and administrative experience, out of which at least four years' experience should be in the concerned speciality as Associate Professor in a Medical College or in a recognised Teaching Institution of medical education after the requisite Post-graduate degree qualification.</p> <p>Note.- Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer or Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.</p>
<p>(2) Specialist Grade -II Associate Professor (Super Specialities) (Grade Pay of Rs.7600 in Pay Band-3 Rs. 15600-39100)</p>	<p>Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II or the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified</p>

	<p>(ii) Specialist Grade-II Associate Professor (Other than super Specialities) (Grade Pay of Rs.7600 in Pay Band-3 Rs. 15600-39100)</p>	<p>the orders or instructions issued by the Government)</p> <p>Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p>in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate degree in the concerned super speciality mentioned in Schedule VI.</p> <p>(iii) At least five years' teaching experience in the concerned super speciality after obtaining the first post graduate degree in a recognized teaching institute of medical education out of which at least two years' should be as Assistant Professor in that super speciality.</p> <p>Desirable: Minimum of four research publications indexed in index Medicus or National journals.</p> <p>Note 1.— Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer or Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.</p> <p>Note 2.— In the case of holders of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of five years' duration, the period of senior Post Graduate residency rendered in the last part of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of five years' experience.</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii). Post-graduate degree mentioned in Section-A of Schedule VI.</p> <p>(iii) At least five years' experience in the concerned speciality as Tutor or Demonstrator or Senior Resident or Registrar or Lecturer in a recognized teaching institution, after the requisite Post-graduate degree qualification out of which at least two years shall be as an Assistant Professor.</p> <p>Note 1.—Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer or Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.</p> <p>Note 2.—In the case of holders of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of five years' duration, the period of senior Post Graduate residency rendered in the last part of the said of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of five years' experience.</p>
--	---	---	--

	<p>(3) Specialist Grade-III Assistant Professor (Super Specialities and other than Super Specialities) (Grade Pay of Rs.6600 in Pay Band-3 Rs. 15600-39100)</p>	<p>Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate degree in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A of Schedule VI.</p> <p>(iii) At least three years' teaching experience as Senior Resident or Tutor or Demonstrator or Registrar in the concerned Speciality or Super-speciality in a recognized teaching institution after obtaining the first Post-graduate degree.</p> <p>Note 1.— In the case of holders of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of five years' duration, the period of senior Post Graduate residency rendered in the last part of the said of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.</p> <p>Note 2.—For recruitment to the post of Assistant Professors (Immuno-haematology and Blood Transfusion), at least three years' experience in a recognised teaching hospital in Immuno-haematology and Blood Transfusion (Blood Banks) or in Pathology with six months experience in Immuno-haematology and Blood Transfusion (Blood Bank) as a Lecturer or Tutor or Senior Resident or Demonstrator after the Post Graduate Qualification in the speciality.</p> <p>Note 3.—For recruitment to the post of Assistant Professor in the Sports Injury Centre at Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi, minimum of two years' experience in the field of Sports Injury or Sports Medicine will be a desirable qualification.</p> <p>Note 4.—Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer or Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p>
<p>III.</p>	<p>Non-Teaching Specialist Sub-Cadre</p> <p>(a) Senior Administrative Grade (Grade Pay of Rs.10000 in Pay Band-4 Rs. 37400-67000)</p>	<p>Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p>

	<p>(b) Specialist Grade:</p> <p>(i) Specialist Grade-I (Grade Pay of Rs.8700 in Pay Band-4 Rs. 37400-67000)</p>	<p>Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p>(ii) Post-graduate degree or Diploma in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Schedule-VI.</p> <p>(iii) Sixteen years standing in the profession with practical and administrative experience.</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post Graduate Degree or Diploma in the concerned speciality mentioned in Schedule-VI</p> <p>(iii) (a) Twelve years' standing in the profession, out of which five years' experience in the Super-Specialities with practical and administrative experience; or</p> <p>(b) Twelve years' standing in the profession, out of which at least eight years' experience in the concerned speciality other than Super-speciality with practical and administrative experience:</p> <p>Provided that for the post of Deputy Director (Rehabilitation), he should have ten years' professional experience.</p> <p>Provided further that for the post of Senior Thoracic Surgeon, he should have two years' experience in Cardiovascular Surgery.</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate Degree in the concerned super speciality mentioned in Schedule-VI.</p> <p>(iii) Five years' experience in the concerned super speciality after obtaining the first Post-graduate degree.</p> <p>Note.—In the case of holders of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of five years' duration, the period of senior Post Graduate</p>
	<p>(ii) (a) Specialist Grade-II (Super-Specialities) (Grade Pay of Rs.7600 in Pay Band-3, Rs. 15600-39100)</p>	<p>Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions issued orders or instructions issued by the Government)</p>	<p>(ii) Post-graduate Degree or Diploma in the concerned speciality mentioned in Schedule-VI</p> <p>(iii) Five years' experience in the concerned super speciality after obtaining the first Post-graduate degree.</p> <p>Note.—In the case of holders of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of five years' duration, the period of senior Post Graduate</p>

	<p>(b) Specialist Grade-II (Other than Super-Specialities) (Grade Pay of Rs.7600 in Pay Band-3, Rs. 15600-39100)</p>	<p>Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p>residency rendered in the last part of the said of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of experience.</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate Degree or Diploma in the concerned speciality mentioned in Section-A or Section B in Schedule-VI.</p> <p>(iii) Five years' experience in the concerned speciality after obtaining the first Post-graduate degree or seven years' experience after obtaining the Post-graduate Diploma.</p> <p>Note.—In the case of holders of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of five years' duration, the period of senior PG residency rendered in the last part of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of experience.</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate Degree or diploma in the concerned speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule-VI</p> <p>(iii) Three years' experience in the concerned speciality or super speciality after obtaining the first Post-graduate degree or five years' experience after the Post-graduate diploma.</p> <p>Note 1.- In the case of holders of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of five years' duration, the period of senior Post Graduate residency rendered in the last part of the said of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of experience.</p> <p>Note 2.- For the post of Physician (Chest and Respiratory</p>
	<p>(iii) Special Grade-III(Super Specialities and other than Super Specialities) (Grade Pay of Rs.6600 in Pay Band-3, Rs. 15600-39100)</p>	<p>Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p>residency rendered in the last part of the said of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of experience.</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate Degree or diploma in the concerned speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule-VI</p> <p>(iii) Three years' experience in the concerned speciality or super speciality after obtaining the first Post-graduate degree or five years' experience after the Post-graduate diploma.</p> <p>Note 1.- In the case of holders of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of five years' duration, the period of senior Post Graduate residency rendered in the last part of the said of Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of experience.</p> <p>Note 2.- For the post of Physician (Chest and Respiratory</p>

IV.	<p>Public Health Sub-Cadre</p> <p>(a) Senior Administrative Grade (Grade Pay of Rs.10000 in Pay Band-4, Rs. 37400-67000)</p> <p>(b) Specialist Grade:</p> <p>(i) Specialist Grade-I (Grade Pay of Rs. 8700 in Pay Band-4, Rs. 37400-67000)</p> <p>(ii) Specialist Grade-II (Grade Pay of Rs. 7600 in Pay Band-3, Rs. 15600-39100)</p>	<p>Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p> <p>Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p> <p>Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions orders or instructions issued by the Government)</p>	<p>disease) three years' experience in Respiratory Disease and Respiratory Laboratories is required.</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate degree or diploma in the required area of Public Health in Schedule-VI.</p> <p>(iii) Sixteen years' standing in the profession with practical and administrative experience.</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality of Public Health mentioned in Section-A or Section-B of Schedule-VI</p> <p>(iii) Twelve years' standing in the profession with practical and administrative experience out of which eight years' work should be in a responsible position connected with Public Health.</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality of Public Health mentioned in Section-A or Section-B in Schedule-VI</p> <p>(iii) Five years' experience in the concerned</p>
-----	--	--	---

V.	<p>(iii) Special Grade-III(Grade Pay of Rs. 6600 in Pay Band-3, Rs. 15600-39100)</p>	<p>Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p>speciality after obtaining the Post-graduate degree or Seven years' experience in the Speciality after obtaining the Post-graduate diploma.</p> <p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality of Public Health mentioned in Section-A or Section-B of Schedule-VI or equivalent.</p> <p>(iii) Three years' experience in the concerned speciality after obtaining the Post-graduate degree or five years' experience in the Speciality after obtaining the Post-graduate diploma.</p>
	<p>General Duty Sub-Cadre Posts</p> <p>(a) Senior Administrative Grade (Grade Pay of Rs. 10000 in Pay Band-4, Rs. 37400-67000)</p>	<p>Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate degree or diploma mentioned in Schedule-VI</p> <p>(iii) Sixteen years' standing in the profession with practical and administrative experience.</p>
	<p>(b) Medical Officer Grade</p> <p>(i) Chief Medical Officer (Grade Pay of Rs. 7600 in Pay Band-3, Rs. 15600-39100)</p>	<p>Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) At least ten years' standing in the profession with practical and administrative experience; or Post-graduate degree or diploma mentioned in Schedule-VI in the relevant field with six years' standing in the profession in the case of Post-graduate degree holder and eight years' for Post- Graduate diploma holders.</p>
	<p>Note.—The exact qualifications and experience required shall be indicated at the time of recruitment.</p>		

	<p>(ii) Senior Medical Officer (Grade Pay of Rs. 6600 in Pay Band-3, Rs. 15600-39100)</p>	<p>Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Five years' experience after registration as a medical graduate; or Post-graduate degree or diploma mentioned in Schedule-VI in the relevant field with two years' experience in the case of Post-graduate degree holder and four years' experience in the case of Post- Graduate diploma holders.</p> <p>Note.- The exact qualifications and experience required shall be indicated at the time of recruitment.</p>
	<p>(iii) Medical Officer (Grade Pay of Rs. 5400 in Pay Band-3, Rs. 15600-39100)</p>	<p>Not exceeding thirty two years.</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Completion of compulsory rotating internship-candidates who may not have completed rotating internships shall be eligible to appear for the written examination provided that, if selected, they shall have satisfactorily completed the compulsory internship before appointment.</p>

Note 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, the Lahaul and Spiti District and Pangl sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Andman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Note 2.—The qualifications are relaxable at the discretion of the Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 3.—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes if, at any stage of selection, the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Note 4.—In the case of recruitment to the post of Medical Officer on the basis of a written examination followed by interview, the crucial date for reckoning the age limit shall be the 1st of January of the year in which the examination is held.

SCHEDULE-VI
[See rule 6 (9) and 6(10)]

S.No.	Subject	Section-A	Section-B
		Requisite Post Graduate Degree Qualifications	Requisite Post Graduate Diploma Qualifications
	Part(A) Non-Clinical		
1.	Anatomy	Master of Surgery (Anatomy); or Doctor of Medicine (Anatomy); or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Master of Science (Anatomy); or Master of Science (Medical Anatomy) with Doctor of Philosophy (Medical Anatomy); or M.Sc.(Medical Anatomy) with Doctor of Science (Medical Anatomy)	
2.	Physiology	Doctor of Medicine (Physiology); or M.B.B.S. with M.Sc. (Physiology); or Master of Science (Medical Physiology) with Doctor of Philosophy (Medical Physiology); or Master of Science (Medical Physiology) with Doctor of Science (Medical Physiology)	
3.	Bio-Chemistry	Doctor of Medicine (Bio-Chemistry); or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Master of Science (Medical Bio-Chemistry); or Master of Science (Medical Bio-Chemistry) with Doctor of Philosophy (Medical Bio-Chemistry); or Master of Science (Medical Bio-Chemistry) with Doctor of Science (Medical Bio-Chemistry)	
4.	Bio-Physics	Doctor of Medicine (Bio- Physics); or M.Sc. (Bio- Physics or Medical Biochemistry) with Doctor of Philosophy (Bio- Physics); or Doctor of Medicine (Physiology); or Doctor of Medicine (Bio-Chemistry) with one year training in bio-Physics.	Diploma in Clinical Pathology Diploma in Pathology and Bacteriology
5.	Pharmacology	Doctor of Medicine (Pharmacology); or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Doctor of Philosophy (Medical Pharmacology); or Master of Science (Medical Pharmacology) with Doctor of Philosophy (Medical Pharmacology); or Master of Science (Medical Pharmacology) with Doctor of Science (Pharmacology)	Diploma in Bacteriology Diploma in Pathology and Bacteriology
6.	Pathology	Doctor of Medicine (Pathology); or Doctor of Philosophy (Pathology); or Doctor of Science (Pathology)	
7.	Microbiology or Bacteriology	Doctor of Medicine (Bacteriology); or Doctor of Medicine (Microbiology); or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Master of Science (Medical Bacteriology); or Master of Science (Medical Microbiology); or Doctor of Philosophy D. (Med. Bacteriology); or Master of Science (Medical Bacteriology) with Doctor of Science (Medical Bacteriology); or Master of Science (Medical Microbiology) with Doctor	

		of Philosophy (Medical Microbiology); or Master of Science (Medical Microbiology) with Doctor of Science (Medical Microbiology)	
	B. CLINICAL		
1.	General Medicine	Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (General Medicine)	
2.	Forensic Medicine	Doctor of Medicine (Forensic Medicine)	
3.	Radiation Medicine	Doctor of Medicine (Radiation Medicine) Doctor of Medicine (Radio-Therapy)	Diploma in Radiation Medicine
4.	Paediatrics	Doctor of Medicine (Paediatrics)	Diploma in Paediatrics, Diploma in Child Health
5.	Clinical Haematology	Doctor of Medicine in Medicine or Pathology, with three years' experience in Haematology	
6.	Tuberculosis and Respiratory Medicine Pulmonary Medicine	Doctor of Medicine (Tuberculosis) Doctor of Medicine (Tuberculosis and Respiratory Diseases); or Doctor of Medicine (Medicine) with Diploma in Tuberculosis Diseases ; or Diploma in Tuberculosis and Chest Diseases; or Doctor of Medicine (Tuberculosis and Chest Diseases)	Diploma in Tuberculosis Diseases Diploma in Tuberculosis and Chest Diseases
7.	Psychiatry	Doctor of Medicine (Psychiatry); or Doctor of Medicine (Psychological Medicine); or Doctor of Medicine in Medicine, with Diploma in Psychological Medicine ; or Diploma in Psychiatry (Edin) of two years course. Diploma in Psychiatry (Mc.Gill) University, Montreal, Canada of two years' course.	Diploma in Psychological Medicine (One year course)
8.	Venereology	Doctor of Medicine (Venereology); or Doctor of Medicine (Dermatology and Venereology ; or Doctor of Medicine in Medicine with Diploma in Venereology	Diploma in Venereology
9.	Dermatology	Doctor of Medicine (Dermatology); or Doctor of Medicine (Dermatology and Venereology) ; or Doctor of Medicine in Medicine with diploma in Dermatology	Diploma in Dermatology
10.	Dermatology, Venereology and Leprosy	Doctor of Medicine (Dermatology and Venereology); or Doctor of Medicine (Dermatology, Venereology and Leprosy); or Doctor of Medicine (Dermatology); or Doctor of Medicine (Dermatology including Venereology); or Doctor of Medicine (Dermatology including Venereology or Leprosy); or Doctor of Medicine (Medicine), with Diploma in Veneral and Dermatology or Diploma in Dermatology.	Diploma in Venereology and Dermatology, Diploma in Dermatology and Venereology.

11.	General Surgery	Master of Surgery (Surgery) Master of Surgery (General Surgery)	
12.	Orthopaedics	Master of Surgery (Orthopaedics)	Diploma in Orthopaedics
13.	Obstetrics and Gynaecology	Doctor of Medicine (Obstetrics and Gynaecology); or Master of Surgery (Obstetrics and Gynaecology)	Diploma in Gynaecology and Obstetrics
14.	Physical Medicine and Rehabilitation	Doctor of Medicine (Physical Medicine and Rehabilitation); or Doctor of Medicine (Medicine) with Diploma in Physical Medicine and Rehabilitation; or Master of Surgery (General Surgery) or Master of Surgery (Orthopaedics) with two years special training in the Speciality of Physical Medicine and Rehabilitation (Rehabilitation Medicine) or two years of equivalent training approved in the subject in any approved institution in India	
15.	Ophthalmology	Master of Surgery (Ophthalmology); or Doctor of Medicine (Ophthalmology)	Diploma in Ophthalmology Diploma in Ophthalmic Medicine and Surgery
16.	Oto-Rhino-Laryngology (Ear, Nose and Throat)	Master of Surgery (Oto-Rhino-Laryngology)	Diploma in Ophthalmology Diploma in Oto-Rhino-Laryngology
17.	Maternity and Child Health	Diploma in Child Health or Diploma in Maternity and Child Welfare with Doctor of Medicine (Obstetrics and Gynaecology) ; or Master of Surgery (Obstetrics and Gynaecology); or Doctor of Medicine (Mid and Gynaecology); or Master of Surgery (Mid and Gynaecology); or Doctor of Medicine (Obstetrics); or Doctor of Medicine or; Member of Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London, United Kingdom; or Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine); or Doctor of Medicine (Community Medicine); or Membership of the National Academy of Medical Sciences (Integrated Maternity and Child Health) Speciality Board of Obstetrics and Gynaecology (United States of America)	Diploma in Maternity and Child Welfare
18.	Radio-diagnosis	Doctor of Medicine (Radio-diagnosis); or Doctor of Medicine (Radiology); or Master of Surgery (Radiology)	Diploma in Medicine and Radio Diagnosis or equivalent diploma of one year duration.
19.	Radio- Therapy	Doctor of Medicine (Radio-Therapy); or Doctor of Medicine (Radiology); or Master of Surgery (Radiology)	Diploma in Medicine and Radio Therapy or equivalent diploma of one year duration.
	For 18 and 19	Note.- The persons who have done their Doctor of	

		Medicine in Radiology or Diploma in Radiology before 1985 shall also be eligible to apply to the post of Radio-diagnosis and Radio-Therapy	
20.	Anesthesiology	Doctor of Medicine (Anesthesiology); or Master of Surgery (Anesthesiology)	Diploma in Anesthesiology
21.	Nuclear Medicine	Doctor of Medicine (Nuclear Medicine); or Doctor of Medicine (Radio-Therapy) with two years' experience in Nuclear Medicine in a recognized centre; or Doctor of Medicine (Medicine) with Diploma in Radiation Medicine or Diploma in Nuclear Medicine; or Doctor of Medicine (Radio-Diagnosis) with two years' experience in Nuclear Medicine in a recognized centre; or Doctor of Medicine (Bio-Physics) or its equivalent qualification in Bio-Physics with Diploma in Radiation Medicine or Diploma in Nuclear Medicine; or Diplomate National Board in Nuclear Medicine with two years' experience in Nuclear Medicine in a recognized centre	
22.	Nutrition	Doctor of Medicine in Biochemistry; or Doctor of Medicine in Physiology; or Doctor of Medicine in Pathology; or Doctor of Medicine in Medicine; or Doctor of Medicine in Social and preventive Medicine; or Doctor of Medicine in Community Medicine; or Doctor of Medicine in Paediatrics with Master of Science in applied Nutrition of special training for a period of one year	
23.	Human Metabolism	Doctor of Medicine (Endocrinology); or Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (Pediatrics) with two years special training in Endocrinology	
24.	Immuno-Haematology and Blood Transfusion	Doctorate of Medicine (Immunology); or Doctor of Medicine (Immuno-Haematology and Blood Transfusion) ; or Doctor of Medicine in Pathology; or Doctor of Medicine in Bacteriology; or Doctor of Medicine in Haematology with two years teaching experience or special training in the department of immuno-Haematology and Blood Transfusion.	
25.	Medical Genetics	Doctorate of Medicine (Medical Genetics); or Doctor of Medicine (Medical Genetics); or Doctor of Medicine (General Medicine); or Doctor of Medicine (Pediatrics); or Doctor of Medicine (Obstetrics and Gynaecology) ; with two years special training in Medical Genetics.	
26.	Family Medicine	Doctor of Medicine (Family Medicine); or Doctor of Medicine (General Medicine)	

27.	Aviation Medicine or Aerospace Medicine	Doctor of Medicine (Aviation Medicine); or Doctor of Medicine (Aerospace Medicine)
28.	Geriatrics	Doctor of Medicine (Family Medicine); or Doctor of Medicine General Medicine); or Doctor of Medicine (Geriatrics)
29.	Health Administration	Doctor of Medicine (Health Administration); or Doctor of Medicine (Hospital Administration); or Doctor of Medicine (Community Health Administration)
30.	Hospital Administration	Doctor of Medicine (Hospital Administration); or Doctor of Medicine Community Health Administration); or Doctor of Medicine (Health Administration)
31.	Sports Medicine	Doctor of Medicine (Sports Medicine); or Master of Surgery (Orthopedics); or Doctor of Medicine (Physical Medicine and Rehabilitation); or Doctor of Medicine (Physiology) with two years' experience in sports medicine
32.	Tropical Medicine	Doctor of Medicine (Tropical Medicine); or Doctor of Medicine (General Medicine); or Doctor of Medicine (Microbiology) plus two years' experience in clinical medicine
33.	Rheumatology	Doctor of Medicine (Rheumatology); or Doctor of Medicine (Medicine) with two years' experience in Rheumatology or Immunology
34.	Health Education	Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine); or or Doctor of Medicine (Community Medicine); or Doctor of Medicine (Health Administration)
35.	Marine Medicine	Doctor of Medicine (Physiology); or Doctor of Medicine (Medicine) with two years special training in Marine Medicine
36.	Occupational Health	Doctor of Medicine (Psychiatry); or Doctor of Medicine (Physical Medicine and Rehabilitation); or Master of Surgery (Orthopaedics)
37.	Radiological Physics	Master of Science (Physics); or Master of Science (Chemistry); or Master of Science (Biophysics) with Doctor of Philosophy (Physics or Chemistry or Biophysics)
38.	Virology	Doctor of Medicine (Microbiology); or Doctor of Medicine (Pathology); or Doctor of Medicine with two years special training in Virology; or Master of Science (Medical Virology with Doctor of Philosophy in Virology.

1.	SUPER SPECIALITIES Medical Gastroenterology	Doctorate of Medicine (Medical Gastroenterology); or Doctorate of Medicine (Gastroenterology); or Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (Paediatrics) with two years special training in Gastroenterology	
2.	Neurology	Doctorate of Medicine (Neurology)	
3.	Endocrinology	Doctorate of Medicine (Endocrinology); or Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (Paediatrics) with two years special training in Endocrinology	
4.	Cardiology	Doctorate of Medicine (Cardiology)	
5.	Nephrology	Doctorate of Medicine (Nephrology)	
6.	Plastic and Reconstructive Surgery	Magister Chirurgie (Plastic Surgery); or Magister Chirurgie (Plastic and Constructive Surgery)	
7.	Cardio Vascular and Thoracic Surgery	Magister Chirurgie (Cardio Vascular and Thoracic Surgery); or Magister Chirurgie (Thoracic Surgery); or Magister Chirurgie (Cardio Surgery); or Magister Chirurgie (Vascular Surgery)	
8.	Neuro Surgery	Magister Chirurgie (Neuro Surgery)	
9.	Paediatric Surgery	Magister Chirurgie (Paediatric Surgery)	
10.	Urology	Magister Chirurgie (Urology)	
11.	Gastro-Intestinal Surgery	Magister Chirurgie (Gastro-Intestinal Surgery) Master of Surgery (General Surgery) with two years special training in a department of Gastro Intestinal Surgery	
12.	Neonatology	Doctorate of Medicine (Neonatology); or Doctor of Medicine (Paediatrics) with two years special training in Neonatology	
13.	Clinical Haematology	Doctorate of Medicine (Clinical Haematology) ; or Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (Paediatrics); or Doctor of Medicine (Pathology) with two years special training in Clinical Haematology	
14.	Clinical Pharmacology	Doctorate of Medicine (Clinical Pharmacology); or Doctorate of Medicine (Pharmacology) with two years special training in Clinical Pharmacology	
15.	Immunology	Doctorate of Medicine (Immunology); or Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (Pathology); or Doctor of Medicine (Microbiology); or	

16.	Medical Genetics	Doctor of Medicine (Paediatrics) with two years special training in Immunology Doctorate of Medicine (Medical Genetics); or Doctor of Medicine (Paediatrics); or Doctor of Medicine (Medicine); or Master of Surgery (Anatomy) with two years special training in Medical Genetics	
17.	Medical Oncology	Doctorate of Medicine (Medical Oncology); or Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (Radio-therapy); or Doctor of Medicine (Paediatrics) with two years special training in Medical Oncology	
18.	Surgical Gastroenterology	Magister Chirurgie (Surgical Gastroenterology); or Master of Surgery (Surgery) with two years special training in Surgical Gastroenterology	
19.	Surgical Oncology	Magister Chirurgie (Surgical Oncology); or Master of Surgery or Master of Surgery (Ear, Nose, Throat); or Master of Surgery (Orthopaedics); or Doctor of Medicine (Obstetrics and Gynaecology) with two years special training in Surgical Oncology	
20.	Paediatric Cardiology	Doctorate of Medicine (Paediatric Cardiology); or Doctorate of Medicine (Cardiology); or Doctor of Medicine (Paediatrics) with two years special training in Cardiology.	
D.PUBLIC HEALTH			
1.	Social and Preventive Medicine or Community Medicine	Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine); or Doctor of Medicine (Community Medicine)	
2.	Public Health	Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine); or Doctor of Medicine (Community Medicine); or Doctor of Medicine Health Administration.)	Diploma in Public Health, Diploma in Industrial Health, Master of Public Health, Diploma in Tropical Medicine.
		Doctor of Medicine (Community Health Administration)	Diploma in Tropical Medicine and Hygiene .

Note 1.—Any Post Graduate Degree or Diploma awarded by any Indian Universities, included in or excluded from, the Schedules to Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), consequent to recognition granted or withdrawn by Government of India as per provisions of the said Act shall be deemed to have been included or excluded accordingly from the Schedule –VI.

Note 2.—The Post-Graduate Medical Qualifications awarded by Indian Universities, must have been included in the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) for the purpose of Schedule VI.

Note 3.—The Controlling Authority may, in consultation with the Commission, include any medical qualification in Part A, Part B, Part C or Part D of Schedule VI.

SCHEDULE-VII

[see rule 6(4)]

S. No.	Promotion		Service rendered	Benchmark
	From	To		
1. TEACHING SUB-CADRE				
1	Assistant Professor Pay Band-3 Grade Pay of Rs.6600/-	Associate Professor	Two years' service	Good
2	Associate Professor Pay Band-3 Grade Pay of Rs.7600/-	Professor	Four years' service	Very Good
3	Professor Pay Band-4 Grade Pay of Rs.8700/-	Senior Administrative Grade or Director Professor Pay Band-4 Grade Pay of Rs.10,000/-	Seven years' service	Very Good with all five Very Good in the preceding five years' of reckonable Annual Confidential Report (ACR) or Annual Performance Appraisal Report (APAR) as the case may be.
2. NON-TEACHING SUB-CADRE				
1	Specialist Grade-III Pay Band-3 Grade Pay of Rs.6600/-	Specialist Grade-II	Two years' service	Good
2	Specialist Grade-II Pay Band-3 Grade Pay of Rs.7600/-	Specialist Grade-I	Four years' service	Very Good
3	Specialist Grade-I Pay Band-4 Grade Pay of Rs.8700/-	Senior Administrative Grade or Consultant Pay Band-4 Grade Pay of Rs.10,000/-	Seven years' service	Very Good with all five Very Good in the preceding five years' of reckonable Annual Confidential Report (ACR) or Annual Performance Appraisal Report (APAR) as the case may be.
3. PUBLIC HEALTH SUB-CADRE				
1	Specialist Grade-III Pay Band-3 Grade Pay of Rs.6600/-	Specialist Grade-II	Two years' service	Good
2	Specialist Grade-II Pay Band-3 Grade Pay of Rs.7600/-	Specialist Grade-I	Four years' service	Very Good
3	Specialist Grade-I Pay Band-4 Grade Pay of Rs.8700/-	Senior Administrative Grade or Consultant Pay Band-4 Grade Pay of Rs.10,000/-	Seven years' service	Very Good with all five Very Good in the preceding five years' of reckonable Annual Confidential Report (ACR) or Annual Performance Appraisal Report (APAR) as the case may be.
4. GENERAL DUTY MEDICAL OFFICER (GDMO) SUB-CADRE				
1	Medical Officer Pay Band-3 Grade Pay of Rs.5400/-	Senior Medical Officer	Four years' service	Overall "Good"
2	Senior Medical Officer Pay Band-3 Grade Pay of Rs.6600/-	Chief Medical Officer	Five years' service	Very Good
3	Chief Medical	Chief Medical Officer	Four years' service	Very Good

	Officer Pay Band-3 Grade Pay of Rs.7600/-	(Non-Functional Selection Grade)	service	
4	Chief Medical Officer (Non- Functional Selection Grade) Pay Band-4 Grade Pay of Rs.8700/-	Senior Administrative Grade Pay Band-4 Grade Pay of Rs.10,000/-	Seven years' service or twenty years overall service in General Duty Medical Officer	Very Good with all five Very Good in the preceding five years' of reckonable Annual Confidential Report (ACR) or Annual Performance Appraisal Report (APAR) as the case may be.

[F.No.A-12018/1/2004-CHS V (Pt.)]
MURARI LAL SHARMA, Under Secy.